लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड २०, १९६३/१८८५ (शक)

[२७ अगस्त से ६ सितम्बर १९६३/६ श्रावण से १८ भाद्र, १८८५ (शक)]

3rd Lok Sabha

Chamber Fumigated 18/10/13

Preservation Unit
Fumigated On 8.12.83
Parliament Library

पांचवां सत्र, १९६३/१८८५ (शक)

(खण्ड २० में अंक ११ से २० तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

लोक-सभा

बुधवार, ४ सितम्बर, १९६३

१३ भाद्र, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विश्वविद्यालय पाठ्य पुस्तकें

+

†*४७६. श्री यशपाल सिंह :
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री वी० चं० शर्मा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम राज :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने भारतीय लेखकों द्वारा लिखी हुई विश्वविद्यालय पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन में सहायता देने की एक योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) योजना का मुख्य ध्येय कि एक विशेषज्ञ तालिका के मूल्यांकन के आधार पर भारतीय लेखकों द्वारा लिखी हुई विश्वविद्यालय स्तर की प्रामाणिक शिक्षा सम्बन्धी पुस्तकों को कम कीमत पर पुनः प्रकाशित कराना है । शिक्षा मंत्रालय संबंधित प्रकाशकों को पुस्तक को कम मूल्य पर प्रकाशित करने के लिये उपयुक्त अर्थ सहायता देगी जो अधिक से अधिक ५००० रुपये होगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि यह योजना सिर्फ अंग्रेजी की किताबों के लिये है या जो बाकी हिन्दुस्तान की चौदह जबानें हैं उन के लिये भी है ?

†मूल अंग्रेजी में

1205 (ai) LSD—1

श्री हुमायून् कबिर : पहले अंग्रेजी की किताबों से शुरूआत की जायेगी ।

श्री यशपाल सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी किताबें तैयार हो चुकी हैं और कितनी तैयार होनी बाकी हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर**: इस के लिये कोई सीमा नहीं है । आरम्भ में २५ पुस्तकों के संबंध में ही मूल्यांकन किया गया है । किन्तु यह कार्य आगे भी किया जाता रहेगा ।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या यह योजना विद्यमान लिखित सामग्री में से चयन करने के संबंध में ही है अथवा नई रचनाओं पर भी यह लागू की जायेगी और यदि हां, तो क्या सरकार बौद्धिक कार्य-कलापों में राज्य के निर्देश का सिद्धान्त स्वीकार कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह योजना उन प्रामाणिक पुस्तकों के लिये है जिन्हें पहले ही गौरव ग्रन्थों की मान्यता प्राप्त हो चुकी है और इसलिये यह नई पुस्तकों पर लागू नहीं होगी । नई पुस्तकों के लिये हमारे पास अन्य योजना यें हैं ।

†**डा० रानेन सेन** : कुछ शास्त्रीय विषयों और महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में संबंधित विश्व-विद्यालयों के कुछ प्रकाशन हैं । केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इन प्रकाशनों का उन प्रकाशनों पर क्या प्रभाव होगा जो विश्वविद्यालयों में प्रयुक्त किये जाते हैं ।

†**श्री हुमायून् कबिर** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य योजना के विषय में स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाये । यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं संक्षेप से इस की व्याख्या करूंगा । विद्यार्थियों के सामने मुख्य कठिनाई प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों को उपयुक्त मूल्य पर प्राप्त करना है । विदेशों से आने वाली अधि-कांश पुस्तकों का मूल्य बहुत अधिक होता है । इसलिये, पहले अमरीकी सरकार और फिर ब्रिटिश सरकार इस योजना में सहयोग दे रहे हैं कि प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकों का मूल्य काफी कम कर दिया जाये । रूस की सरकार ने भी ऐसी ही एक योजना का प्रस्ताव भेजा है । जब हम ने इस योजना को स्वीकार कर लिया तो भारतीय प्रकाशकों ने इस विषय में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया कि भारतीय लेखकों की भी कुछ प्रामाणिक पाठ्य-पुस्तकें हैं और यदि इन अमरीकी, ब्रिटिश और रूसी पुस्तकों को अर्थ-सहायता दी गई तो भारतीय लेखकों को क्षति पहुंचेगी । इसलिये हम ने इस योजना को स्वीकार कर लिया कि भारतीय लेखकों की उन प्रामाणिक पुस्तकों के संबंध में, जिन्हें इस देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी मान्यता- प्राप्त है, अर्थ-सहायता दी जाये जिस से कि वे अमरीका, ब्रिटेन अथवा रूस की सरकार द्वारा सहायता दी हुई पुस्तकों के साथ बराबरी के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : भारतीय लेखकों द्वारा प्रकाशित प्रामाणिक पुस्तकों का चयन करने की क्या कसौटी है, क्या ऐसी प्रामाणिक पुस्तकों की सूची तैयार करने के लिये कोई समिति बनाई जायेगी और क्या उसे सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मेरे माननीय मित्र स्वयं एक विशिष्ट शिक्षा-शास्त्री हैं और उन्हें मालूम है कि पुस्तकें किस प्रकार प्रामाणिक मान ली जाती हैं । कुछ पुस्तकों को मन्यता दी जाती है । तथापि हमारे यहां प्रत्येक विषय के संबंध में एक विशेषज्ञतालिका है जो सिफारिशें करेगी जिन्हें एक समिति के सामने जिस में विश्वविद्याशय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय और वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय का एक एक प्रतिनिधि होगा ।

---

†मल अंग्रजी में

†**श्री फतहसिंह गायकराववाड़** : क्या इन पाठ्य-पुस्तकों को अखिल भारतीय आधार पर प्रामाणिक किया जायेगा अथवा यह प्रत्येक राज्य और प्रत्येक विश्वविद्यालय में अलग अलग होंगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : शायद मेरे माननीय मित्र ने मेरी यह बात नहीं सुनी कि ये वे पुस्तकें हैं जिन्हें पहले से ही प्रामाणिक पाठय-पुस्तकों के रूप में मान्यता प्राप्त है और कहीं कहीं देश के बाहर भी प्रयाग में हैं ।

†**डा० कोलाको** : क्या इन पाठ्य-पुस्तकों के अन्तगंत नागरिक शिक्षा के विषय में भी कोई पुस्तक है, जैसी कि कुछ देशों में प्राथामिक शिक्षा से ले कर माध्यमिक शिक्षा और उस से भी ऊंची श्रेणी की शिक्षा के लिये निर्धारित की हुई हैं; क्योंकि यह प्रजातन्त्र के समान रूप से कार्य करने के लिये आवश्यक है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैं ने कहा है कार्य-क्षेत्र सीमित है । यह केवल विश्वविद्यालयों से ही संबंधित है । इसलिये प्राथमिक शिक्षा इस में नहीं आती ।

†**श्री शिव नारायण** : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत के कल्चर के अनुसार जो इंडियन राइटर्स हैं उन की लिखी हुई पुस्तकों को सारी यूनिवर्सिटीज के लिये मानने में क्या आपत्ति है ? क्या जितनी फैसिलिटीज फारेन राइटर्स को हैं उतनी अपने मुल्क के राइटर्स को हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह विद्या-संबंधी है । यदि मैं उस का उत्तर देने लगा तो काफी समय लग जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : फिर उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इस योजना के अधीन अर्थ-सहायता देहैं के बाद यह पुस्तकें जिस मूल्य पर बेची जायेंगी उस से माननीय मंत्री संतुष्ट हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : हम ने यह कार्य निश्चित रूप से पुस्तकों का मूल्य कम करने के लिये ही किया है ।

विज्ञान के स्नातक तथा डिप्लोमाधारी

†*४७७. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्रालय के जन-शक्ति निदेशालय के कहने पर विज्ञान के स्नातकों के स्थान पर डिप्लोमाधारियों को लेने के बारे में कोई कार्य-विश्लेषण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के विश्लेषण का क्या प्रयोजन है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). विज्ञान के स्नातकों के स्थान पर डिप्लोमाधारियों को लेने के बारे में कोई भी कभी विश्लेषण नहीं किया गया । केन्द्र के कुछ इंजीनियरिंग विभागों में इस ध्येय से एक कार्य विश्लेषण किया गया था कि क्या इस समय इंजीनियरिंग स्नातकों के लिये अभिप्रेत पदों का कार्य कुछ और प्रशिक्षण के बाद इंजीनयरिंग के डिप्लोमाधारियों अथवा विज्ञान-स्नातकों द्वारा संतोषजनक रूप

†मूल अंग्रेजी में

से नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों से भी इसी प्रकार का कार्य विश्लेषण करने के लिये कहा गया है।

†**श्री सुरेंद्रपाल सिंह** : क्या विज्ञान के स्नातकों के समान ही डिप्लोमाधारी भी उच्चतर पदों पर पदवृद्धि पाने के हकदार होंगे अथवा किसी विशेष स्थिति पर रोग लगा दी जायेगी जिसके ऊपर वे उन्नति नहीं कर सकेंगे?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर** : यह केवल कुछ विभागों में कार्य विश्लेषणमात्र ही है। यह सामान्य कार्य-विधि नहीं है। ऐसी योजना पर विचार करते समय माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित बातों पर भी विचार किया जायेगा।

†**श्री प्रिय गुप्त** : केन्द्रीय सरकार के विभागों, जैसे रेलवे, डाक तथा तार, सिंचाई और विद्युत आदि, के संबंध में क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने उन वरिष्ठ अधीनस्थ और अधीनस्थ पदों का कार्य विश्लेषण कर लिया है जिन पर इस समय इंजीनियरिंग स्नातक अथवा इंजीनियरिंग अथवा अन्य वैज्ञानिक विषयों में डिप्लोमा धारी कार्य कर रहे हैं और क्या उनका मूल्यांकन किया गया है और चार्ट बनाया गया है?

†**अध्यक्ष महोदय** : अग्राह्य।

†**श्री प्रियगुप्त** : मेरा निवेदन है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनकी बात समझ ली है; किन्तु वह संगत नहीं है।

†**श्री प्रिय गुप्त** : उन्होंने कहा.....

†**अध्यक्ष महोदय** : वह मेरा निर्णय स्वीकार कर लें, मेरी उनसे यही प्रार्थना है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री ने कहा कि एक कार्य-विश्लेषण किया गया था। क्या यह केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त स्नातकों अथवा डिप्लोमाधारियों के विषय में था अथवा यह सामान्य कार्य-विश्लेषण था।

†**श्रीमती चन्द्र शेखर** : यह एक सामान्य कार्य विश्लेषण था। यह कोई विशिष्ट ध्येय से नहीं किया गया था। यह केवल इस बात को जानने के लिये किया गया था कि क्या डिप्लोमाधारी वह काम कर सकते हैं, जिससे स्नातक उससे अच्छा कार्य करने के लिये उपलब्ध हो सकें।

लेह में बौद्ध विश्वविद्यालय

\+

†*४७८. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेह, लद्दाख में एक बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये प्रयत्न किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस काम के लिये केन्द्रीय सरकार से किसी सहायता की प्रार्थना की गई है?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) केन्द्रीय सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

आपकी आज्ञा से मैं यह और कहना चाहूंगा कि भारत सरकार की सहायता से स्थापित बौद्ध दर्शन का स्कूल अक्टूबर, १९५९ से कार्य कर रहा है।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या इस संबन्ध में जम्मू तथा काश्मीर की सरकार को कभी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह प्रश्न जम्मू तथा काश्मीर की सरकार से ही पूछा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका अर्थ यह है कि उनके पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : मंत्री जी ने लेह में जिस माहाविद्यालय का जिक्र किया है, उसका विकास करने के लिये, उस विद्यालय को उन्नत करने के लिये क्या कोई कदम उठाया जा रहा है? और क्या माननीय कुशक बाकुला जी से उन्होंने कोई बातचीत की है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : विचार यह है कि बौद्ध दर्शन के इस स्कूल को उच्च बौद्ध शिक्षा के संस्थान के रूप में विकसित किया जाये। ध्येय यह है कि बौद्ध दर्शन के अध्ययन और शोध कार्य को प्रोत्साहित किया जाये, बनाये रखा जाये और इसे बल दिया जाये। यह एक अत्यन्त छोटे स्तर से आरम्भ हुआ था। इस समय इस में ३० विद्यार्थी हैं और विचार यह है कि १० छात्र प्रति वर्ष बढ़ाये जायें जब तक यह संख्या ५० तक न पहुंच जाये।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के रूप में लाने के लिये क्या भारत सरकार ने कोई आर्थिक व्यवस्था की है, कोई स्कीम बनाई है या उस के सम्बन्ध में उन्होंने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है?

†**श्री हुमायून् कबिर** : जैसा कि मैंने कहा है यह एक छोटे स्तर से आरम्भ किया गया था। हमने मांगे अनुसार अनुदान दिये हैं किन्तु इसके एक वास्तविक विश्वविक्षालय के रूप में विकसित होने में समय लगेगा।

डा० गोविंद दास : यह जो विश्वविद्यालय यहां स्थापित करने का विचार किया जा रहा है उस की शिक्षा का माध्यम क्या होगा, इस पर भी कुछ विचार किया जा रहा है?

श्री हुमायून् कबिर : उस को स्थापित करने का विचार नहीं किया जा रहा है, वह विद्यालय तो पहले से सी स्थापित है लेह में।

डा० गोविंद दास : मैं यह पूछ रहा था कि वहां की शिक्षा का माध्यम क्या होगा, कौन सी भाषा होगी?

श्री हुमायून् कबिर : यह ठीक है, लेकिन जो उन्होंने पूछा था कि क्या स्थापित करने का खयाल किया जा रहा है, तो उस का सवाल नहीं है, वह तो चालू है १९५९ से। वहां हिन्दी भी पढ़ाई जाती है और तिब्बती भी पढ़ाई जाती है।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री त्यागी : मैं पूछना चाहूंगा कि जिस संस्था में केवल तीस पैंतीस विद्यार्थी पढ़ते हों उसको यूनिवरसिटी कहना ठीक होगा ? और अगर इसको यूनिवरसिटी बनाना चाहते हैं तो इसके लिए वाइस चांसलर वगैरह का टाप हैवी एक्सपेंडीचर होगा. . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा है कि यह देखा जाएगा जब वक्तआएगा।

श्री त्यागी : अगर यह यूनिवर्सिटी बनेगी तो क्या उसमें यही एक विद्यालय रहेगा या हिन्दुस्तान के और भी विद्यालय उसमें शामिल होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, अभी तो यूनिवर्सिटी का कोई खयाल नहीं है।

श्री त्यागी : इन्होंने अभी कहा कि वहां एक यूनिवर्सिटी बनायी जाएगी।

श्री हुमायून् कबिर : जैसा कि मैंने कहा है अभी यह छोटे स्तर पर है। श्री कुशक बांकुला ने दिल्ली में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के विषय में हम से प्रार्थना की है। इस मामले का पूरी तरह अध्ययन किया जायेगा।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं. . . .

श्री शिवनारायण उठे–

अध्यक्ष महोदय : मैंने शिव नारायण जी को बुलाया था लेकिन वह उठे नहीं।

श्री शिव नारायण : मैंने सुना नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो क्या वह भी मेरा कुसूर है?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो बौद्ध विद्यार्थी यहां शिक्षा लेने के लिए आवेंगे उनको आपकी तरफ से क्या सहूलियत प्राप्त होगी ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : उन्हें वृत्तिका और छात्रवृत्तियां दी जाती हैं और लेह की संस्था में छात्रों को कुछ भी नहीं देना पड़ता। इसी प्रकार गंगतोक में भी एक संस्था है। वहां भी छात्रों को अर्थ सहायता दी जाती है, नालन्दा में भी एक संस्था है। और वहां भी सहायता दी जाती है किन्तु पूरी नहीं।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या लेह की वर्तमान संस्था बौद्ध दर्शन के विभिन्न मतों के अध्ययन को प्रोत्साहन देता है और उसके ज्ञान का प्रसार करता है अथवा केवल लामा दर्शन का ही।

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस समय इसे एक उच्च संस्था नहीं कहा जा सकता। यद्यपि उनका ध्येय यही है। इस समय वहां केवल तत्वों की ही शिक्षा दी जाती है और यथा समय यह उच्च संस्था के रूप में विकसित हो सकेगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अभी माननीय मंत्री जी ने दिल्ली के संबंध में संकेत किया। मैं जानना चाहता हूं कि जो दिल्ली का लद्दाखी बौद्ध विहार है उसके संबध में भी क्या दिल्ली विश्वविद्यालय ने कोई निर्णय लिया है। यदि हां, तो क्या ?

अध्यक्ष महोदय : वह दूसरा सवाल होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्नेहक संयंत्र

+

†*४७६. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री मुरारका :
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या **खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एस्सो के सहयोग से एक स्नेहक संयंत्र स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव की अनुमानित लागत क्या है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). लगभग १,४५,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता के एक संयंत्र को बनाने और चलाने के लिये सरकार और "एस्सो" का एक भारतीय समवाय स्थापित किया जायेगा। जिस में दोनों के बराबर अंश होंगे। कर्मवाहक पूंजी[1] के अतिरिक्त शेष का लागत का अनुमान ७.१ करोड़ रुपये का है।

†**श्री विभूति मिश्र** : यह कारखाना कहां स्थापित किया जायेगा ?

†**श्री अलगेशन** : बम्बई में ।

†**श्री विभूति मिश्र** : इस समवाय का उत्पादन कितना होगा ?

†**श्री अलगेशन** : इसकी क्षमता १,४५,००० टन की होगी।

†**श्री पं० वेंकटा सुब्बया** : क्या सरकार की नीति इस खोले जाने वाले तेल शोधक कारखाने के साथ ही स्नेहक पदार्थों का संयंत्र खोलने की भी है ?

श्री अलगेशन : हां, श्रीमान् । यह बम्बई में "एस्सो" तल शोधक कारखाने के बिल्कुल समीप ही स्थापित किया जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : यह कारखाना कब से पूरा उत्पादन आरम्भ कर देगा और देश की मांग किस सीमा तक पूरी कर सकेगा ?

†**श्री अलगेशन** : इस समय की अनुमानित मांग ३ लाख टन है। यह भी अनुमान है कि तीसरी योजना के अन्त तक यह मांग २ लाख टन और बढ़ जायेगी। मैंने कहा है कि इस की क्षमता १,४५,००० टन की है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : "एस्सो" और सरकार की अंश पूंजी की क्या प्रतिशतता होगी ?

†मूल अंग्रेजी में

[1]Working Capital.

†**श्री अलगेशन :** यह बात उत्तर देते समय बता दी गई थी। सरकार और "इस्सो" दोनों के बराबर अंश होंगे।

†**डा० रानेन सेन :** भारत सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प में यह दिया गया है कि तेल कारखाने का विकास आगे से सरकारी क्षेत्र में होगा। क्या इस सम्यन्ध में नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है ?

†**श्री अलगेशन :** नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री काशी राम गुप्त : इस फैक्टरी में कितने प्रकार के लुबरीकेंट बनाये जायेंगे और उन की क्वालिटी इम्पोर्टेड लुबरीकेंट्स से बराबर होगी या घटिया होगी ?

†**श्री अलगैशन :** मैं इस बात का उत्तर तुरन्त नहीं दे सकता।

†**श्री काशी राम गुप्त :** इस की किस्म कैसी होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उत्पादन आरम्भ होने दीजिये, मालूम हो जायेगा।

†**श्री दे० द० पुरी :** विदेशी मुद्रा में कितनी बचत होगी ?

†**श्री अलगेशन :** इस समय हम लगभग १४ करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। इस परियोजना के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा में अनुमानतः ३.५० करोड़ रुपये की बचत होगी।

बाल-कल्याण

†*४८०. { + **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**
श्रीमती विमला देवी : }

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल-कल्याण का कोई एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया जाना है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम राम चन्द्रन) :** (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

"बाल-कल्याण की एकीकृत सेवायें—प्रदर्शन परियोजना" नामक योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(१) इस योजना के अन्तर्गत २० प्रदर्शन परियोजनायें होंगी, प्रत्येक राज्य-मुख्य केन्द्र प्रशासन में एक परियोजना होगी।

(२) (क) प्रदर्शन परियोजना चालू करने के लिये एक ऐसा सामुदायिक विकास खंड चुना जायेगा जहां पहले से ही काफी विकास हो चुका है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) इस की कुल जनसंख्या ७५,००० होगी, जिस में ४० प्रतिशत अथवा ३०,०००, ०–१६ आयु-वर्ग के बच्चे होंगे ।

(३) प्रत्येक परियोजना की अवधि ४–५ वर्ष की होगी।

(४) निर्धारित क्षेत्र के समस्त बच्चों की हर प्रकार से समृद्धि के लिये स्वास्थ्य तथा पोषाहार, शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और कल्याण तथा मनोरंजन के क्षेत्रों में प्रत्येक परियोजना को एकीकृत और व्यापक सेवायें प्रस्तुत करनी होंगी ।

(५) प्रत्येक परियोजना का समस्त व्यय (औसतन ५ लाख रुपये) भारत सरकार वहन करेगी और इसकी कार्यान्विति संबंधित राज्य सरकार/केन्द्रीय प्रशासन की द्वारा की जायेगी ।

(६) राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, भारतीय बाल कल्याण परिषद्, की राज्य और जिला शाखायें वांछित ध्येय को प्राप्त करने में परियोजना की सहायता करेंगी और उसे सहयोग देंगी ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में १६६.२५ लाख रुपये (कार्यक्रम सीमा) और ९१.२५ लाख रुपये (वित्तीय सीमा) ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य:** इस बात को देखते हुए कि स्त्रियां अधिकाधिक संख्या में कार्य करने लगी हैं क्या ऐसी स्त्रियों के बच्चों की देखभाल करने की सरकार ने कोई व्यवस्था की है या ऐसी योजना है ?

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन्** : मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य का अभिप्राय बालगृहों से है, बालगृहों की स्थापना का प्रश्न महत्वपूर्ण है । किन्तु यह परियोजनायें ग्रामीण क्षेत्रों और सामुदायिक विकास खंडों में कार्य करेंगी । जहां भी आवश्यकता होगी बालगृह खोल दिये जायेंगे । आरम्भ में बालवाड़ी के बच्चों के लिये यह व्यवस्था की जायेगी ।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य:** क्या प्राथमिक पाठशालाओं में जाने वाले बच्चों को दूध और अन्य पोषक खाद्य पदार्थ मुफ्त बांटने के विषय में कोई व्यवस्था की गई है ?

श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन : स्कूल भोजन कार्यक्रम निश्चय ही राज्य का कार्यक्रम है जिसे केन्द्र से अर्थ सहायता प्राप्त होती है । कुछ राज्य सरकारों में स्कूल भोजन कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं और हम इस कार्यक्रम को ३–५ आयु वर्ग के बाल-वाड़ी के बच्चों के सम्बन्ध में भी लागू करेंगे । हम राज्य सरकारों से भी यह आग्रह कर रहे हैं कि ३–५ आय-वर्ग के बच्चों पर यह कार्यक्रम लागू करें ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : विवरण में यह कहा गया है कि प्रत्येक परियोजना स्वास्थ्य और पोषाहार के क्षेत्र में एकीकृत और व्यापक सेवायें प्रस्तुत करेगी और उसके लिये ५ लाख रुपये का उपबन्ध है । वास्तव में हम कौन सी एकीकृत व्यापक सेवायें प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

†**श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन** : मुझे हर्ष है कि आप ने यह प्रश्न पूछा । ५ लाख रुपये खंड की कुल सेवाओं के लिये नहीं है । कुछ सीमा तक पहले ही स्वास्थ्य, शिक्षा मनोरंजन आदि का प्रबन्ध है । इसीलिये हम ने कहा था कि यह काफी विकसित खंड होना चाहिये । समन्वय करने और सुधार करने से और भी बहुत कुछ किया जा सकेगा । यह सब राज्य की जिम्मेदारी है

---

†मूल अंग्रेजी में

और हम कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने और कुछ योजनाओं को सशक्त करने के लिये पांच वर्ष के लिये ५ लाख रुपये दे रहे हैं। सामाजिक कल्याण बोर्ड और अन्य स्वैच्छिक एजेंसी भी कार्य करेंगी जिससे कि यह सब तरह से एक सहकारी कार्यक्रम होगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : विवरण में यह बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने ५ लाख रुपये मंजूर किये हैं। क्या इसके अतिरिक्त राज्य सरकार भी कुछ रुपया व्यय करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने ऐसा कहा है।

†**श्रीमती सौदरम् रामचन्द्रन्** : राज्य सरकार विमुक्ति कार्यक्रम आदि को सबल बना रही है।

†**श्री बूटा सिंह** : क्या सरकार का अन्तिम ध्येय मां-बापों की उपेक्षा करके बच्चों को अभीष्ट सांचे में ढालना है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

†**श्री कपूर सिंह** : यह दिलचस्प प्रश्न है। यदि आप को आपत्ति न हो तो इसका उत्तर देने दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि इसका उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है।

†**डा० गोविंद दास** : क्या माननीय मंत्री इस बात को जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां हैं ? क्या प्रत्येक राज्य में एक ही प्रकार की योजना होगी अथवा विभिन्न राज्यों में विभिन्न योजनायें होंगी ?

†**श्रमती सौदरम् राम चन्द्रन्** : यह परियोजना राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और वे इस के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के सहयोग का भी उपयोग करेंगी। किन्तु अधिकतर कार्य राज्यों को ही आरम्भ करना होगा। हम ने केवल उन्हें उस कार्य का स्वरूप बतला दिया है। अतः प्रत्येक राज्य खंड और उपलब्ध सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपने स्वयं के बजट आदि को निर्धारण करेंगी और इस कार्य के विषय में उन्हें काफी मात्रा तक स्वतंत्रता दी गई है।

†**श्री दे० जी० नायक** : क्या गैर-सरकारी व्यवस्थाओं को पूर्व-प्राथमिक पाठशाला का कार्य सौंपा जायेगा और यदि हां तो सहायता अनुदानों का आधार क्या है ?

†**श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन** : पूर्व प्राथमिक शिक्षा को चालू करने और सहायता देने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा है। राज्यों में भी एक राज्यस्तर समन्वय समिति और खंड स्तर समन्वय समिति की स्थापना कर दी गई है और यह कार्यक्रम बनाना उन्हीं का कार्य है।

†**श्री तुलसी दास जाधव** : यह योजना सारे भारत वर्ष में कब से आरम्भ की जायेगी ?

†**श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन्** : आपात काल के कारण कार्यक्रम को चालू करने में कुछ बाधा पहुंची है। २० परियोजनाओं में से हम ने १७ को मंजूर कर दिया है किन्तु केवल सात राज्यों में इसे पूरी तरह लागू किया जा रहा है ; अन्य राज्यों में अभी केवल आरम्भ ही हो रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विज्ञान शिक्षा का स्तर

+

†*४८१. { **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :
श्री न० न० स्वामी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूलों तथा कालेजों में विज्ञान शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० संख्या १६४४।६३]**

†**श्री वासुदेवन नायर** : विवरण से पता चलता है कि विज्ञान की शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावपूर्ण है। इन पांच मदों में से किस ठोस सफलता का श्रेय इस विभाग को दिया जा सकता है ?

†**श्री हुमायुन् कबिर** : मेरा विचार है कि माननीय सदस्य स्कूलों की ओर निदेश कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : जी हां।

†**श्री हुमायूं कबिर** : आदर्श पाठ्यक्रम तैयार करने का काम हाथ में लिया गया है। डा० कोठारी, डा० भारतन और डा० महेश्वरी के सभापतित्व में क्रमशः भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए तीन समितियां स्थापित की गई हैं। आदर्श पाठ्यक्रम, आदर्श पाठ्य पुस्तकें और सहायक पुस्तकें तैयार करने का कायक्रम है। कई प्रकार से इसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हम विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान के प्रकाशनों के लिए सहायता देते हैं। आम लोगों के अध्ययन के लिये भारतीय भाषाओं में विज्ञान की पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए भी सहायता दी है। इस सब मामलों में कार्यक्रम बनाने और उन के प्रभाव के लिये समय लगेगा किन्तु प्रक्रिया आरम्भ हो गई है।

†**श्री वासुदेवन् नायर** : क्या सरकार को विदित है कि हमारे कई स्कूलों में प्रयोगशालायें नहीं हैं ? सरकार इस के लिए क्या प्रयत्न कर रही है कि सभी स्कूलों में प्रयोगशालाएं हों।

†**श्री हुमायूं कबिर** : जहां स्कूलों का स्तर ऊंचा किया गया है और हायर सेकेन्डरी स्कूल स्थापित किये गये हैं वहां प्रयोगशालाएं स्थापित करने के लिए सरकार अनुदान देती है। दुर्भाग्यवश आशा के प्रतिकूल तेजी से प्रगति नहीं हुई किन्तु हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इस के अलावा वर्तमान स्कूलों को भी सहायता दी गई है। विज्ञान मंदिरों में छोटी प्रयोगशालायें हैं। विज्ञान क्लबें स्थापित की गई हैं। इस समय स्कूलों में ६५० विज्ञान क्लबें स्थापित की जा चुकी हैं। इन सब तरीकों से हम प्रक्रिया को तेज़ कर रहे हैं।

श्री सरजू पांडेय : देश भर में बहुत सारे स्कूलों में न तो साइंस के टीचर्स उपलब्ध हैं और न स्कूलों में साइंस की पढ़ाई के लिए ज़रूरी सामान लेबोरेटरी आदि की व्यवस्था है, मैं जानना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री हुमायू कबिर : साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग का इन्तज़ाम किया गया है । अब हर साल साइंस टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए दो समर स्कूल्स लगते हैं जहां कि उन को इस की ट्रेनिंग देने का इंतज़ाम है ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित लोग प्राप्त करने अथवा वैज्ञानिक प्रवृत्ति और दृष्टिकोण प्राप्त करने के हेतु विज्ञान की शिक्षा और विज्ञान के ज्ञान पर बल दिया जा रहा है ।

†**श्री हुमायूं कबिर :** दोनों कारणों से । किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता । स्कूलों में तो छात्रों में जिज्ञासा की भावना जगानी है ।

श्री यशपाल सिंह : इमरजेंसी पीरियड की बढ़ती हुई डिमांड्स को मीट करने के लिए क्या सरकार ओवरसियर्स और ड्राफ्ट्समैन के क्लासों को एक करने के बारे में सोच रही है ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री कछवाय : क्या सरकार को इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि कुछ साइंस कालिजों के अन्दर विद्यार्थियों का सामान और दूसरे सम्बन्धित इंक्विपमेंट्स चोरी चले जाते हैं ?

†**श्री हुमायूं कबिर :** मैं प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वे जानना चहते हैं कि क्या इन संस्थाओं से फर्नीचर और अन्य सामान गुम होने की शिकायतें मिली हैं ?

†**श्री कपूर सिंह :** यदि हां तो किस के द्वारा ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** यदि हां तो किस के द्वारा ?

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय मेरे सवाल का उत्तर दिया जाय ।

अध्यक्ष महोदय : वह इस से सम्बन्ध नहीं रखता है ।

श्री यशपाल सिंह : मैं ने पूछा है कि क्या ओवरसियर और ड्राफ्ट्समैन के क्लासों को एक करने के बारे में सरकार सोच रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वह एक अलहदा सवाल है और उस के लिए आप अलग से नोटिस दें । इस में जवाब उन के पास नहीं है ।

†**श्री काशी राम गुप्त :** जिन स्तर का विचार किया गया है क्या वह इंगलैंड और अमरीका के स्तर के बराबर है ?

†**श्री हुमायूं कबिर:** मेरे मित्र निम्न स्तर से क्यों सन्तुष्ट होंगे ?

†**श्री प्र० रा० पटेल :** अब ग्रामों में भी स्कूल और कालेज बनने लगे हैं ग्राम क्षेत्र के स्कलों और कालेजों में विज्ञान शिक्षा के सुधार के लिए क्या किया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायूं कबिर** : विज्ञान शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं और अन्य वस्तुओं सम्बन्धी सुविधाओं का जहां तक सम्बन्ध है ग्राम क्षेत्रों और नगर क्षेत्रों में भेद भाव नहीं किया जाता ।

†**डा० सरोजिनी महिषी** : देश में कितने विज्ञान मंदिर हैं और उनके प्रत्यक्ष परिणाम क्या हैं ?

†**श्री हुमायू कबिर** : यह प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता किन्तु जहां तक मझे याद है वे ५० हैं ।

†**श्री बासप्पा** : क्या विज्ञान के अध्यापकों को अतिरिक्त भत्ता या वेतन देने का विचार है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : विज्ञान के अध्यापकों को विशेष वेतन देना सराहनीय सिद्धान्त नहीं होगा किन्तु वेतन अर्हताओं के अनसार होना चाहिये ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : विवरण के पृष्ठ १ की मद (३) में बताया गया है कि वैज्ञानिक उपकरण मंगाने के लिए विदेशी मुद्रा दी जाती है । इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकार की गई है, कितनी खर्च की जा चुकी हैं और किस राज्य को सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : एक प्रश्न में तीन चार प्रश्न पूछे गये हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वे एक का ही उत्तर दें ।

†**श्री हुमायूं कबिर** : विश्व विद्यालय अनदान आयोग ने बताया है कि विदेशी मुद्रा का उपबन्ध किया गया है किन्तु उन्होंने मात्रा नहीं बताई । किन्तु मैं बता सकता हूं कि देश भर में सारे विश्वविद्यालयों के लिए वर्ष में लगभग १ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है ।

श्रीमती सावित्री निगम : एक प्रश्न का भी पूरा उत्तर नहीं दिया गया । मैं जानना चाहती हूं कि कितनी मुद्रा खर्च की जा चुकी है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक प्रश्न को चुन लिया । संभवतः वे इसे नहीं चाहती थीं ।

†**डा० गोविंद दास**: क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि डा० कोठारी अनेक बार यह बात कह चके हैं कि वैज्ञानिक स्तर पर हम इसलिए ऊंचे नहीं हो रहे हैं कि हमें एक विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा शिक्षा दी जा रही है और क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किया जा रहा है कि यह सारी शिक्षा हमें भारतीय भाषाओं के माध्यम के द्वारा दी जाय ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : माध्यमिक शिक्षा तो अधिकांशतः प्रादेशिक भाषा में दी जाती है अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रामाकृष्ण मिशन बेलूर में विश्वविद्यालय

†*४८२. **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खान :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बेलूर स्थित रामाकृष्ण मिशन द्वारा सरकार को भेजे गये अभ्यावेदन में स्वामी विवेकानन्द की जन्म शताब्दी की स्मृति में उनके नाम में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने के हेतु किसी वित्तीय सहायता की मांग की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार विश्वविद्यालय स्थापित करने में सहायता करने का विचार कर रही है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर):** (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने रामा कृष्ण मिशन बेलूर द्वारा दिया गया एक आवेदन पत्र और विधेयक का प्रारूप भेजा है जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का परामर्श मांगा गया है ।

(ख) न तो केन्द्रीय सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये अनुदान देता है किन्तु किसी विश्वविद्यालय के स्थापित होने के उपरान्त आयोग विकास परियोजनाओं के लिये सहायता देता है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** माननीय मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने रामाकृष्ण मिशन बेलूर द्वारा दी गई एक योजना भेजी है । क्या योजना का ब्यौरा दिया गया है और यदि हां, तो किस प्रकार का विश्वविद्यालय वहां स्थापित किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** उन्होंने एक प्रार्थना पत्र और विधेयक का प्रारूप भेजा है । अतः उस में सब ब्यौरा दिया गया है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पश्चिम बंगाल सरकार को उपयुक्त परामर्श भेजेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा:** चूंकि विवेकानन्द की शताब्दी देश भर में और सारे संसार में मनाई जा रही है तो क्या सरकार टैगोर शताब्दी की तरह इस आयोजन के लिये भी कुछ करने का विचार रखती है?

†**श्री हुमायून् कबिर :** इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु हमने स्वामी विवेकानन्द की पुस्तकों सभी भारतीय भाषाओं में प्रकाशन और अंग्रेज़ी में प्रकाशन के लिये काफी सहायता दी है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** क्या सरकार स्वामी विवेकानन्द के नाम से एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार कर रही है ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** क्योंकि इस समय ऐसी कोई संस्था नहीं है अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री अ० चं० गुह :** माननीय मंत्री ने कहा है कि विधेयक में विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत ब्यौरा है क्या यह एकात्मक विश्वविद्यालय होगा या रामाकृष्ण मिशन द्वारा बंगाल और उस के बाहर चलाये जाने वाले सारे स्कूल इसके अन्तर्गत होंगे ?

श्री हुमायून् कबिर : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशें मिलने पर पता लगेगा कि उसका अन्तिम रूप क्या होता है और पश्चिम बंगाल सरकार क्या पारित करती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री कछवाय: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या दक्षिण भारत से भी इस प्रकार की मांग आई है, यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या विचार किया है ।

श्री हुमायून् कबिर : ऐसी कोई मांग दक्षिण भारत से नहीं आई है ।

†**डा० रानेन सेन:** यह कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय रामकृष्ण मिशन बेलूर के प्रयत्नों द्वारा स्थापित किया जायेगा । यह भी बताया गया कि वे जमीन का काफी बड़ा टुकड़ा चाहते हैं ताकि वहां भवन बनाया जा सके । क्या सरकार ने इस पर विचार करके उन्हें सहायता देने का प्रयत्न किया है ?

†**श्री हुमायूंन् कबिर :** जैसा कि मैं ने कहा है इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है और उस से प्रश्न पूछना चाहिये ।

दिल्ली में वानस्पतिक उद्यान

†४८३. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री वारियार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :
श्री प्र० के० देव :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में एक वानस्पतिक उद्यान बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मोटी-मोटी बातें क्या हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) दिल्ली के मास्टर प्लान में भूदृश्य समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कुतुब के गिर्द हरियाली के क्षेत्र में बाग लगाने का विचार है ।

आप की अनुमति से मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार के पास केवल प्रस्ताव है और अन्तिम निर्णय तभी किया जा सकता है जब आवश्यक धन उपलब्ध होगा और योजना आयोग योजना की अनुमति देगा ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या योजना आयोग से और भारत सरकार से धन प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**डा० मा० मो० दास :** इस सम्बन्ध में कुछ प्रयत्न किये जा रहे हैं । उदाहरण के लिये हमने दिल्ली प्रशासन से पूछा है कि इस प्रयोजन के लिये प्रयोग किये जाने वाली भूमि पर कितनी लागत

---

†मूल अंग्रेजी में

आयेगी क्योंकि भूमि गैर-सरकारी लोगों की है। हमने भारत के वानस्पतिक सर्वेक्षण से भी इस बारे में प्रस्ताव देने के लिये कहा है और उनके मिलने पर अन्य आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या इस मामले को शीघ्र निपटाने के लिये विभिन्न विभागों की एक समिति नियुक्त की गई है यदि हां, तो सदस्यों के नाम क्या हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : जैसा मैं ने पहले बताया यह अभी प्रस्ताव है और अन्तिम निर्णय अभी करना है। योजना पर भारी व्यय होगा। यदि हम बाग लगाने के लिये लगभग २०० एकड़ भूमि लें तो भूमि के मालिकों को ४० लाख रुपया दिया जायेगा।

अतः हमे योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से अनुमति प्राप्त करनी है।

†**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह** : क्या महरौली के आस पास वानस्पतिक बाग लगाने का प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व भूदृश्य समिति ने भूमि के चुनाव और बाग के विकास के उपाय के सम्बन्ध में देश के वनस्पति विशेषज्ञों से सलाह ली थी।

†**डा० म० मो० दास** : भूदृश्य समिति ने यह बाग कुतुब के आस पास लगाने की सिफारिश की है। यह पता नहीं कि उस समिति ने विख्यात बनस्पति शास्त्रियों से सलाह ली थी या नहीं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : एक वानस्पतिक बाग कलकत्ता में और एक लखनऊ में है। इनकी तुलना में इस बाग में क्या विशेषता होगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : भारत जैसे विशाल देश में एक या दो से अधिक वानस्पतिक बागों की आवश्यकता है। इसके लिये विशेष प्रयत्न किये जायेंगे कि दिल्ली के बाग में कुछ विशेषतायें रखी जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री त्यागी।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : वह विशेष बात क्या होगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : विशेष बात यह होगी कि यह दिल्ली में होगा और अन्यथा यह वानस्पतिक बाग होगा।

†**श्री त्यागी** : इस आपातकाल में इस वानस्पतिक बाग पर १ करोड़ रुपया खर्च करने में क्या औचित्य है जब कि यह विकास मात्र है? क्या सैनिकों को धन की आवश्यकता नहीं? क्या प्रतिरक्षा के लिए धन नहीं चाहिये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है।

†**श्री त्यागी** : मंत्रालय वचनबद्ध है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न। श्री भक्त दर्शन।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें

+

*४८४. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना : }

क्या गृह-कार्य मंत्री २७ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सेवा परीक्षाओं में साक्षात्कार परीक्षा (इन्टरव्यू) को समाप्त करने अथवा उसके लिए निर्धारित अंकों को कम करने के विषय में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है तथा इसके कब से लागू किये जाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) अर (ख). अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिये साक्षात्कार (इन्टरव्यू) को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केवल इतना ही प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचाराधीन है कि साक्षात्कार के लिये अधिकतम कितने अंक निर्धारित किये जावें। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जहां तक मुझे ज्ञात है, भूतपूर्व गृह मंत्री, स्वर्गीय पन्त जी, ने इस सुझाव के औचित्य को स्वीकार किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि फिर इस सम्बन्ध में इतनी देरी होने का क्या कारण है और कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय किया जा सकेगा।

श्री हजरनवीस : निर्णय तो जल्दी से जल्दी हो जायेगा, लेकिन यह एक बहुत महत्व का प्रश्न है और इस बारे में संघ लोक सेवा आयोग के साथ विचार चल रहा है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, संघ लोक सेवा आयोग से जो पत्र-व्यवहार हुआ है, उसमें आयोग ने इस सम्बन्ध में क्या सम्मति दी है ? क्या उन्होंने इसका विरोध किया है या समर्थन किया है ?

श्री हजरनवीस : किसी निर्णय पर न तो आयोग पहुंचा है और न सरकार। उन्होंने सुझाव दिया है कि इस बारे में एक उपसमिति बनाई जाये, जिसका अध्यक्ष उनका एक सभासद हो और वहां पर इसके बारे में और विचार किया जाये। मंत्रालय ने खुद जांच की थी। उसमें यह पाया गया कि जो गुण किसी व्यक्ति में साक्षात्कार की परीक्षा में मिलते हैं, नौकरी में जाने के बाद वह जिस तरह निकलता है, उससे उनका कोई अधिक सम्बन्ध नहीं है।

†**श्री भागवत झा आजाद :** इन साक्षात्कार परीक्षाओं की स्थिति असंतोषजनक होने की बात को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार इस द्वारा सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए समय निर्धारित किया गया है क्योंकि इस पर बहुत समय से सभा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं ?

†**श्री हजरनवीस :** सरकार माननीय सदस्य के समान ही उत्सुक है कि इस प्रश्न का अन्तिम निर्णय हो जाये किन्तु प्रश्न कठिन और जटिल है।

†**श्री रंगा :** कितने वर्षों से कठिन है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : कितने वर्षों से ?

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न है कि क्या सरकार समय निर्धारित करना चाहती है ?

†**श्री भागवत झा आजाद** : हमें हर बार एक ही उत्तर दिया जाता है । हम जानना चाहते हैं कि क्या समय निर्धारित किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा)** : जब अगला सत्र होगा तो इस विषय का निर्णय हो चुका होगा ।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने अन्य लोकतंत्र देशों में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर सेवाओं में नियुक्ति के मामले का अध्ययन किया है ? क्या विदेशों में मौखिक परीक्षाएं नहीं होतीं ?

†**श्री हजरतवीस** : यह अध्ययन अवश्य होना चाहिये । मेरे पास इस समय ब्यौरा नहीं किन्तु ऐसा विचार किया गया होगा । किन्तु इसमें परस्पर सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम सेवक यादव ।

श्री राम सेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय के पास इस प्रकार की शिकायतें आई हैं कि साक्षात्कार के समय कुछ पक्षपात होता था और इसलिए यह फैसला लिया जा रहा है ।

श्री नन्दा : यह फैसला करते वक्त सब बातों का ख़याल रखा जायगा ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस साक्षात्कार के लिए कितने प्रतिशत नम्बर रख गये हैं और क्या विचाराधीन विषयों में एक विषय यह भी है कि उसके नम्बरों का प्रतिशत कम कर दिया जाये, ताकि पक्षपात न हो सके ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर तो दिया जा चुका है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : कितने प्रतिशत नम्बर हैं, यह नहीं बताया है ।

श्री नन्दा : चार सौ हैं ।

श्री प्रिय गुप्त : जो प्रोमोशंस क्लास वन में होती हैं, उनके बारे में जो एक एग्जामीनेशन लिया जाता है, उसके बावजूद भी जब पोस्ट को फिल अप किया जाता है तो जिसने एग्जामीनेशन पास किया होता है उस आदमी को न लेकर दूसरे आदमी को ले लिया जाता है और बाद में उससे एग्जामीनेशन पास करवाया जाता है, जैसे नार्थ ईस्टर्न फ्रंटीयर रेलवे में होता है, क्या इसकी इजाजत है ? इसको भी क्या आप नामंजूर करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन्हें मेरे अधिकारों पर संदेह है ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : नहीं, श्रीमान् । मैं इस विनिर्णय के लिए आभारी हूं । किन्तु मैं समझ नहीं सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें इस प्रकार आरोप नहीं लगाने चाहियें । प्रश्न यह है कि क्या अखिल भारतीय सेवाओं में मौखिक परीक्षा के अंक कम किये जा रहे हैं । अब प्रश्न क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रिय गुप्त : प्रश्न यह है कि मैं एक व्यक्ति को अखिल भारतीय सेवाओं विभाग द्वारा पदोन्नति देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं में कतिपय पदोन्नतियां विभाग द्वारा और प्रविधिक परीक्षा द्वारा तथा मौखिक परीक्षा तथा पिछली सेवा के आधार पर भी की जाती हैं। मैं इस सम्बन्ध में सरकार की नीति जानना चाहता हूं। जब कोई व्यक्ति पास हो जाता है तब भी उसे पदोन्नति नहीं दी जाती। किसी और को पदोन्नत किया जाता है। इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इसका कोई उत्तर है?

†**श्री हजरतवीस** : यह मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता किन्तु विभागीय पदोन्नतियों के लिए परीक्षायें नहीं होतीं। इसके अभ्यंश निर्धारित नहीं हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका अभिप्राय यह है कि क्या विभागीय पदों में परीक्षाएं होती हैं और उन मौखिक परीक्षाओं के लिए कोई अभ्यंश निर्धारित हैं और क्या उसमें भी कमी करने का विचार किया जा रहा है?

†**श्री हजरतवीस** : मुझे जहां तक पता है विभागीय पदोन्नतियों के लिए कोई मौखिक परीक्षा नहीं होती। संघ लोक सेवा आयोग की एक समिति है जो गत सेवाओं के आधार पर सिफारिशें करती है।

†**अध्यक्ष महोदय**: मुझे खेद है, यद्यपि यह कहने में विलम्ब हो गया कि श्री प्रिय गुप्त ने मेरे विनिर्णय पर भी आरोप लगाया और यह कहा, इसको भी आप नामंजूर करेंगे? इसका मतलब यह हुआ कि मैं ने गलत किया। मैं ने आपकी तसल्ली करने के लिए इसकी इजाज़त तो दे दी, लेकिन यह सवाल जो था इसकी मैं ने गलत तौर पर इजाज़त दी। यह भी रेलेवेंट (प्रकरण संगत) नहीं था।

†**श्री प्रिय गुप्त** : कृपया मुझे गलत न समझिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने उन्हें सदा ठीक समझा है। उन्हें चाहिये कि मुझे गलत न समझें।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या माननीय मंत्री सभा को यह बतायेंगे कि क्या मौखिक परीक्षा के दुरुपयोग के कारण कुछ लोगों की शिकायतों पर मौखिक परीक्षा के अधिक अंकों में कमी करने का विचार किया गया है या उम्मीदवारों के चुनाव के आधार के रूप में मौखिक परीक्षा के महत्व की फिर से सूक्ष्म दृष्टि द्वारा जांच की गई है?

†**श्री हजरतवीस** : मेरा विचार है कि संघ लोक सेवा आयोग या इस शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं मिली। किन्तु परीक्षाओं और भर्ती की सभी पद्धतियों पर निरंतर विचार किया जा रहा है। सभा में यह सुझाव दिया गया कि व्यक्तित्व परीक्षा के लिए अंक अनुपात की दृष्टि से लिखित परीक्षा से अधिक हैं। अतः इस विषय की जांच की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग पर कोई आरोप नहीं है।

श्री सरजू पांडेय : इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की गई है और यदि की गई है तो कितनी राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में अपनी राय दी है?

†**श्री हजरतवीस** : मेरे पास ब्यौरा नहीं है। हम निश्चय ही उस पर भी विचार करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० सरोजनी महीषि** : व्यक्तित्व परीक्षा के सम्बन्ध में अखिल भारतीय सेवाओं के लिए और केन्द्रीय सेवाओं की परीक्षाओं के लिए अंक नियत करने के हेतु क्या आधार हैं ?

†**श्री हजरतवीस** : मैं आप को सैद्धांतिक परीक्षाओं का ब्यौरा नहीं दे सकता। वास्तव में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा के लिए व्यक्तित्व परीक्षा के अंक ४०० हैं और भारतीय पुलिस सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाओं के लिये ३०० हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि आल इंडिया सर्विसिज में हिन्दी हिन्दुस्तान के खास-खास किन्हीं सूबों के लोगों का ज्यादा प्रतिनिधित्व हो गया है और बाकियों का नहीं हुआ है ?

श्री हजरतवीस : यह तफ्सील मेरे पास नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब प्रश्न संख्या ४८५। श्री हरिश्चन्द्र माथुर। माननीय सदस्य उपस्थित नहीं। अब अगला प्रश्न।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : प्रश्न संख्या ४८६।

†**श्री रंगा** : नेफा प्रतिवेदन का अभी पता नहीं लगा।

†**श्री त्यागी** : अगला प्रश्न आरम्भ हो चुका है।

हिन्दी की प्रगति

*४८६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् में क्या उन्होंने कोई ऐसी बात कही थी कि राज्यों में हिन्दी की प्रगति देखते रहने के लिए कोई केन्द्रीय स्तर पर समिति बनाना ठीक होगा;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक अन्तिम निर्णय हो जाने की संभावना है; और

(ग) इस समिति का गठन किस आधार पर किया जायेगा तथा इसका क्या काम होगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार इस पर गौर कर रही है।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में। यह उत्तर स्पष्टतः ठीक दिखाई नहीं देता। यह ब्यान जो गृह-कार्य मंत्री का कहा जाता है, वर्तमान गृह-कार्य मंत्री का नहीं है। इसलिए उत्तर में केवल हां कह देना ठीक नहीं। रिकार्ड में इसे ठीक कर लेना चाहिए।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ भी है इसे रहने दीजिये।

†**श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : माननीय मंत्री जी ने बताया है कि सरकार हिन्दी के कार्य को प्रगति देने के सम्बन्ध में एक समिति के गठन पर विचार कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक इस पर अन्तिम निर्णय हो जायेगा और इस समिति को जो कार्य सौंपे जायेंगे, वे क्या-क्या होंगे ?

श्री हजरतवीस : यह समिति जल्दी से जल्दी बनाई जायेगी, जल्दी से जल्दी इसकी स्थापना की जायेगी। जो काम इस को सौंपे जायेंगे, वे होंगे, हिन्दी की प्रगति कहां तक हुई है, कितनी जल्दी

---

†मूल अंग्रजी में

हो सकती है, कौन-कौन सी उस में दिक्कतें आ रही हैं और किस तरह से उनको पार कर सकते हैं, आदि ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : राजभाषा विधेयक पर चर्चा के समय भूतपूर्व गृह मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हिन्दी के कार्य को प्रगति देने के लिए विभिन्न राज्यों से भी परामर्श लिया जायेगा और एक अखिल भारतीय कार्यक्रम तैयार किया जायेगा । क्या राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में कुछ परामर्श लिया गया है, यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है, उन्होंने क्या परामर्श दिया है ?

श्री हजरनवीस : अभी तो परामर्श का कार्य चला हुआ है । कोई साफ इसके बारे में उन की राय मालूम नहीं हुई है । परामर्श लेने का यह भी तरीका हो सकता है कि एक समिति बन जाय जिसमें उनके प्रतिनिधि हों और उनको जानकारी हो । इस सब के बारे में हम सोच रहे हैं ।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : जो प्रस्ताव विचाराधीन है, उस की क्या रूपरेखा है ?

श्री हजरनवीस : रूप रेखा तो मैं नहीं कह सकता हूं । जब समिति बन जायेगी तभी पता चलेगा । वह एक प्रतिनिधि समिति हो सकती है, चाहें तो उस में राज्यों के प्रतिनिधि हो सकते हैं, उनको प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, या भाषा को दिया जा सकता है, प्रदेशों को दिया जा सकता है । लेकिन इस के बारे में कोई अधिकृत निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : द्वितीय सरकारी भाषा आयोग की नियुक्ति के बारे में सरकार की इच्छा क्या है ? संविधान के अनुसार तो इसकी नियुक्ति अब तक हो जानी चाहिये थी ?

†**श्री हजर नवीस** : पहली बात यह कि इस प्रश्न के अन्तर्गत मुख्यतः यह बात नहीं आती । दूसरे मैं यह बात स्पष्ट कर चुका हूं कि इस आयोग की नियुक्ति आदेशात्मक नहीं । फिर भी हमारा दृष्टिकोण इस बारे में स्पष्ट है, यदि हम ने जरूरत समझी तो आयोग नियुक्त करेंगे ।

श्री शिव नारायण : अब तक क्या प्रोग्रेस आप ने की है ? आप कहते हैं कि सोच रहे हैं, प्रोग्रेस बतायें कि क्या हुई है ?

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इसके बारे में नहीं है ।

डा० गोविंद दास : क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि खेर आयोग के प्रतिवेदन में, उस के बाद जो संसदीय समिति बैठी, उसके प्रतिवेदन में और उसके बाद जब राष्ट्रपति जी के आदेश निकले, उन में से कोई भी अभी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया है । क्या इस पर भी सरकार विचार कर रही है कि इन प्रतिवेदनों में और राष्ट्रपति के आदेश में जो कुछ कहा गया है, उसको तुरन्त कार्यरूप में परिणत किया जाय ?

श्री हजरनवीस : बहुत कुछ तो हो चुका है । हो सकता है कि जो कुछ हुआ है, उस से माननीय सदस्य को समाधान न हुआ हो और वह जल्दी करना चाहते हों ।

श्री शिव नारायण : आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर । मनानीय मंत्री जी ने कहा है कि बहुत कुछ हो गया है । थोड़ा सा तो वह बताने की कृपा करें कि क्या हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : सवाल यह था कि कोई कमेटी वे बिठाने जा रहे हैं या नहीं। इस तरह की चीजें इसमें नहीं आती हैं। पहले जो हुआ था, लैंगुएज कमीशन जो बैठी थी उसने क्या सिफारिशें की थीं, दूसरी बैठी उसने क्या सिफारिशें की और उस के बाद आदेश निकले, उन में से कौन-कौन से इम्प्लीमेंट हुए, ये सब इस में से कैसे निकलते हैं।

डा० रानेन सेन : इस सदन में पिछली मर्तबा एजुकेशन मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री ने कहा था (हंसी) आप हंसिये नहीं।

अध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ मेरी तरफ देखते रहें, मैं नहीं हंसूगा।

डा० रानेन सेन : शिक्षा मंत्री ने कहा था कि आफिशल लैंग्वेज कमिशन की सिफारिश के अनुसार हिन्दी भाषा भाषी अंचलों में माडर्न इंडियन लैंग्वेज की भी चर्चा होनी चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूं कि आज तक इसके बारे में क्या हुआ, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर का यह जवाब था कि यू० पी० और बिहार वगैरह जगहों में किसी माडर्न इंडियन लैंग्वेज की चर्चा नहीं हो रही है। उस के बाद आज तक क्या हुआ ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। जब कोई गैर-हिन्दी इलाके का आदमी हिन्दी बोले तो हिन्दी वालों को कभी उस पर हंसना नहीं चाहिये। यह बहुत बुरी बात है।

श्री रघुनाथ सिंह : आप ने उल्टी बात कही। हमने तो तारीफ की थी।

अध्यक्ष महोदय : यहां चूंकि आजादी है इसलिये सभी बातें कही जाती हैं। उल्टी भी कह सकते हैं। इस में क्या किया जा सकता है ? माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री हजरनवीस : इस सवाल का जवाब शिक्षा मंत्री दे सकते हैं।

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने क्या कोई निर्देश दिये हैं ? क्या यह बतलाया गया है कि इसे इस प्रकार से चलना चाहिये ? यदि दिये गये हैं तो कौन से आदेश हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति।

†**श्री कपूर सिंह** : क्या सरकार इस दिशा में भी कोई कदम उठा रही है कि हिन्दी के प्रचार के साथ-साथ उसके साथ पैदा होने वाली भाषायी उग्रता को अलग रखा जा सके ?

†**श्री हजरनवीस** : इस प्रश्न के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका केवल एक ही उत्तर है कि ये दोनों अलग-अलग प्रश्न हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग रखने का यत्न किया जा रहा है।

†**एक माननीय सदस्य** : मंत्री महोदय को ऐसा कहना चाहिए।

†**श्री वेंकटासुब्बया** : अहिन्दी भाषी राज्यों ने विशेष कर यह इच्छा प्रकट की है कि हिन्दी को लागू करने की नीति को धीरे-धीरे लागू किया जाय। हिन्दी तथा अन्य विभिन्न भाषाओं में शत्रुता नहीं होनी चाहिए।

†**श्री हजरनवीस** : जब राष्ट्रपति का आदेश आया था तो राज्य सरकारों की राय जानी जा रही थी। मेरे विचार में स्थिति में कोई अन्तर नहीं आया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

गोआ में खनन उद्योग

+

†*४८७. श्री भागवत झा आजाद :
श्री अ० व० राघवन :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोआ में खनन उद्योग को ठोस आधार पर लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

गोआ के खनन उद्योग को ठोस आधार पर लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं, अथवा किये जाने का विचार है :—

(१) गोआ, दमन और दीव की सरकार खान खनन (विनियमन और विकास) अधिनियम, १९५७ को इस क्षेत्र पर लागू करना चाहती है । उसका उद्देश्य यह है कि खानों को नियमित कर के खनन का विकास वैज्ञानिक आधार पर किया जाय इस क्षेत्र में इस अधिनियम के लागू करने के साथ-साथ खनन रियायत नियम, १९६० और खनन विकास नियम, १९५८ को भी लागू किया जायेगा जिसे कि अधिनियम के अन्तर्गत बनाया गया है । इसके अतिरिक्त गोआ सरकार का इरादा क्षेत्र में खान अधिनियम, १९५२ को भी लागू करना, जिससे खानों में काम करने वालों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके तथा उस सम्बन्ध में नियम बनाये जा सकें ।

(२) केन्द्रीय सरकार ने गोआ में लौह अयस्क का प्रयोग करने के लिये संयंत्र चालू करने की योजना को स्वीकृत कर लिया है ।

(३) गोआ में एक इस्पात संयंत्र जो कि १५ लाख टन की क्षमता का होगा लगाने की सम्भावना का परीक्षण किया जा रहा है । वैसे सिद्धान्त की दृष्टि से मैसर्ज़ वी० एस० डैम्पों एंड कम्पनी लिमिटेड के १००००० टन क्षमता वाला संयंत्र, गोआ में कच्चे लोहे के लिये लगाने का प्रस्ताव स्वीकार कर चुकी है ।

(४) गोआ की सरकार गोआ में सरकारी खनन विभाग गोआ का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है ताकि खान मालिकों को अधिक सेवा, अनुसंधान तथा विश्लेषण इत्यादि करने की सुविधायें प्राप्त हो सकें ।

भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण की ओर से राज्य में विभिन्न खननों की उपलब्धी का अनुमान लगाने के लिए क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है ।

(६) गोआ में विद्युत् सम्भरण, सड़कों तथा पत्तन सुविधाओं के विकास के कार्यक्रमों से इस बात की आशा की जा रही है कि खनन उद्योग कुछ वर्षों में काफी शक्तिशाली बन जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भागवत झा आजाद** : इस विवरण से स्पष्टतः यह पता नहीं चलता कि वहां उत्पादन में कुछ कमी बढ़ती हुई है । क्या इस उद्योग में गोआ में कुछ सुधार हुआ है ? यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है ?

†**श्री तिम्मैय्या** : १९६२ में गोआ में लौह अयस्क का उत्पादन ५४,४०,४२१ टन था, और १९६३ (जनवरी से जुलाई) में यह उत्पादन ३३,८५,८६० टन ।

†**श्री भागवत झा आजाद** : क्या सरकार के पास इस प्रकार का कोई अभ्यावेदन उन लोगों की ओर से प्राप्त हुआ है जोकि इस व्यापार में है और उन्हें वहां गोआ में इस दिशा में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ?

†**श्री तिम्मैय्या** : मुख्य कठिनाई यह थी कि बहुत बड़ी मात्रा में लौह-अयस्क बेकार रहती थी और उसके लिए निर्यात की कोई व्यवस्था नहीं थी । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय ने इस बात को नोट कर लिया है और वह स्टाक का निर्यात करने की व्यवस्था कर रहे हैं ।

†**श्री राम सहाय पांडेय** : स्वतन्त्रता के पश्चात् गोआ में खनन के लिए कितने गैर-सरकारी सार्थों को लाइसेन्स दिये गये हैं ?

†**श्री तिमैय्या** : यह जानकारी इस समय मेरे पास नहीं है ।

†**श्री शिवनंजप्पा** : क्या गोआ में कच्चे लोहे का कोई संयंत्र लगाने की प्रस्थापना है ?

†**श्री तिमैय्या** : जी हां, एक कच्चे लोहे का संयंत्र, जिसकी क्षमता एक लाख टन होगी, सिद्धान्त रूप में लगाना भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : हमें बताया गया है कि इस्पात संयंत्र लगाने की सम्भावना पर विचार किया जा रहा है । इस विचार को कब तक पूर्ण रूप दे देने की सम्भावना है । इसमें कितनी पूंजी लगाई जायेगी और जो लोग इसे चलायेंगे उनके नाम क्या हैं ?

†**श्री तिम्मैय्या** : इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्रालय ने मैसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी लिमिटेड को इस प्रकार की सम्भावना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। मंत्रालय उस प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहा है ।

लाइबेरिया में शिक्षा-प्रतिनिधि मंडल

+

†*४८९. **श्री रघुनाथ सिंह** :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति संगठन की प्रार्थना पर भारत सरकार एक शिक्षा-प्रतिनिधि मंडल लाइबेरिया भेज रही है ;

(ख) वह प्रतिनिधि मंडल लाइबेरिया में कब तक रहेगा ; और

(ग) उसके उद्देश्य और कार्य क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर)** : (क) जी हां, शिष्टमंडल भेजा गया है ।

(ख) ६ से १० सप्ताह ।

(ग) लाइबेरिया में शिक्षा विकास की लम्बी तथा व्यापक योजना बनाने के लिए ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत सरकार इस पर क्या खर्च करना चाहती है और अब तक क्या खर्च किया गया है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : यह यूनेस्को मिशन है, केवल अधिकारियों को नाम मात्र भत्ता दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त भारत सरकार का कुछ भी खर्च नहीं होगा ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : जो भारतीय वहां जाते हैं वे निस्संदेह यूनेस्को मिशन के सदस्य होते हैं क्या उनको ऐसी कोई हिदायतें दी जाती हैं कि वे वहां अफ्रीकी लोगों से हिल मिल कर रहे और उनसे इस प्रकार का व्यवहार करें कि वे उनका आदर करें ? अथवा उनका व्यवहार बड़ा अभिमान भरा होता है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : यह प्रश्न ठीक नहीं है । जो अधिकारी भी वहां गये हैं, उन्होंने वहां अपने बहुत अच्छे व्यवहार के लिए नाम पैदा किया है । इसीलिए यूनेस्को ने उन्हें विशेष तौर पर मांगा था । वे अफ्रीकी सरकार के लिए काम कर रहे हैं और वहां की सरकार उनके काम की सराहना कर रही है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न था कि क्या हमारी सरकार विशेष रूप से उन्हें इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहती है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : जी हां ।

†**श्री शिवनारायण** : इस मिशन में जाने वालों की संख्या क्या है ?

†**श्री हुमायूं कबिर** : इस मिशन में चार व्यक्ति हैं ।

सरकारी असैनिक कर्मचारी

†*४६१. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : }

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन सरकारी असैनिक कर्मचारियों के, जो वर्तमान आपात काल में सेना की सेवा स्वीकार करते हैं, हितों के संरक्षण के सम्बन्ध में हिदायतें जारी की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे हिदायतें क्या हैं ; और

(ग) क्या ये सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जिन असैनिक सरकारी कर्मचारियों को वर्तमान आपात के कारण सैनिक सेवा में लिया गया है उनकी छुट्टी, वेतन, भत्तों,

†मूल अंग्रेजी में

पदोन्नति भविष्य निधि, और डाक्टरी तथा आवास सुविधाओं के बारे में अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए आदेश जारी कर दिये गये हैं ।

(ख) सम्बद्ध आदेशों की प्रतिलिपियां सभा पटल पर रख दी गयी हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी० १६४५/६३]**

(ग) उपरोक्त आदेश सभी वर्गों के असैनिक सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्हें कि वर्तमान आपात में सैनिक सेवा में जाने की अनुमति दे दी गयी है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि इस तरह सैनिक सेवा में जाने वाले असैनिक कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

†**श्री हजरनवीस :** विस्तार से तो मेरे पास इस समय नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** ४ दिसम्बर, १९६२ के आदेश में कहा गया है कि इसके परिणामस्वरूप ये लोग अपने विभाग में बारी से नीचे वाले नियम के अधीन पदोन्नति दी जायेगी । क्या यह पदोन्नति का अवसर उनके विभाग में संरक्षित रहेगा ?

†**श्री हजरनवीस :** बारी से नीचे के नियम का मतलब ही यही होता है । यदि उसके नीचे आदमी अपने विभाग में पदोन्नति लेता है तो सेना वाला व्यक्ति भी अपने पदोन्नत समझा जायेगा ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं इसे और स्पष्ट करता हूं । मान लीजिए मैं एक विभाग में काम करता हूं और सेना में चला जाता हूं । गत युद्ध में मेरे विभाग में मेरी पदोन्नति संरक्षित रहती है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब यह संरक्षित होगी अथवा नहीं ?

†**श्री हजरनवीस :** मैंने यही बात कही है कि बारी से नीचे वाले नियम का यही अर्थ होता है और इससे व्यक्ति को संरक्षण मिलता है ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को कुछ आश्वासन दे सकती है, जिन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है .....

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के घंट में आश्वासनों की बात नहीं की जाती ।

†**श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं कि उन असैनिक कर्मचारियों का क्या बनेगा जो कि आपात में प्रतिरक्षा सेवा में आ गये हैं, परन्तु इसके बाद वे अपने पुराने पदों को न प्राप्त कर सकेंगे क्योंकि जब तक वे वापिस आयेंगे शायद वे पद हटा दिये जाये । तो इस अवस्था में उन्हें इसी तरह कहीं और ले लिया जायेगा ?

†**श्री हजरनवीस :** जैसा कि आदेश में स्पष्ट है, यदि पद रहे तो वे उस पद पर वापिस आ जायेंगे, यदि वे पद हटा दिये जायेंगे तो सभी प्रकार के सम्भव प्रयत्न किये जायेंगे ताकि वे नौकरी में बने रहे ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** मैं एक बात जानना चाहता हूं । अन्य सरकारी विभागों के कुछ अधिकारी सेना मेंजाते हैं । इस बीच उस विभाग में पदोन्नतियां होने वाली हैं और उसके लिए चुनाव होता है, क्या उन सब को वापिस बुला लिया जायेगा ताकि वे भी उस चुनाव में भाग ले सकें, ताकि उन की पदोन्नति का अवसर हाथ से न निकल जाय । ऐसे लोगों के हितों की रक्षा किस प्रकार होगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजरनवीस :** अपर डिवीज़न क्लर्कों के बारे में यह है कि यदि यह चुनाव परीक्षा से होना है तो आयु की अवधि बढ़ा दी जायेगी ताकि उसे अपेक्षित काल के अन्तर्गत लिया जा सके ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आपका मतलब यह है कि जब कभी पदोन्नति के लिए कोई परीक्षा होगी तो उन्हें उस परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा ?

†**श्री हजरनवीस :** जी नहीं । जब तक वह प्रतिरक्षा सेवा में हैं उसे कोई अवसर नहीं दिया जायेगा । जब वह वापिस आयेगा तो अगर उसकी आयु अधिक होगी तो आयु सीमा सम्बन्धी नियम ढीला कर दिया जायेगा और वह परीक्षा में बैठ सकेगा ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** यह आयु का प्रश्न नहीं है यह चुनाव बोर्ड के समक्ष पेश होने का प्रश्न है **(अन्तर्बाधायें)**

†**अध्यक्ष महोदय :** तो वह कोई और ढंग अपना सकता है । प्रश्नों का घंटा समाप्त होता है ।

†**श्री प्रिय गुप्त :** तो फिर वह सेना में क्यों जायेगा, जब कि वह अपने विभाग में अपनी पदोन्नति का अवसर खो देगा ?

†**अध्यक्ष महोदय :** अब प्रश्नों का घंटा समाप्त है । माननीय सदस्य अन्य साधनों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी रहस्यों तथा गोपनीय अभिलेखों का प्रकट हो जाना

†*४८५. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सरकारी रहस्यों तथा गोपनीय अभिलेखों के प्रकट हो जाने के कितने मामलों की जांच-पड़ताल की गई है ; और

(ख) किन मामलों की जांच की गई और जांच का क्या फल रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) :** (क) २५ ।

(ख) इस बारे में जानकारी देना जन हित में नहीं होगा ।

मुख्य न्यायाधिपति सम्मेलन

†*४८८. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के गत जून में हुए सम्मेलन में व्यक्त मतों का सरकार ने अध्ययन कर लिया है ;

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) सम्मेलन में किन महत्वपूर्ण मामलों पर विचार किया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरतवीस)** : (क) और (ग). ३, ४, और ५ जून, १९६३ को भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने राज्यों के मुख्य न्यायाधिपतियों का एक सम्मेलन श्रीनगर में बुलाया था। सरकार को इस सम्मेलन की कार्यवाही के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधिपति की ओर से कोई ब्योरा प्राप्त नहीं हुआ और न ही यह कि इस सम्मेलन ने क्या सिफारिशें की हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

आसाम के चाय बागानों के लिये प्राकृतिक गैस

†*४९०. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **खान और ईंधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **क्या** आसाम में नहरकटिया परियोजना के पास स्थित चाय बागानों के लिए प्राकृतिक गैस सप्लाई करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी गैस दी जायेगी ; और

(ग) उस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी हां ।

(ख) चाय के मौसम में आयल इंडिया का विचार कम से कम १ करोड़ घन फुट और अधिक से अधिक ५ करोड़ घन फुट प्राकृतिक गैस प्रति मास सम्भरण करने का है। बाकी के समय में यह सम्भरण मात्रा कम से कम १० लाख घन फुट और अधिक से अधिक १ करोड़ ५० लाख घन फुट प्रति मास होगी ।

(ग) आजकल भी आयल इंडिया द्वारा निकटवर्ती चाय बागान में गैस सम्भरण किया जाता है। यह सम्भरण अन्य बागान को भी तुरन्त आरम्भ किया जा सकता है, परन्तु उन्हें अपना वितरण व्यवस्था की स्थापना करनी होगी ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

†*४९२. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** :
श्री प्र० के० देव :

क्या **शिक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने हिन्दी और उर्दू के लिये रोमन लिपि स्वीकृत की दी है ; और

(ख) इस विश्वविद्यालय में हिन्दी और उर्दू के अतिरिक्त अन्य कौन सी भारतीय भाषायें पढ़ाई जाती हैं तथा उनके लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जिन विद्यार्थियों की मातृभाषा न तो हिन्दी है और न उर्दू परन्तु जिन्हें प्रारम्भिक हिन्दी या प्रारम्भिक उर्दू एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़नी पड़ती है, उन्हे देवनागरी या फारसी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि के प्रयोग की इजाजत दे दी गई है। अन्य किसी आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन अनिवार्य नहीं है।

(ख) विश्वविद्यालय द्वारा तेलगू, तमिल और मलयालम भाषाओं में डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों की सुविधायें दी गई हैं और इन भाषाओं को अपनी अपनी लिपि में ही पढाया जाता है।

सरकारी संस्थायें

†*४९३. **श्री रा० बरुआ :**
श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेक्काट्ट :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया आयल कम्पनी अपने उत्पादों के लिय सहकारी संस्थाओं को विक्रय एजेंसियां दे कर उन्हें प्रोत्साहन देने की नीति के बारे में वचन-बद्ध हैं;

(ख) अन्य निकायों या व्यक्तियों की तुलना में सहकारी संस्थाओं को दिये गये कुल व्यापार का अनुपात कितना है ;

(ग) क्या 'हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स' की वास्तविक संगठन व्यवस्था मालूम करने के लिये कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(घ) क्या राज्य व्यापार निगम इंडियन आयल कम्पनी के उत्पादों को बेचने की एजेंसियां देने में 'हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स' के लिये अधिमान दर स्वीकार करता है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) इंडियन आयल कम्पनी द्वारा उन सहकारी संस्थाओं को सभी प्रकार का संभव प्रोत्साहन दिया जाता है जो कि अच्छी प्रकार से संगठित हैं और पैट्रोलियम उत्पादों का वितरण करने की इच्छा रखती है। सहकारी संस्थाओं ने मिट्टी के तेल के वितरण के लिये तो रुचि व्यक्त की है।

(ख) पैट्रोलियम उत्पादों का जो वितरण सहकारी संस्थाओं द्वारा किया जाता है वह विभिन्न राज्यों में अलग अलग अनुपात से है। यह संस्था के संगठन, रुचि इत्यादि पर बहुत-सा आधारित रहता है। जहां तक मिट्टी के तेल का सम्बन्ध है इंडियन आयल कम्पनी का ५० प्रतिशत उत्पादन १९६२-६३ में सहकारी संस्थाओं द्वारा वितरण हुआ है ;

(ग) जो भी जानकारी इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड के यहां उपलब्ध है उस के अनुसार मैसर्ज हिन्दुस्तान आर्गनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड १९५५ के एक गैर-सरकारी समवाय के रूप में स्थापित हुई थी। यह वैस्टर्न इंडिया आयल डिस्ट्रीब्यूटर्ज कम्पनी का काम मंडियों में २३-८-६० तक करती रही। इस के बाद इंडिया आयल कम्पनी के एक करार के अनुसार इस ने मंडी का कार्य करना बन्द कर दिया। इस के बाद इस का काम यह हो गया कि यह कम्पनी का सारा माल स्वयं खरीद लेगी और फिर इसे बचेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) राज्य व्यापार निगम का इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं कि इंडियन आयल कम्पनी के उत्पाद को बेचने के लिय कोई अभिकर्ताओं को निर्धारित किया जाता है ।

महाराष्ट्र में लौह अयस्क के निक्षेप

*४९४. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही किये गये सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप महाराष्ट्र में लौह-अयस्क के बड़े निक्षेप मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो ये निक्षेप कहां कहां पाये गये हैं; और

(ग) सर्वेक्षण करने में कितना धन व्यय हुआ तथा कितने लौह अयस्क मिलने का अनुमान है ?

खान और इंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) कोई नये निक्षेप नहीं पाये गये हैं ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारत और संयुक्त अरब गणराज्य के बीच वैज्ञानिक समझौता

†*४९५. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैज्ञानकि अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा संयुक्त अरब गणराज्य के बीच अनुसन्धान कार्यक्रम का समन्वय करने के लिये एक वैज्ञानिक बोर्ड की स्थापना के बारे में कोई समझौता हुआ है : और

(ख) विज्ञान के किन किन क्षेत्रों में यह सुविधा दी जायगी ?

†**वैज्ञानक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) और (ख) संयुक्त अरब गणराज्य और भारत के बीच जो सांस्कृतिक करार हुआ है उसके अन्तर्गत अन्य वस्तुओं के अतिरिक्त वैज्ञानिकों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के आदान-प्रदान की भी बात है । उस करार के अनुसार भारतीय वैज्ञानिकों का एक शिष्टमंडल वैज्ञानक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के महानिदेशक के नेतृत्व में संयुक्त अरब गणराज्य गया था । उन्हों ने वहां वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी दोनों देशों में परस्पर आदान-प्रदान के प्रश्न की चर्चा की थी । यह आदान-प्रदान इन चीजों का होगा, भौतिक शास्त्र, अल्ट्रा-सोनिक्स, वस्त्र रसायन, धातु कर्म, बिजली रसायन उद्योग, शीशा तथा चमड़ा अनुसन्धान, समुद्रीय रसायन, बनास्पति के तेल, विद्युत् इंजीनियरिंग, पैट्रोलियम तथा इंजीनियरिंग रसायन इत्यादि ।

जो भी उपलब्ध वित्तीय संसाधन है उन्हीं के अन्तर्गत इस कार्यक्रम में चलाया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फेडरल विश्वविद्यालयों की स्थापना

†*४९६. श्री पें० वेंकटासुब्बेया :
श्री स० प० स्वामी ।
श्री अरूणाचलम :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों में 'फेडरल' प्रकार के विश्वविद्यालय बनाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये किन राज्यों को चुना गया है; और

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि ऐसा एक विश्वविद्यालय आन्ध्र प्रदेश में स्थापित किया जाय ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार साधक-मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क)जी नहीं । विश्वविद्यालयों की स्थापना करना राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व के अन्तगत आता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) अन्तरिम प्रतिवेदन में विव विद्यालय स्थापित करने के बारे में शिफारिश की गई है कि आन्ध्र प्रदेश में नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय । आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को बताया कि राष्ट्रीय आपात के कारण उस के लिये ऐसा करना सम्भव नहीं । यदि केन्द्रीय सरकार सारे खर्च का भार उठा कर आन्ध्र में विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहे तो कर सकती है ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पुनरीक्षित सूचियां

†*४९७. श्री हेम राज : क्या गृह-कार्य मंत्री २७ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जतियों की सूचियों के पुनरीक्षण का काम इस बीच पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवतन करने का विचार है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का काय अभी पूरा नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राष्ट्रीय एटलस

*४९८. श्री कछवाय :
श्री खड़े :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'राष्ट्रीय एटलस' का कोई सर्वसुलभ तथा सस्ता संस्करण प्रकाशित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो यह कब तक प्रकाशित किया जायेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता ।

मैंगनीज तथा लोह-अयस्क

†*४९९. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा और बिहार में मैंगनीज और लौह-अयस्क खानों में उत्पादन बहुत कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) नहीं, श्रीमान्। बिहार और उड़ीसा की मैंगनीज और लौह-अयस्क खानों का उत्पादन बढ़ रहा है; केवल १९६२ के पूर्वार्ध की तुलना में १९६३ के पूर्वार्ध में मैंगनीज का उत्पादन कुछ कम रहा है ।

(ख) मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में इस कमी का कारण यह था कि कुछ खानों में, जिनके पट्टे बिहार और उड़ीसा की राज्य सरकारों ने दुबारा नये नहीं किये थे, खनन का कार्य बन्द कर दिया गया था ।

(ग) मैंगनीज खनन उद्योग को सहायता देने के ध्येय से सरकार ने निर्यात किये जाने वाले मैंगनीज अयस्क पर कुछ भाड़े सम्बन्धी रियायतेंदी हैं निर्यात में वृद्धि के लिये एक यह कदम भी उठाया गया है कि निर्यात करने वालों को मैंगनीज के निर्यात को नगद बिक्री से प्राप्त विदेशी मुद्रा के ५ प्रतिशत तक की कीमत के अपनी मैंगनीज खानों का सुधार करने के लिये आवश्यक, खनन उपकरण और यन्त्रजात मंगाने की आज्ञा दे दी गई है। हाल ही में मैंगनीज अयस्क उद्योग से सम्बंधित समस्याओं का अध्ययन करने के लिये एक समिति भी बनाई गई है।

कोयले की खानें

†*५००. **दीनेन भट्टाचार्य :**
डा० सारादीश राय :
डा० रानेन सेन :
श्री सरकार मुरमू :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपातकाल की घोषणा के बाद से पश्चिम बंगाल राज्य में कितनी कोयला खानें बन्द कर दी गई हैं; और

(ख) इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रजी में

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अजीत प्रसाद) : (क) दो।

(ख) एक आग के कारण और दूसरी वित्तीय कठिनाइयों के कारण ।

विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान

†*५०१. श्री ईश्वर रेड्डी : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के प्रशासन के लिये आदर्श विधान बनाया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायन् कबिर) : (क) जी नहीं।

(ख) इस प्रयोजन के लिये स्थापित समिति का विचार विमर्श अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

बाल साहित्य की रचना

†*५०२. श्री भागवत झा आजाद ।
श्री भक्त दर्शन :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बाल साहित्य रचना को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है; और

(ख) क्या इस कार्य के लिये लेखकों को कोई प्रोत्साहन देने का विचार है ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमन्त्री (श्रीमती सौंदरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख). हां, श्रीमान्। १९५४ में आरम्भ की गई बाल साहित्य संजीवी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत समस्त भारतीय भाषाओं में बच्चों के लिये लिखी गई सर्वोत्तम पुस्तक पर लेखकों को १००० रुपये का पुरस्कार दिया जाता है और सरकार स्कूलों में बांटने के लिये पुरस्कार जीतने वाली प्रत्येक पुस्तक की २००० प्रतियां खरीदती है ।

इम्फाल में तेल गैस

†*५०३. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६३ के अन्त में इम्फाल में जहां पर पुल के खंभे बनाये जा रहे थे वहां एक जगह पर तेज दहनशील तेल गैस बाहर निकलती पाई गई थी; और

(ख) क्या इस क्षेत्र में ठीक तरह से खोज की गई है जिस से गैस के निक्षेपों का पता लगा कर उन का विदोहन किया जा सके ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मई १९६३ के अन्तिम सप्ताह में इम्फाल नदी के किनारे थुम्बथोंग नामक स्थान पर पुल का स्तम्भ बनाने के लिये खोदे गये गढ़े में ज्वलनशील गैस मिली थी ।

(ख) भूमि से निकलने वाली गैस की जांच की गई थी, नमूना एकत्रित कर के उस का परीक्षण किया गया था । समीपस्थ क्षेत्र की ऊपरी चट्टानों का तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की केन्द्रीय प्रयोगशाला में अध्ययन किया जा रहा है । इस क्षेत्र का सूक्ष्म भू-गर्भीय सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है ।

विज्ञान अध्यापकों के लिये अवकाश पाठ्यक्रम

*५०४. श्री ओंकारलाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहयोग से माध्यमिक स्कूलों के विज्ञान अध्यापकों के लिये चार अवकाश पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन विश्वविद्यालयों में इन पाठ्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा; और

(ग) यह आयोजन कब होगा ?

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) से (ग). जी हां । १३ मई, १९६३ और १५ जुलाई, १९६३ के बीच, मद्रास और पूना में एक-एक तथा दिल्ली में दो पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था ।

पट्रोलियम के मूल्य

†*५०५. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि पैट्रोलियम के मूल्य निश्चित करने के प्रयोजनार्थ गोहाटी को पत्तन माना जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां ।

(ख) नूनमती तेल शोधक कारखाने के पैट्रोल उत्पादों का मूल्य तिन्सुकिया या कलकत्ता, जो भी बिक्री के स्थान से समीपतम हो, से संभरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है । यह व्यवस्था उपयुक्त है, क्योंकि नूनमती स्थित सरकारी क्षेत्र के तेल शोधक कारखाने से पैट्रोल उत्पादों के उपलब्ध होने के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं द्वारा दिये जाने वाले मूल्यों में हेर फेर नहीं होता । इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था तेल मूल्य जांच समिति के प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों के अनुरूप है जिसे सरकार ने स्वीकार कर के कार्यान्वित किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

"भूकम्प से मुक्ति" अध्ययन

†१४२२. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ समय से जोरहाट की प्रादेशिक अनुसन्धान प्रयोगशाला में भूकम्प रक्षित क्षेत्रों में बृहत विकास परियोजनायें स्थापित करने के कार्य में नियोजकों का मार्गदर्शन करने के ध्येय से, "भूकम्प से मुक्ति" संबंधी अध्ययन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह कार्य पूर्ण हो गया है और इस संबंध में जोरहाट प्रयोगशाला की सिफारिशें नियोजकों के लिये किस सीमा तक उपयोगी सिद्ध हुई हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) इस प्रयोगशाला में विभिन्न प्रदेशों में सुरक्षा के उपादान निश्चित करने के लिये क्रमिक भूकम्पग्रस्तिता के अनुसार उनके अलग अलग क्षेत्र निर्धारित करने के ध्येय से आसाम और निकटवर्ती प्रदेश के प्रादेशिक भूकम्प ग्रस्तता स्वरूप का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है और प्रयोगशाला के निष्कर्षों को उपलब्ध होने में अभी २–३ वर्ष लगेंगे।

तालचर कोयला खानें

†१४२३. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में तालचर कोयला खानों में, छोटी और बड़ी, कुल कितनी दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) इन में कितनी दुर्घटनायें प्राणान्तक थीं; और

(ग) उसी काल में हुई दुर्घटनाओं में ग्रस्त व्यक्तियों के आश्रितों को अब तक, यदि कुछ तो, कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) १९६२–६३ में तालचर कोयला खानों में कुल ११ गंभीर दुर्घटनायें हुईं।

(ख) उन में से एक प्राणान्तक थी।

(ग) इस प्राणान्तक दुर्घटना में ग्रस्त व्यक्ति के आश्रितों को देने के हेतु कुल ६५०० रुपये के प्रतिकर का हिसाब लगाया गया है। संबंधित पक्षों को प्रतिकर के भुगतान की व्यवस्था करने के लिये कामगार प्रतिकर आयुक्त से कहा गया है।

अनुवाद की समस्याओं सम्बन्धी शिविर

१४२४. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में उनके मंत्रालय की ओर से अनुवाद की समस्याओं पर विचार करने के लिये एक शिविर का आयोजन किया गया था;

(ख) इस में अनुवाद के लिये डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस शिविर की अन्य मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी हाँ।

(ख) जी हां ।

(ग) इस बारे में भारतीय विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को लिखा जा रहा है ।

(घ) कुछ नहीं ।

पुस्तकालय सलाहकार समिति

१४२५. श्री सिद्धेश्वर प्रसाद : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुस्तकालय सलाहकार समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये अभी तक क्या उपाय किये गये हैं ?

(ख) १९५८ में किस वर्ग के पुस्तकालयों की क्या संख्या थी और अब क्या है; और

(ग) १९६२–६३ में किन किन राज्यों के किन किन पुस्तकालयों को केन्द्र की ओर से कितना आवर्तक या अनावर्तक अनुदान दिया गया ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोन्दरम रामचन्द्रन): (क) पुस्तकालय सलाहकार समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों तथा अन्य संबंधित संस्थाओं को, उनसे संबंधित सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भेज दी गई थीं। राज्य सरकारों आदि ने आम तौर से समिति की सिफारिशों को मान लिया है ।

भारत सरकार ने पुस्तकालयों के लिये सलाहकार समिति की रिपोर्ट के अध्याय ४ की सिफारिश संख्या १ और २, अध्याय ५ की सिफारिश सं० २, ३, ७, १० और ११ तथा अध्याय ६ की सिफारिश संख्या ११(क) और १९, जो क्रमशः ४९, ६२, ६३, ७७ और ७८ पृष्ठों पर दी गई है, को स्वीकार कर लिया है (रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं) ।

भारत सरकार, अध्याय ४ में की गई सिफारिश सं० २४, २५, २६ और २७ अध्याय ५ की सिफारिश सं० १२ तथा अध्याय ९ की सिफारिश सं० १, ३ और ८ जो क्रमशः ५२, ६३, ११४ और ११५ पृष्ठों पर दी गई हैं, को स्वीकार नहीं कर सकी ।

(ख) १९५८ में वर्गानुसार पुस्तकालयों की संख्या भारत सरकार द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट आफ दि एडवाइजरी कमेटी फार लाइब्रेरीज के पृष्ठ १६ से १८ में मिल सकती है । इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद् पुस्तकलयमें उपलब्ध हैं । देश में इस समय कुल कितने पुस्तकालय हैं उनकी ठीक ठीक संख्या ज्ञात नहीं है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६४६/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षकों का प्रशिक्षण

१४२६. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण की प्रणाली और पाठ्यक्रम करीब एक शताब्दी से एक सा चला आ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में देश में जो सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं क्या उन के अनुरूप प्रशिक्षण प्रणाली और पाठ्यक्रम को बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) (क) : पाठ्य विवरण और अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम में काफी सुधार हुआ है।

(ख) और (ग). पाठ्य विवरण राज्य सरकार के शिक्षा विभागों तथा विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किये जाते हैं और संबंधित प्राधिकारी उन में समय समय पर यथावश्यक सुधार करते रहते हैं।

पुलिस आवास योजना

†१४२७. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के लिये अब तक विभिन्न राज्यों को उनकी पुलिस आवास योजनाओं के लिये ऋण अथवा अनुदानों के रूप में कितनी राशि दी है;

(ख) १९६३-६४ में विभिन्न राज्यों को उन की पुलिस आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि दी जा चुकी है या देने का विचार है; और

(ग) १९६२–६३ और १९६३–६४ के लिये उड़ीसा को इस की पुलिस आवास योजना के लिये ऋण अथवा अनुदान के रूप में कितनी राशि दी जा चुकी है या देने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) १९६२–६३ में कुल ३ करोड़ रुपये का ऋण दिया गया।

(ख) ३ करोड़ रुपये।

(ग) १९६२–६३ में १८ लाख रुपये। १९६३–६४ के लिये दिये जाने वाले ऋण का प्रश्न विचाराधीन है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय बाल संग्रहालय तथा बाल-भवन

†१४२८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ और १९६२–६३ में प्रतिवर्ष उड़ीसा की सरकार को राष्ट्रीय बाल संग्रहालय और बाल-भवन की इमारतों के निर्माण के लिये कुल कितना ऋण अथवा अनुदान दिया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३-६४ में राष्ट्रीय बाल अजायबघर और बाल-भवन के कल्याण के लिये उड़ीसा की सरकार को कुल कितनी राशि दी गई है अथवा देने का विचार है ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) कुछ नहीं ।

(ख) कुछ नहीं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त

†१४२९. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने कितनी बार उड़ीसा का दौरा किया; और

(ख) उसी काल में उन्होंने राज्य के कौन-कौन से स्थानों का दौरा किया ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). १९६२ में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त ने उड़ीसा का दौरा नहीं किया । अप्रैल-मई, १९६३ में उन्होंने उड़ीसा के गंजम, फूलबनी और कोरापुट का दौरा किया था ।

उड़ीसा के सरकारी अधिकारी

†१४३०. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा सरकार के भारतीय प्रशासकीय सेवा पदाली से सम्बन्धित कितने अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : १७ ।

उड़ीसा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिए होस्टल

†१४३१. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६३-६४ में उड़ीसा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के लिये कितने होस्टल खोलने का विचार है; और

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा में ऐसे होस्टलों के निर्माण के लिये सरकार ने कितनी राशि मंजूर की है या मंजूर करने का विचार रखती है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). उड़ीसा की सरकार ने अपनी वार्षिक योजना के पिछड़े वर्ग सम्बन्धी भाग में १९६३-६४ के लिये १५ नये होस्टल खोलने के लिये ३ लाख रुपये की व्यवस्था की है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बसों की चोरी

†१४३२. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६३ में दिल्ली में कितनी बसों की चोरी हुई; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितने लोगों पर मुकद्दमा चलाया गया और उन्हें क्या सजा दी गई ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) एक बस की कथित चोरी की रिपोर्ट आई थी किन्तु २ घंटे बाद बस का पता चल गया था, उसके कुछ हिस्से, जिनका मूल्य लगभग ६० रुपये था चोरी चले गये थे।

(ख) कुछ नहीं ।

सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले

†१४३३. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ३१ जुलाई, १९६३ को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मामले विचाराधीन थे ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : १९८२ ।

जहाजों द्वारा कोयले का परिवहन

†१४३४. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में जहाजों द्वारा कोयले के परिवहन के लिये कितनी अर्थ-सहायता दी गई है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : ३५६ लाख रुपये ।

दिल्ली में बलात्कार के मामले

†१४३५. { श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६३ में दिल्ली में बलात्कार के कितने मामले पुलिस में दर्ज कराये गये; और

(ख) प्रत्येक मामले में कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और क्या सजा दी गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) चार ।

(ख) यह चारों मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

†१४३६. { श्री धुजेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९६३ से उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश सेवा-निवृत्त किये गये हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : आठ ।

कालेजों के पुस्तकाध्यक्ष

†१४३७. श्री रामचन्द्र मलिक : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार कालेज पुस्तकाध्यक्षों को कालेज लेक्चररों का पद दिया गया है;

(ख) उड़ीसा में कालेज पुस्तकाध्यक्षों का वर्तमान दर्जा और उनका वेतन क्या है; और

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पुस्तकाध्यक्षों सम्बन्धी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया है ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर): (क)आंध्र प्रदेश, गुजरात, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ सम्बद्ध कालेजों ने अर्हताप्राप्त कालेज के पुस्तकाध्यक्षों के लिये संशोधित वेतनक्रम स्वीकार कर लिये हैं ।

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है । उसे यथासमय पटल पर रख दिया जायेगा ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण

१४३८. श्री राम चन्द्र मलिक : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये दी गयी राशि पूरी तरह व्यय नहीं की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तीसरी योजना के प्रथम दो वर्षों में कुल कितनी रकम व्यपगत हुई ?

†गृह-कार्य मंत्रालय मे उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ग). जी हां । राज्य सरकार द्वारा कुल दी गयी राशि २२०.४३ लाख रुपये में से १७३.१८ लाख रुपये (७८.६ प्रतिशत) का उपयोग किया गया । जो राशि व्यपगत हुई वह ४७.२५ लाख रुपये (२१.४ प्रतिशत) थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस कमी का कारण उपयुक्त कर्मचारियों की कमी, योजनाओं की जांच एवं प्राक्कलन में लगने वाला समय है।

विदेशी छात्रवृत्तियां

†१४३९. { डा० श्रीनिवासन :
श्री परम शिवन :

क्या शिक्षा मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२-६३ में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी जातियों के सदस्यों को विदेशों में पढ़ने के लिये पृथक-पृथक कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौदरम् रामचन्द्रन) :

अनुसूचित जातियां	३
अन्य पिछड़े वर्ग	४।

सिरवेन्द्र राजन पट्टिनम में मीनार

†१४४०. श्री वै० तैयर : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिरवेन्द्रराजन पट्टिनम् (पट्टुकोताई तालुक—मद्रास राज्य) के तट में स्थित मीनार भारत के पुरातत्व विभाग द्वारा ले ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उसके संधारण में अब तक कितनी राशि व्यय की गयी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी नहीं। मद्रास की सरकार इसे राज्य सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की सूची के अधीन लेना चाहती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए महाराष्ट्र राज्य में छात्रवृत्तियां

†१४४१. श्री दे० शि० पाटिल : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय की योजना के अधीन महाराष्ट्र के अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की कुल कितनी छात्रवृत्तियां दी गयीं;

(ख) उक्त जातियों को पृथक-पृथक कितनी राशि दी गयी; और

(ग) ये छात्रवृत्तियां किस माह दी गयीं ?

†शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) भारत सरकार के मैट्रिकोत्तर स्वदेशी छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत ९,१३६ अनुसूचित जातियों तथा २९७ अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गयीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अनुसूचित जातियां ४९,९३,७५८ रुपये

अनुसूचित आदिम जातियां . . . १,४६,५०७ रुपये

(ग) छात्रवृत्तियां वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के अन्दर दी गयी कोई विशेष महिना निहित नहीं किया गया ।

दिल्ली पुलिस

१४४२. श्री कछवाय :
श्री यशपाल सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस की संख्या में शीघ्र ही कुछ वृद्धि की जाने वाली है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) दिल्ली पुलिस को अधिक सशक्त बनाने के कुछ प्रस्ताव अभी विचाराधीन हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हुगली के किनारे तेल क्षेत्र

१४४३. श्री भागवत झा आजाद : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड नेशन्स फंड के अधिकारी प्रोफेसर ईरमेनको ने हुगली के दाहिने किनारे तेल से परिपूर्ण क्षेत्र का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस का विवरण क्या है ?

खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ईसाई धर्मप्रचारक

१४४४. श्री यशपाल सिंह :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने ईसाई धर्मप्रचारक इस समय भारत में हैं ; और

(ख) उन के कुल कितने केन्द्र हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) पहली जनवरी, १९६३ को भारत में पंजीकृत विदेशी ईसाई धर्म प्रचारकों की संख्या ४,३१४ थी ।

(ख) भारत सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी धर्म प्रचार संस्थाओं की संख्या ११४ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में स्कूल के बालकों के लिए दुपहर का भोजन

†१४४५. श्री यशपाल सिंह :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली में स्कूल के बालकों के लिये दुपहर के भोजन की एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत कितने स्कूल आयेंगे ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी नहीं । इस योजना को दिल्ली नगर निगम क्रियान्वित कर रहा है ।

(ख) १९६२-६३ में यह योजना ६०० आरम्भिक पाठशालाओं में लागू थी जहां विद्यार्थियों की संख्या २००,००० थी ।

नेफा के लिए देशी लिपि

†१४४६. श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० बो० नायक :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार गौहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से नेफा की बोलियों के लिए एक देशी लिपि का विकास करने की योजना बना रही है ; और

(ख) यदि हां, क्या इसके लिये कोई मांग की गयी है ।

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यापकों के लिये तिहरा लाभ योजना

†१४४७. श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री म० ना० स्वामी :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि स्कूली अध्यापकों के लिये तिहरी लाभ योजना में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

†शिक्षा मंत्रालय मे उपमंत्री (श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन) : एक विवरण संलग्न है । [पुस्तकालय में रक्खा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६४७/६३]

भूटान में खनन सर्वेक्षण

†१४४८. श्री दी० चं० शर्मा : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूटान को खनन सर्वेक्षण में सहायता देने का बचन दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के विवरण क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी हां। भारत सरकार के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने भारत सरकार की भूटान को 'सहायता योजना' के अधीन खनिज सर्वेक्षण आरम्भ किया है।

(ख) यह सर्वेक्षण जिसमें १ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे ५ वर्षों की अवधि तक चलेगा। यह विचार किया गया है कि १८,००० वर्ग मील में सामान्य भूतत्वीय जांच की जायेगी तथा तांबा, जिप्सम, डालोमाइट, चूना, ग्रेफाइट, सोना तथा पाईराइट की कथित सूचना की जांच की जायेगी।

नये अनुसंधानात्मक कूप

†१४४९. { श्री सुबोध हंसदा :
डा० पू० ना० खां :

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अहमदाबाद क्षेत्र के निकट आनन्द में खोदा गया कुआ सफल सिद्ध हुआ है ;

(ख) यदि हां, ऐसे कितने कूप खोदे गये तथा सफल रहे ; और

(ग) क्या वाणिज्यिक रूप से उसका तेल निकालना लाभकारी सिद्ध होगा ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

नवसाक्षरों के लिए आदर्श पुस्तकें

†१४५०. { श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री मोहन स्वरूप :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने नवसाक्षरों के लिए आदर्श पुस्तकों के प्रकाशन की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) योजना की मोटी बातें क्या हैं ; और

(घ) क्या योजना अंग्रेजी और हिन्दी तक ही सीमित रहेगी ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौंदरम् रामचन्द्रन्) : (क) जी हां।

(ख) मई १९६३।

(ग) और (घ). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६४८/६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

नमदा तट पर प्राचीन अवशेष

†१४५१. श्री वी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा के निकट चंडोड तथा गुजरात के ब्रोक जिले में नमदा के किनारे नरखड़ी, मोरिया और नंगम में तीन लाख वर्ष पुराने अवशेषों का पता लगा है ; और

(ख) यदि नहीं ; तो वे क्या हैं तथा किस युग के हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) और (ख). ग्रामीण विश्वविद्यालय, आनन्द, के वल्लभ विद्यानगर के श्री ए० वी० पांड्या द्वारा की गई पाषाण युग की कुछ खोजों के सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ था । जो औजार प्राप्त हुए वे उत्तरवर्ती पाषाण युग के थे जो वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक ३ लाख से २ लाख वर्ष पुराना है ।

सेवा निवृत्ति की आयु

१४५२. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह-कार्य मंत्री १० अप्रैल, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने अपने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु ५५ से ५८ वर्ष करने का जो निश्चय लागू किया था, उस के आधार पर अब तक किन-किन राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु ५८ वर्ष करने का निश्चय किया है ; और

(ख) शेष राज्यों में से प्रत्येक ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस): (क) बिहार, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान ।

(ख) जम्मू व काश्मीर, मद्रास, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश की राज्य सरकारों का विचार अपने कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ाने का नहीं है ।

केरल, मैसूर तथा पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में विचार कर रही हैं ।

कोयला उत्पादकता

†१४५३. श्रीमती सावित्री निगम : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति व्यक्ति शिफ्ट कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के सदस्य की, जिन्होंने हाल में भारत का दौरा किया था, उस पर अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) उत्पादकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जा रही है :—

(१) वर्तमान खानों की व्यवस्था में इस प्रकार सुधार किये जायें—

(क) अच्छी खुदाई प्रणाली की व्यवस्था ;

(ख) आधुनिक भूमिगत खनन मशीनों का अधिकाधिक उपयोग अर्थात् कोयला काटने वाले, यांत्रिक लदाई यंत्र, विद्युत् खुदाई यंत्र तथा खान के मुंह से यंत्रों द्वारा पारवहन ; और

(ग) अच्छी सफाई की व्यवस्था ।

(२) भूमिगत तथा खुली नयी खानों का आयोजन जिन में यंत्रीकरण पर बल दिया जाये ।

(३) जहां स्थितियां अनुरूप हों, वहां गुफा प्रणाली की आधुनिक लम्बी दीवारों वाली खानें बनाना ।

(४) श्रमिकों को मशीनों की आदत डलवाने के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं की व्यवस्था करवाना ।

(५) श्रमिकों के सामान्य स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार इत्यादि ।

(ख) जी हां । इन सिफारिशों के अनुसरण में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने अपने कार्यों को ७ क्षेत्रों में बांटा है । प्रत्येक क्षेत्र महाप्रबन्धक के हाथों में है । निगम की कोयला खानों के लिये टेक्नीकल कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने ९ सांय पाठशालायें और ५ टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है । अधिक तेजी से यंत्रीकरण किये जाने की समस्याओं का निपटारा करने के लिये विशेषज्ञता प्राप्त इंजीनियर बुलाये गये हैं समायोजित आयोजन पर विशेष जोर दिया जा रहा है ।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

†१४५४. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, १९६३ के अंत में इलाहबाद उच्चन्यायालय तथा उसकी लखनऊ शाखा में कितने मामले लम्बित हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजारनवीस) :

इलाहाबाद बेंच .	४१४६२
लखनऊ बेंच . . .	६५११

समाज शिक्षा साहित्य

†१४५५. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१–६२ और १९६२–६३ में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को समान शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में कोई वित्तीय सहायता दी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोदरम् रामचन्द्रन) : (क) और (ख) वर्ष १९६१–६२, १९६२–६३ में उत्तर प्रदेश के प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पुस्तक विक्रेताओं को कोई सीधी वित्तीय सहायता नहीं दी गयी। तथापि पुरुस्कार प्रतियोगिता योजना के अधीन तीनों पुरुस्कृत पुस्तकों की १५०० प्रतियां खरीदी गयीं तथा संलग्न विवरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रकाशकों को ४५०० रु० दिये गये।

विवरण

वर्ष	खरीदी गयी पुस्तक का नाम	भाषा	प्रकाशक का नाम	दी गयी राशि
				रु०
१९६१–६२	मसनुई चंद	उर्दू	श्री अठक परवेज हमीद, अली बिल्डिंग, शमशाद मार्केट अलीगढ़	१५००.००
१९६२–६३	कागज की कहानी	उर्दू	मैसर्ज उर्दू घर, अलीगढ़	१८००.००
१९६२–६३	पंचों का फैसला	हिन्दी	मैसर्ज लिटरेसी हाउस, लखनऊ	१२००.००
			योग	४५००.००

भारत सेवक समाज

†१४५६. श्री विश्वनाथ पांडेय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१–६२ और १९६२–६३ में उत्तर प्रदेश भारत सेवक समाज को कितना अनुदान दिया गया ?

†शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सोदरम् रामचन्द्रन) :

वर्ष	*राशि रु०
१९६१–६२	२०१३५२.७५
१९६२–६३	१११७९२.५२

टिप्पण :—ये अनुदान भारत सेवक समाज के केन्द्रीय कार्यालय से दिये जाते हैं।

अपाहिजों की शिक्षा

†१४५७. श्रीमती सावित्री निगम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपाहिजों की शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने १९६१–६२ में क्या सिफारिशें की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६०–६१ में इस परिषद् ने कितनी सिफ़ारिशें की थीं और उन में से कितनों को क्रियान्वित किया जाता है ?

†शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती श्रीरम रामचन्द्रन) : परिषद् ने २९ अप्रैल, १९६१ की अपनी बैठक में २९ सिफ़ारिशें की थीं। १३ राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं आवश्यक कार्यवाही के लिए। केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित १६ सिफ़ारिशों के बारे में स्थिति यह है :

संख्या	सिफारिश का सारांश	वर्तमान स्थिति
१	नियोजन तथा प्रशिक्षण के महानिदेशालय की मासिक रिपोर्ट में अपाहिजों की नौकरी के अधिक विवरण देने चाहिये।	क्रियान्वित
२	परिषद् की प्रशिक्षण उप समिति के विचारों को अन्तिम रूप दिया जाये।	अन्तिम रूप दे दिया गया।
३	गैर-मैट्रिक अपाहिज विद्यार्थियों को भी छात्र-वृत्तियों के लिए विचाराधीन रखा जाये।	संभव नहीं था, क्योंकि उम्मेदवारों की संख्या अधिक थी।
४	कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए २ लाख रुपये की रकम में कोई कटौती न की जाये।	क्रियान्वित
५	अन्धों के अध्यापकों के लिए दो प्रकार के पाठ्यक्रमों की संभाव्यता पर विचार किया जाये।	परिषद् की अनुमति से एक प्रकार का पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है।
६	सफेद छड़ी को लोकप्रिय बनाने के लिए उन लोगों को बताने के लिए कि यह किस का प्रतिनिधित्व करता है एक विशेष सप्ताह मनाया जाय।	परिषद ने एक राष्ट्रीय अपाहिज सप्ताह मनाने को सिफ़ारिश की है राज्य सरकारों से समय बताने के लिए कहा गया है।
७	एक विशेष डाक टिकट जारी करने की संभाव्यता पर विचार किया जाये।	परिषद् ने आपात के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ देने की सिफ़ारिश की है।
८	सफ़ेद छड़ी के प्रयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए रेडियो और टेलीविज़न पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किये जायें।	आकाशवाणी को भेजी गई जिस ने कुछ कार्यक्रमों का आयोजन किया है।
९	अपाहिजों के लिए विभिन्न श्रेणियों की संस्थाओं के लिए न्यूनतम मापदंड निर्धारित किये जायें। परिषद् ने इस काम के लिए सभापति को एक समिति नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया।	अगली बैठक में ऐसे किया जायेगा।

†मूल अंग्रेजी में

संख्या	सिफारिश का सारांश	वर्तमान स्थिति
१०	पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने के लिए योजना बनाने के लिए एक समिति नियुक्त की जाये।	क्रियान्वित
११	कानपुर में अपाहिजों की अधिक संख्या के कारण मालूम किये जाये।	मालूम कर लिए गये।
१२	भारत सरकार अपाहिजों के लिए एक स्थाई अन्तविभागीय समिति नियुक्त करें।	क्रियान्वित
१३	विभिन्न प्रकार के अपाहिजों के लिए नौकरियों के लिए शारीरिक आवश्यकताओं को मालूम करने के लिए कुछ चुने हुए उद्योगों का सर्वेक्षण किया जाये।	कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किये गये किन्तु अपाहिज सम्बन्धी विशेष नौकरी दफ्तरों में नियोजन अधिकारी ऐसा काम करती हैं।
१४	अपाहिजों के अध्यापकों को दूसरे राज्यों में काम देखने की सुविधाएं दी जायें।	क्रियान्वित

(ख) १९६०–६१ में परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई थी।

चट्टान खोदने वाले यंत्र

†१४५८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भारत को कोई चट्टान खोदने वाले यन्त्र देगा ;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा ;

(ग) क्या य यन्त्र देश के विशिष्ट खान क्षेत्रों से आवंटित किये गये हैं; और

(घ) इन से कोयले और अयस्क के उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी हां। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, जो इस मंत्रालय के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, रूस से १३ ऐसे यन्त्र खरीद रहा है।

(ख) २ संख्या ४ क्यूबिक मीटर क्षमता के
६ संख्या ४.६ क्यूबिक मीटर क्षमता के
१ संख्या ५ क्यूबिक मीटर क्षमता के
४ संख्या ८ क्यूबिक मीटर क्षमता के

†मूल अंग्रेजी में

(ग) ये यन्त्र निगम के बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की खुली-कास्ट परियोजनाओं में प्रयोग किये जायेंगे ।

(घ) ये यन्त्र इन परियोजनाओं को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होंग और उन में प्रचलित परिस्थितियों में प्रयोग के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हैं।

अमरीकी शिक्षा प्रणाली का प्रदर्शन

१४५९. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका की पढ़ाई की पद्धतियों का प्रदर्शन करने हेतु भारत में कुछ संस्थाओं की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो ये संस्थाये कहां-कहां स्थापित की गई हैं ;

(ग) उनका कार्य कब से आरम्भ हुआ ; और

(घ) कितने व्यक्ति उससे लाभान्वित हुये और उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) से (घ) विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० १६४९/६३]

काश्मीर में विदेशी विद्यार्थियों का शिविर

१४६०. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी विद्यार्थियों का एक शिविर काश्मीर में मई, १९६३ में समपन्न हुआ ;

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थी किन-किन देशों से आकर सम्मिलित हुए; और

(ग) किस संस्था के तत्वावधान में यह शिविर लगा था ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर): (क) विदेशी छात्रों के लिए काश्मीर में मई-जून १९६३ में दो कैंप आयोजित किए गए थे।

(ख) मारिशस, नाइजीरिया, मलाया, युगांडा, केन्या, वेस्ट इंडीज़, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटिश गाइना, श्री लंका, आस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, बर्मा, अदन, जापान, यूगोस्लाविया, नेपाल, सोवियत रूस, थाइलैंड, संयुक्त अरब गणराज्य, जार्डन, न्यासालैंड, फिजी, कैमरून, टांगानिका, दक्षिण रोडशिया और जंजीबार के १२३ छात्रों ने दोनों कैम्पों में हिस्सा लिया।

(ग) भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्।

कोयला उद्योग को प्रतिकर

†१४६१. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या संघ सरकार ने विस्तार और अधुनिकीकरण के साथ रियायतें द्वारा कोयला उद्योग को प्रतिकर देने का निर्णय किया हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या विकास छूट रियायत के साथ यह शर्त है कि इसका ७५ प्रतिशत भावी विकास के लिए रखा जाये ;

(ग) क्या उद्योग की ओर से मूल्य में वृद्धि करने के लिये मांग की जाती रही है और क्या सरकार ने वृद्धि को मान लिया है ;

(घ) यदि हां, तो इस वृद्धि का रेलवे और सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयन्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) भारत में कोयला उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रोत्साहन के लिए, कोयला खनन उद्योग के लिए आवश्यक कुछ मशीनरी और सामान पर आयात शुल्क घटा दिया है। इसके बाद यह प्रस्ताव है कि १-४-१९६३ से ३१-३-१९६६ तक लगाई जाने वाली नई कोयला खनन मशीनरी या संयंत्र के लिए, आयकर निर्धारण के प्रयोजन के लिए दी जाने वाली विकास छूट को उसकी लागत से २०% से ३५ % कर दिया जाये। इस सम्बन्ध में आय-कर में संशोधन करने के लिए आवश्यक पग उठाये जा रहे हैं।

(ख) इसके साथ यह शर्त है कि आय-कर अधिनियम, १९६१ की धारा ३४ की उपधारा (३) में निर्धारित विधि के अनुसार एक समिति रखनी होगी।

(ग) उद्योग कोयले के मूल्य में वृद्धि की मांग करता रहा है किन्तु सरकार ने अभी इसे नहीं माना।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

शिक्षा विभाग, दिल्ली

१४६२. **श्री नवल प्रभाकर:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के शिक्षा विभाग में मई, १९६३ में कार्य का बटवारा किस प्रकार था ?

शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग का अध्यक्ष शिक्षा निदेशक है, जिसके ऊपर सारे विभाग के प्रशासन और संगठन की जिम्मेदारी है। निदेशक का प्रधान कार्यालय निम्नलिखित प्रशासन अनुभागों में विभाजित है :—

१. प्रशासन १ (लड़कों के स्कूल)

२. प्रशासन २ (लड़कियों के स्कूल)

३. सहायता प्राप्त स्कूल, भवन निर्माण, शारीरिक शिक्षा तथा सामान्य

४. योजना और विज्ञान शिक्षा

५. समाज और श्रव्य-दृष्य शिक्षा

६. शिक्षक प्रशिक्षण

७. अध्यापक कल्याण

८. पाठ्य-पुस्तकें

९. बजट और हिसाब

---

†मूल अंग्रेजी में

हर अनुभाग एक सहायक निदेशक के अधीन है, सिवाय बजट और हिसाब अनुभाग के जो लेखा अधिकारी के अधीन है। सरकारी स्कूलों और सहायता पाने वाले स्कूलों के दिन प्रति दिन के प्रशासन, देखभाल और निरीक्षण के लिये दिल्ली का संघीय क्षेत्र चार शैक्षिक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में दो निरीक्षकों के अधीन है, जिनमें से एक लड़कों के स्कूलों और दूसरा लड़कियों के स्कूलों के लिए है।

दिल्ली शिक्षा विभाग की पाठ्य-पुस्तक निर्धारण समिति

१४६३. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में पाठ्य-पुस्तक निर्धारण समिति का गठन किस प्रकार किया जाता है ; और

(ख) पाठ्यक्रम के लिये पुस्तकें निर्धारित करने का क्या तरीका है ?

शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) और (ख). दिल्ली निदेशालय की पाठ्य-पुस्तक निर्धारण समिति ने कार्य करना बन्द कर दिया है। अतः बाकी का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकें

१४६४. श्री नवल प्रभाकर : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों की सूची जून, १९६३ तक तय नहीं की गयी थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) दो पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त बाकी पुस्तकों की सूची अप्रैल, १९६३ में ही तय कर दी गई थी।

(ख) दोनों उपर्युक्त पाठ्य-पुस्तकें उस समय शिक्षा निदेशालय दिल्ली द्वारा तैयार की जा रही थीं। उनके नामों की घोषणा १० जुलाई, १९६३ को कर दी गई थी।

नागा विद्रोही

†**१४६५.** { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ जून, १९६३ को मनीपुर के पुराने तामेंगलांग उप-विभाग में हाओ-चांग के समीप मनीपुर राइफल्स का एक राइफल मैन नागा विद्राहियों द्वारा एक मुठभेड़ में मार दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). तामेंगलांग उप-विभाग में हाओचांग, अवांगखुल, एजीकारोंग, मरगांचिंग और नागटेक गांवों में घूमने वाले नागा गुंडों

---

†मूल अंग्रेजी में

की खोज करने वाले मनीपुर राइफल के एक अग्रिम गार्ड दस्ते पर ६ जून, १९६३ को मरांगचिंग के समीप सशस्त्र नागा गुंडों पर छापा मारा था। गोली चलाने के मुकाबिले में एक राइफलमैन मारा गया था और एक और को साधारण चोटें आई थी।

परीक्षा में असफलतायें

†१४६६. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री दे० जी० नायक :
श्री विश्वनाथ राय :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा के सब स्तरों पर अत्यधिक असफलताओं से होने वाली हानि को कम करने के लिए क्या सरकार ने विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्तरों पर शिक्षा के पुनर्गठन की एक योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की रूप रेखा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन्)** : (क) और (ख). माध्यमिक स्तर पर शिक्षा के पुनर्गठन के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित समिति विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तरों की एक निष्पक्ष और योजनाबद्ध जांच कर रही है।

जिला विवरणिकायें

†१४६७. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री हेम राज :
श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संशोधित जिला विवरणिकायें प्रकाशित करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सहायतार्थ कुल कितनी रकम दी है ; और

(ख) कितनी विवरणिकायें अब तक प्रकाशित की गई हैं और राज्य-वार कब तक सारा कार्य समाप्त हो जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) राज्य सरकारों को १९६२-६३ के अन्त तक जिला विवरणिकाओं के संकलन तथा मुद्रण के लिए राज्य सरकारों को ४,१९,२५७ रुपये की राशि दी गई है।

(ख) अब तक २८ जिला विवरणिकायें प्रकाशित की गई हैं। सभी राज्यों में यह सारा काम चौथी योजना के अन्त तक समाप्त हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

'राजोली बांदा' परियोजना

†१४६८. **श्री पें० वेंकटा सुब्बया :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'राजोली बांदा' परियोजना (सिंचाई) हैडवर्क्स को मैसूर से आंध्र प्रदेश को दे देने के प्रस्ताव की दक्षिण क्षेत्रीय परिषद् की बैठक में, जो हाल में हैदराबाद में हुई थी, चर्चा की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दोनों राज्य सरकारों के बीच कोई समझौता हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी हां ।

(ख) बैठक में आंध्र और मैसूर के मुख्य मंत्रियों ने परिषद् की बैठक से पहले इस पर बहस करना मान लिया था ।

नोह में खुदाई

†१४६९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृति-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि राजस्थान में भरतपुर से ४ मील दूर नोह में भारत-अमरीकी संयुक्त खुदाई की जायेगी, ताकि इतिहास से पूर्व के युग से गुप्त युग तक भारत के कला इतिहास में कुछ खोये हुए जोड़ मालूम किये जा सकें ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (डा० म० मो० दास) :** राजस्थान सरकार के पुरातत्व विभाग से एक प्रार्थना प्राप्त हुई है कि उन्हें नोह के स्थान पर केलेफोरनिया विश्वविद्यालय के सहयोग के साथ खुदाई करने दी जाये ।

'यूनेस्कों' से सामान

†१४७०. **श्री वारियर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में 'यूनेस्को' ने भारत को कुल कितने रुपये का सामान दिया है ; और

(ख) यह सामान विभिन्न राज्यों में कैसे वितरित किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). युनेस्को ने १९६०, १९६१, और १९६२ में १२६ १८,०५७.११ रुपये का सामान देने का वायदा किया है। १९६२ में मंगवाया गया कुछ सामान अभी नहीं मिला किन्तु शीघ्र प्राप्त हो जायेगा। राज्यवार संस्थाओं को दिये गये माल के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

काल गर्ल्स' सम्बन्धी कूट योजना

†१४७१. { डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजधानी में तथाकथित 'कॉल गर्ल्स' सम्बन्धी कूट योजना के अस्तित्व की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या इस मामले की जांच की जा चुकी है और यदि हां, तो क्या निष्कर्ष निकला है ; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) :(क) जी हां। कुछ समय से दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।

(ख) जांच से कुछ 'कॉल गर्ल्स' के अस्तित्व का पता चला, परन्तु बुराई बहुत अधिक मात्रा में नहीं पाई गई ।

(ग) जिन मामलों का पता चला, उनके सम्बन्ध में मुकदमे चलाए गए। इन मामलों का पता लगाने और उनके सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए पुलिस विशेष रूप से जागरूक है।

अपाहिज बच्चे

†१४७२. श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अन्धे बच्चों की शिक्षा के लिए एक नई योजना बनाई है जो कि अपाहिज बच्चों को छात्रावास वाले स्कूलों में शिक्षा देने की चालू योजना से अधिकतर कार्यक्षम और कम व्यय वाली होगी; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के क्या मुख्य पहलू हैं और यह कब कार्यान्वित की जाएगी ?

†शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायंन कबिर) : (क) और (ख). ऐसी एक योजना बनाई जा रही है।

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम

१४७३. श्री ओंकारलाल बेरवा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ४ अप्रैल, १९६३ के असाधारण गजट भाग २, सेक्शन ३, सब-सेक्शन (२) में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार फिनलैंड के प्रकाशनों पर भी १९५७ का १४वां प्रतिलिप्यधिकार कानून लागू कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह कानून लगाने का क्या कारण था ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूंन कबिर) : (क) और (ख). जी हां। यह युनिवर्सल कापीराइट कन्वन्शन के उपबन्धों के मुताबिक लागू किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस को उपकुलपतियों का प्रतिनिधि मंडल

१४७४. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से एक उपकुलपतियों का प्रतिनिधिमंडल रूस भेजा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस में कितने प्रतिनिधि होंगे;

(ग) वे वहां पर किन विषयों का अध्ययन करेंगे;

(घ) यह दौरा कितने दिनों का होगा; और

(ङ) इसका खर्चा कौन देगा ?

शिक्षा मंत्रालय के भारसाधक मंत्री (श्री हुमायूंन कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) तीन ।

(ग) उच्च शिक्षा की रूसी प्रणाली—विशेष रूप से शिक्षा के माध्यम तथा पाठ्यपुस्तकों के निर्माण के सम्बन्ध में ।

(घ) तीन सप्ताह ।

(ङ) भारत में स्थानीय यात्रा तथा दिल्ली से ताशकंद और ताशकंद से दिल्ली तक के यात्रा व्यय को छोड़ कर बाकी सारा खर्च रूस सरकार देगी ।

स्कूलों में कार्य के दिन

१४७५. **श्री ओंकारलाल बेरवा :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि छात्रों को स्कूलों में वर्तमान की अपेक्षा अधिक समय दिया जाना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो स्कूलों में कम से कम कितने कार्य-दिवस का सुझाव दिया गया है; और

(ग) इस सिफारिश पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन) : (क) और (ख). बोर्ड ने सिफारिश की थी कि माध्यमिक स्कूलों में न्यूनतम १२०० घण्टों के शिक्षण-कार्य के साथ एक वर्ष में न्यूनतम कार्य-दिवस २२० से कम नहीं होने चाहिएं ।

(ग) राज्य सरकारों से प्रार्थना की गई है कि वे इस सिफारिश को कार्यान्वित करें ।

"वैल्यूज आफ लाइफ इन दी माडर्न वर्ल्ड"

१४७६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के बी० ए० के पाठ्यक्रम में "वैल्यूज आफ लाइफ इन दी माडर्न वर्ल्ड" नामक अंग्रेजी की पुस्तक पढ़ाई जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस पुस्तक के पृष्ठ १२१ पर एक ज़िम्मेदार भारतीय नेता के नाम से एक ऐसा उद्धरण दिया गया है जिसमें चीन को भारत की अपेक्षा नैतिकता और अन्य कई ऐसे गणों में अच्छा बताया गया है; और

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं; और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर) : (क) जी, हां ।

(ख) यह पुस्तक विभिन्न लेखकों के निबन्धों का संग्रह है । पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा बहुत पहले लिखी गई "डिस्कवरी आफ इंडिया" नामक पुस्तक में से "दी इम्पार्टेंस आफ दी नेशनल आइडिया : चेंजिज़ नेसेसरी इन इंडिया" नामक लेख इन निबन्धों में से एक है । इस निबंध में चीन की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थिति का जिक्र तो है, लेकिन इस में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि चीन भारत की अपेक्षा नैतिकता और अन्य कई ऐसे गुणों में ऊंचा है ।

(ग) जी, नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†१४७७. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न मंत्रालयों में मंत्रियों, उपमंत्रियों और सचिवों के लिए चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की मंजूर की गई संख्या क्या है और प्रत्येक मंत्रालय में प्रत्येक मंत्री।सचिव के साथ यथार्थ में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मंजूर की हुई संख्या इस प्रकार है :—

	जमादार	चपड़ासी
मंत्री परिषद् का मंत्री	१	३
राज्य मंत्री	१	२
उपमंत्री	१	१
सचिव	१	१

जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रखी जायेगी ।

आयल इंडिया लिमिटेड

†१४७८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा आयल कम्पनी ने ब्रिटिश मैट्रोलियम और शैल कम्बाइन से आयल इण्डिया लिमिटेड में अपने हितों को बेचने के लिए बातचीत की थी; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या नतीजा निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जून, १९६३ में दो ब्रिटिश गैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड और दी शैल पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड ने बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड के सामने बर्मा आयल कम्पनी के पूंजी पुनर्निर्माण के लिए और उन द्वारा बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड की सारी पुनर्निर्मित पूंजी के अर्जन के लिए प्रस्ताव रखे । आयल इण्डिया लिमिटेड में बर्मा आयल कम्पनी के हितों के विक्रय के बारे में कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं था ।

(ख) ब्रिटिश पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड और शैल पैट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड का प्रस्ताव बर्मा आयल कम्पनी लिमिटेड के बोर्ड आफ डायरैक्टर्ज़ ने मंजूर नहीं किया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग

†१४७९. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी : }

क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अनुसंधान और प्रशिक्षण विभाग में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) आज तक नियुक्त किये गये विदेशी या स्थानीय विशेषज्ञों की क्या संख्या है;

(ग) क्या सभी अपेक्षित सामान मंगवा लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (पैट्रोलियम समन्वेषण के लिए संस्था) का प्रशिक्षण और अनुसन्धान विभाग देहरादून में स्थापित कर दिया गया है और व्यावहारिक किस्म की कुछ अनुसन्धान समस्याओं का अध्ययन आरम्भ किया गया है। अगस्त, १९६३ में भू-भौतिकी के विद्वानों, कुएं के स्थानों से सम्बन्धित भू-वैज्ञानिकों और कीचड़ रसायनज्ञों के लिए तीन महीनों की कालावधि की प्रशिक्षण श्रेणियां आरम्भ कर दी हैं।

(ख) प्रोजैक्ट मैनेजर, प्रो० एन० ए० ऐरीमैंकों दिसम्बर, १९६२ के अन्त में इस संस्था में आये। इस प्राजैक्ट के अधीन आठ और विदेशी विशेषज्ञों जो नियुक्त किये जायेंगे उन में से सात का चुनाव पहले ही मंजूर किया जा चुका है और दो के शीघ्र ही काम पर आने की आशा है। भारत की ओर से डायरैक्टर, डिप्टी डायरैक्टर, चार असिस्टेंट डायरैक्टर और ६ सीनियर साइंटिफिक आफिसर नियुक्त किये गये हैं।

(ग) अभी नहीं। उन को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

(घ) जुलाई, १९६३ में संयुक्त राष्ट्र संघ अधिकारियों को विदेशी सामान की जो पहली सूची भेजी गई थी उसे जून, १९६३ में भारतीय विशेषज्ञों के काम आने के बाद अन्तिम रूप दिया जा सका। अन्य सूचियां विदेशी विशेषज्ञों के आने पर उन की सहायता से तैयार की जायेंगी ?

म्युनिसिपल बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर को सहायक अनुदान

†१४८०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीपसमूहों में म्युनिसिपल बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर को वित्तीय सहायक अनुदान किस आधार पर दिये जाते हैं; और

(ख) १९६२–६३ और १९६३–६४ में कितना अनुदान मंजर किया गया, कितना दे दिया गया ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) बोर्ड की आय और व्यय के वार्षिक प्राक्कलन पर विचार करने के बाद सहायक अनुदान मंजूर किये जाते हैं और तीसरी योजना में मंजूर विकास योजनाओं के लिए सहायक अनुदान दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६२–६३ के दौरान में २,३०,४०० रुपये का अनुदान मंजूर किया गया और दिया गया। अगस्त, १९६३–६४ तक ५०,००० रुपये मंजूर किये गये हैं। ये यथासमय दिये जायेंगे।

अन्दमान में ऋणों की वसूली

†१४८१. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९६३ तक विभिन्न योजनाओं (कम आय आवास योजना और तकावी ऋण योजना) के अन्तर्गत किए गए ऋणों की जिन की वसूली करनी है क्या राशि है ;

(ख) क्या तत्सम्बन्धी योजनाओं की शर्तों के अन्तर्गत इन ऋणों के पुनः भुगतान में अनुचित देरी हुई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: (क) कम आय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत रुपये ९२,८५६.१८ नए पैसे। तकावी ऋणों के अन्तर्गत रुपये ६४,८६०.२८ नए पैसे।

(ख) उधार लेने वालों की समय पर न लौटा सकने की क्षमता के कारण मुख्यतः देरी हुई है।

शिक्षा और व्यावसायिक मार्ग दर्शन विभाग

†१४८२. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में शिक्षा और व्यवसायिक मार्ग दर्शन विभाग के लिए उड़ीसा सरकार को अब तक कुल कितना ऋण और अनुदान दिया गया ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन)** : अब तक ९,२१५ रुपये का अनुदान दिया गया है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता

†१४८३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता की मूल्यवान पुस्तकों को कीड़ों ने नष्ट कर दिया है ;

(ख) क्या विदेशी मुद्रा की कमी के कारण इन पुस्तकों की सुरक्षा के लिये मशीनें और उपकरण प्राप्त नहीं की जा सकती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो स्वदेश में निर्मित वैकल्पिक मशीनें और विधि नहीं अपनाने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून कबिर)**: (क) से (ग). पुस्तकालय में पुस्तकों की समय समय पर की गई जांच के दौरान कर्मचारियों को पता लगा कि चीनी पुस्तकों के संग्रह में कुछको कीड़ों ने नष्ट कर दिया है। इन से बचाव के लिये शीघ्र कदम उठाये गये और राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण पुस्तक संग्रह को कीड़ों से दूर करने की व्यवस्था की गई। पुस्तकों की सुरक्षा की सब देशी विधियां पहले से ही प्रयुक्त की जा रही हैं किन्तु विदेशी

---

†मूल अंग्रेजी में

मुद्रा कठिनाइयों के कारण वक्यूम फूमिगेशन चैम्बर की अब तक स्थापना नहीं हो सकी है । इस कार्य के लिये आवश्यक उपकरण प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

नाटय शालाओं को सहायता

†१४८४. श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :

क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में केन्द्रीय सरकार ने नाट्यशालाओं के लिए सहायता दी है ;

(ख) ड्रामा संस्थाओं को सहायता देने के लिए क्या मापदण्ड निर्धारित किया गया है ; और

(ग) १९६२-६३ में कितनी रकम दी गई है तथा किन किन नाट्यशालाओं अथवा ड्रामा कम्पनियों को दी गई है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं कबिर) : (क) से (ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक के सामने बताये गये निम्नलिखित नाट्यदलों को 'नाट्यशालाओं को सहायता' योजना के अन्तर्गत सहायता दी गई थी ; इस के लिये उन्हें निर्धारित शर्तें पूरी करना और सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा उन की सिफारिश करना आवश्यक है ।

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	नाट्य ग्रुप का नाम	रकम
			रुपये
१	आंध्र प्रदेश . .	(१) आंध्र कलाकार एसोसिएशन, तेनाली . . .	४,०००
		(२) श्री विजय लक्ष्मी नय-मण्डली अनकपल्ली . .	४,०००
२	मध्य प्रदेश . .	कौशल नाट्य संघ, ग्वालियर .	४,०००
३	मद्रास . .	टी० के० एस० नाटक सभा, मद्रास .	४,०००
४	महाराष्ट्र . .	(१) इंडियन नेशनल थिएटर, बंबई	४,०००
		(२) लिटल थिएटर (बाल रंग-भूमि), बम्बई . .	४,०००
५	मनीपुर . .	मनीपुर ड्रामाटिक यूनियन, इम्फाल .	४,०००
६	मैसूर . .	विजय ड्रामाटिक एसोसिएशन, गडग	४,०००
७	उड़ीसा . .	(१) जनता रंगमंच, कटक .	७,५००
		(२) अन्नपूर्णा थिएटर ग्रुप 'ए', पुरी	७,५००*
८	पंजाब . .	इण्डियन कल्चरल सोसाइटी, अमृतसर	४,०००*

*सरकारी अनुदान की आरम्भिक और अन्तिम किश्तें बताई गई हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

क्रम संख्या	राज्य/संघ क्षेत्र	नाट्य ग्रुप का नाम	रकम
			रुपये
६	पश्चिम बंगाल .	१. अभ्युदय, कलकत्ता . .	४,०००
		२. चतुर्मुख, कलकत्ता .	"
		३. चतुरंग, कलकत्ता .	"
		४. दशरूपक, कलकत्ता .	"
		५. गांधर्व, कलकत्ता .	"
		६. लोक मंच, कलकत्ता . .	"
		७. मथुरापुर यंग मेन्स एसोसिएशन, मथुरापुर, २४-परगना .	"
		८. एम० जी० एण्टरप्राइज़, कलकत्ता	"
		९. रूप बसवार, कलकत्ता .	"
		१०. संगथानी, उदयपुर, बरास्ता बेलधरिया, २४–परगना .	"
		११. सागधर, कलकत्ता .	"
		१२. शौवानिक, कलकत्ता .	"
		१३. श्रीमंच, कलकत्ता .	"
		१४. सुन्दरम, कलकत्ता . .	"
		१५. यूनिटी थिएटर, कलकत्ता .	"

(२) इस में १९६१–६२ में अनुमोदित नाटकों पर दूसरी किश्त के रूप में १९६२-६३ में प्रदत्त अनुदान शामिल नहीं है ।

राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए अभिलेख

†१४८५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों और कागजपत्रों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया था जोकि देशी राज्यों के भूतपूर्व शासकों के अधिकार में थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने भूतपूव शासकों के साथ संपर्क स्थापित किया गया था और उन में से कितनों ने अभिलेखों और कागज-पत्रों को देने से मना कर दिया है ; और

(ग) क्या कोई विधान बनाने का विचार है जिस से कि सरकार ऐसे सभी दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिए ले सके ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौदरम रामचन्द्रन)** : (क) जी हां ।

(ख) १४ जून, १९४९ की, सभी भूतपूर्व शसकों की इस आशय की एक अपील जारी की गई थी कि जो हस्तलेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेज़ उन के अधिकार में हैं वे एक केन्द्रीय स्थान में सुरक्षापूर्वक रख दिये जायें और जो ऐसे हस्तलेख हैं जोकि सार्वजनिकनि धियों से अर्जित किये गये हैं उन्हें अभिलेखागार निदेशक को अथवा अन्य ऐसे प्राधिकारियों को दिया जाय जिन्हें कि भारत

†मूल अंग्रेज़ी में

सरकार बताये । उन को यह भी सुझाव दिया गया था कि ऐसे हस्तलेखों की जोकि उन की निजी सम्पत्ति हैं और जिन की ऐतिहासिक गवेषणा के लिये आवश्यकता पड़ सकती है वे लोग राष्ट्र को भेंट कर दें । परन्तु इस अपील का कोई ठोस परिणाम नहीं निकला ।

फिर १३ जून, १९५१ को, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की अनुसंधान तथा प्रकाशन समिति द्वारा जुलाई १९५० में जो एक संकल्प पारित किया गया था, जिस में यह सिफारिश की गई थी कि शासकों के संरक्षण में जो अभिलेख तथा पाण्डुलिपियां हैं उन्हें वैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार सुरक्षित रखा जाय वास्तविक ऐतिहासिक अनुसंधान के लिये प्राप्य कर दिया जाय, उस की एक प्रतिलिपि भाग 'ख' राज्यों के सभी राजप्रमुखों तथा भाग 'ग' राज्यों के सभी मुख्य आयुक्तों को भेज दी गई थी और उनसे यह प्रार्थना की गई थी वे इस मामले को सभी शासकों के साथ उठायें और उनका सहयोग प्राप्त करें । जिन शासकों ने उत्तर दिया था उन्हों ने बताया था कि उन के संरक्षण में कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है । १९५७ में, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ग्वालियर के भूतपूर्व शासक से यह प्रार्थना की थी कि उन के अधिकार में जो मेनावली दफ्तर है उसकी ऐतिहासज्ञों के उपयोग के लिये लघु फिल्म लेने के कार्य में वे अपना सहयोग दें । वह इसके लिये भी सहमत नहीं हुए । भूतपूर्व शासकों के व्यवहार को दृष्टिगत रखते हुए, इस मामले का आगे अनुसरण नहीं किया गया ।

(ग) जी, नहीं ।

केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड

†१४८६. **श्री विश्वनाथ पांडेय :**
श्री बाल गोविंद वर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, १९६३ में पटना में केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस में प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में क्या निर्णय किए गए और समिति ने क्या सुझाव दिए ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौदरम् रामचन्द्रन): (क) जी, हां ।

(ख) समिति की रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये रूसी शिक्षक

†१४८७. **श्री प्र० के ० देव** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के कुछ विश्वविद्यालयों में रूसी भाषा को पढ़ाने के लिए कुछ रूसी शिक्षक लाये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी है और उन की नौकरी की क्या शर्तें हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९६३–६४ में लगभग १० शिक्षकों के भारत में आने की आशा है। उन की नौकरी की शर्तों पर विचार किया जा रहा है।

मंत्रियों का वेतन

†१४८८. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रियों को मिलने वाले उन के वेतन और निःशुल्क सुविधाओं और सेवाओं सहित उन की औसत मासिक उपलब्धियां कितनी हैं ; और

(ख) क्या उन के द्वारा उपभोग की जाने वाली निःशुल्क सुविधाओं और सेवाओं को समाप्त कर के उन्हें नियत वेतन देने का कोई विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) मंत्रियों के वेतन, भत्ते और अन्य विशेषाधिकार मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम, १९५२ और उस के अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार दिये जाते हैं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

टीटागढ़ का महिला शिविर

†१४८९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा मंत्री ६ सितम्बर, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या टीटागढ़ महिला शिविर, २४-परगना, के स्थायी दायित्व शिविर में तम्बुओं में रहने वाली महिलाओं को पक्के मकानों में रहने की जगह दे दी गई है ;

(ख) तीव्र दुनर्वास के लिये महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं का सुधार करने के हेतु क्या पुनर्गठन सम्बन्धी कदम उठाये गये हैं;

(ग) कितनी महिलायें भूमि और गृह-निर्माण ऋणों के लिये प्रतीक्षा कर रही हैं जिस से कि वे शिविर त्याग कर सकें; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम रामचन्द्रन)** : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल सरकार से जो कि संस्था को चलाती है स्थिति को बताने की प्रार्थना की गई है। उन्हों ने अभी तक जानकारी नहीं भेजी है ।

विदर्भ में आदिम जातियों के लोग

†१४९०. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि केवल विदर्भ में ही उन आदिम जातियों के लोगों को जो कि संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अधीन उल्लिखित अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे हैं आदिम जातियां घोषित किया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह सच है कि शेष राज्य में सभी आदिवासियों को अनुसूचित आदिम जातियां समझा जाता है चाहे वे अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे हों अथवा उन के बाहर ;

(ग) क्या यह भी सच है कि १९६१ की जनगणना में, विदर्भ में अनुसूचित क्षेत्रों के बाहर के आदिम जाति के लोगों को आदिम जातियों के रूप में गणना भी नहीं की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर)** : (क) और (ख). विदर्भ में अनुसूचित आदिम जातियों के वर्गीकरण का—जो कि अनुच्छेद ३४२ के अधीन किया गया है—अनुसूचित क्षेत्रों के प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । तथापि, कुछ अनुसूचित आदिम जातियों को अनुच्छेद ३४२ के अन्तर्गत विदर्भ के कुछ विशेष क्षेत्रों के सम्बन्ध में वर्गीकृत किया गया है । (सम्भवत: विदर्भ से माननीय सदस्य का मतलब महाराष्ट्र के उन भागों से है जो कि राज्यों के पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के अंग थे ।) जैसा कि होता आया है, इन वर्गीकृत क्षेत्रों मे विदर्भ के सभी अनुसूचित क्षेत्र और कुछ गैर-अनुसूचित क्षेत्र सम्मिलित हैं। महाराष्ट्र के गैर-विदर्भ वाले भाग के लिये भी अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कोई सामान्य सूची नहीं है ।

(ग) और (घ). वर्ष १९६१ की जनगणना में किसी भी जाति अथवा आदिम जाति को, जब तक कि वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति न हों, पृथक रूप से नहीं गिना गया ।

विदर्भ के 'वर्गीकृत' क्षेत्रों के बाहर रहने वाले आदिम जातीय लोग अनुसूचित आदिम जातियों के के नहीं हैं और इसी लिये उन को वर्ष १९६१ की गणना में अनुसूचित आदिम जाति नहीं गिना गया ।

मैसूर राज्य में तेल की खोज

†१४९१. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में तेल की खोज के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कहां, और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)**: (क) जी, नहीं। इस राज्य की चट्टानों में तेल निकलने की कोई सम्भावना नहीं है ?

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

गोहाटी में तेल शोधक कारखाना

†१४९२. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री बसुमतारी :
श्री याज्ञिक :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री १४ अगस्त, १९६३ के गौहाटी तेल शोधक कारखाने से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न संख्या २०९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस कारखाने के कार्यकरण को पुनरुज्जीवित करने में कितना समय लगने की सम्भावना है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस कारखाने के बन्द हो जाने के उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में सम्बन्धित उपकरण के स्विटजरलैंड के संभरणकर्ताओं और जिन्हों ने यह कारखाना बनाया है उन रूमानिया के ठेकेदारों के बीच एक विवाद चल रहा है तथा क्या इस विवाद से कारखाने के मरम्मत / प्रतिस्थापन कार्य के रुक जाने की सम्भावना है, जो कि कारखाने को फिर से चालू करने के लिये आवश्यक है ?

†खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन) : (क) मिट्टी के तेल का शोधन करने वाली यनिट २५ अगस्त, १९६३ को पुन: चालू कर दी गई थी और तब से ही कार्य कर रही है ।

(ख) जी नहीं ।

सहायक शिक्षा सलाहकार

१४९३. {श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में सहायक शिक्षा सलाकार के कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं; और

(ख) इस समय इन जातियों के कितने कर्मचारी इन पदों पर कार्य कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन): (क) जहां तक आरक्षा का प्रश्न है, इन पदों को कुछ अन्य प्रथम श्रेणी के पदों के साथ मिला दिया गया है। इसलिये इन पदों के लिए अलग से आरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ख) सारे वर्ग में कुल मिला कर तीन व्यक्ति हैं; जिन में, दो सहायक शिक्षा सलाहकार भी शामिल हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष

१४९४. {श्री कछवाय :
श्री बड़े :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ग्रेड १ और २ और ग्रेड ३ पुस्तकाध्यक्ष के कितने कितने पद सुरक्षित हैं; और

(ख) उन पदों पर इन जातियों के वास्तव में कितने कितने कर्मचारी इस समय काम कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन): (क) जहां तक आरक्षा का प्रश्न है, पुस्तकाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के पद को कुछ अन्य द्वितीय श्रेणी के राजपत्रित पदों और पुस्तकाध्यक्ष द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के पदों को कुछ अन्य तृतीय श्रेणी के अराजपत्रित पदों के साथ मिला दिया गया है। इसलिये, इन तीन श्रेणियों के पुस्तकाध्यक्षों के लिये अलग से आरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पुस्तकाध्यक्ष प्रथम श्रेणी—कोई नहीं ।
पुस्तकाध्यक्ष द्वितीय श्रेणी—कोई नहीं
पुस्तकाध्यक्ष तृतीय श्रेणी—एक (अनुसूचित जाति)

(अनुसूचित जाति के द्वितीय श्रेणी का एक, पुस्तकाध्यक्ष और तृतीय श्रेणी का एक पुस्तकाध्यक्ष जिनका मंत्रालय में स्थायी पद पर पूर्वाधिकार (लियन) है, इस समय अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर रहे हैं)

शिक्षा अधिकारी

१४९५. **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में शिक्षा अधिकारी के कितने पद हैं ;

(ख) इन में से कितने पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित हैं; और

(ग) इन पदों पर इन जातियों के कितने कर्मचारी वास्तव में इस समय काम कर रहे हैं ।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) तेरह ।

(ख) जहां तक आरक्षा का प्रश्न है, इन पदों को कुछ अन्य प्रथम श्रेणी के पदों के साथ मिला दिया गया है । इसलिये शिक्षा अधिकारी के पदों के लिये अलग से आरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ।

(ग) सारे वर्ग में कुल मिला कर तीन व्यक्ति हैं, जिन में एक शिक्षा अधिकारी भी शामिल है।

केंद्र-प्रशासित क्षेत्रों में हिन्दी

१४९६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प० ला० बारूपाल :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री कछवाय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज-काज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में उन के मंत्रालय ने मार्च, १९६१ में जो आदेश दिये थे उन्हें संघ राज्य क्षेत्रों में किस प्रकार और कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरतवीस) : मार्च, १९६१ में जारी किये गये आदेश संघ राज्य क्षेत्रों में आप से आप लागू नहीं होते । दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिये जो कदम उठाये गये हैं उन का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५०/६३]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रपत्रों का हिन्दी अनुवाद

†१४९७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री कछवाय :
श्री रामेश्वरानन्द :
श्री प० ल० बारूपाल :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन के मंत्रालय में ऐसे कौन से कार्यालय हैं जिन्हों ने अभी तक केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को विभागीय फार्म हिन्दी अनुवाद के लिये नहीं भेजे हैं; और

(ख) इस प्रकार के कार्यालयों से अभी कितने फार्म आने शेष हैं ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सौन्दरम् रामचन्द्रन) : (क) कोई भी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में यातायात का जमाव

†१४९८. **श्री शिवचरण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री १४ मई, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या १२४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ मुख्य बाजारों में, विशेषरूप से जी० बी० रोड तथा नया बाजार में, अभी तक यातायात का भारी जमाव हो जाता है;

(ख) क्या शहर में भीड़ भाड़ को कम करने के लिये शहर के बाहर कुछ पार्किंग स्थानों की व्यवस्था करने का दिल्ली की वृहद् योजना में कोई प्रस्ताव हैं;

(ग) यदि हां, तो तृतीय योजना काल में किन स्थलों का विकास करने का विचार है; और

(घ) यातायात के जमाव के कम करने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) अन्तर्राज्यीय यात्री बस सीमान्तों और पार्किंग के लिये स्थल नीचे बताये गये हैं । कुछ स्थलों में विकास कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(१) झंडेवालान के निकट ईदगाह के दक्षिण में एक स्थल ।

(२) मथुरा रोड पर केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था के उत्तर में एक स्थल ।

(३) शाहदरा रेलवे स्टेशन के निकट रेलवे लाइन और जी० टी० रोड के बीच एक स्थल ।

(४) काश्मीरी गेट के बाहर की ओर एक स्थल ।

(५) राष्ट्रीय उप-सड़क और यमुना नदी के पश्चिमी बांध के बीच के गन्दे नाले के पूर्व में एक स्थल ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वस्तु पार्सल सीमान्त और पार्किंग के लिये स्थल

(१) मोतियां खां क्षेत्र में, ईदगाह रोड के दक्षिण में उपयुक्त आकार का एक स्थल ।

(२) प्रस्तावित हवाई अड्डा सड़क के पश्चिम और प्रस्तावित राष्ट्रीय रजमार्ग के उत्तर में, शाहदरा क्षेत्र में एक स्थल ।

(३) अम्बाला को जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड पर आजादपुर पुलिस स्टशन के निकट एक स्थान ।

(४) नंगल विद्युत् स्टेशन के समीप रोहतक रोड के उत्तर तथा रिंग रोड और लारेन्स रोड के बीच में एक स्थल ।

(५) मथुरा रोड पर ओखला औद्योगिक बस्ती के निकट एक स्थल ।

(घ) दिल्ली में यातायात की हालतों में सुधार के सम्बन्ध में उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये जून, १९६३ में दिल्ली में यातायात सम्बन्धी एक समिति नियुक्त की गई थी । उस का प्रतिवेदन हाल ही में प्रस्तुत किया गया है । सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

जम्मू तथा काश्मीर से आये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० पदाधिकारी

१४९९. **श्री राम सेवक यादव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काश्मीर राज्य के अधिकारियों को भारत सरकार के आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के कैडर में लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या क्या है और कैडर में शामिल किये जाने से पहले वे जम्मू तथा काश्मीर राज्य में किन किन पदों पर कार्य कर रहे थ ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जी हां ।

(ख) आई० एस० एस० के केडर में १६ व आई० पी० एस० के केडर में ११ । केडर शामिल किय जाने से पहले यह अधिकारी जम्मू तथा काश्मीर राज्य में किन किन पदों पर कार्य कर रहे थे, यह सूचना राज्य सरकार से मांगी गई है, और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रखी जायगी ।

मद्रास में कोयला और लिग्नाइट

†१५००. { **डा० श्रीनिवासन** :
श्री परमशिवन :

क्या **खान और ईंधन** मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास राज्य में किन किन क्षेत्रों में हाल ही में कोयला और/अथवा लिग्नाइट पाया गया है; और

(ख) उसे निकालने के लिये क्या कदम उठाय गये हैं ?

†**खान और ईंधन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) चिंगलेपुट जिले में कट्टावक्कम के निकट कोयले के होने के और रामनाथपुरम जिले में करईकुडी के निकट लिग्नाइट के होने के समाचार मिले हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भारतीय भुगर्भ सर्वेक्षण संस्था इस समय चिंगलेपुट जिले में कोयले के होने के लिये बताये जाने वाले क्षेत्रों की जांच कर रही है और इस के पश्चात् वह करईकुडी के निकट लिग्नाइट के क्षेत्रों की जांच प्रारम्भ करेगी ।

आसाम के कालेजों को अनुदान

†१५०१. **श्री नि० रं० लास्कर** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम के उन कालेजों की संख्या कितनी है जिन्हें कि द्वितीय तथा तृतीय योजना कालों के दौरान १९६२–६३ तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदान मिले हैं; और

(ख) अनुदानों के क्या ब्यौरे हैं और अनुदान प्राप्त करने वाले कालेजों के क्या नाम हैं ?

†**शिक्षा मंत्रालय के भार-साधक मंत्री (श्री हुमायून कबिर)** : (क) सत्ताईस ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० १६५१/६३**]

करईकुडी के निकट कोयले के निक्षेप

†१५०२. **श्री मुथिया** : क्या खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य में करईकुडी के निकट कोयले के भारी निक्षेपों का पता लगा है;

(ख) क्या निकट भविष्य में उनसे कोयला निकालने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो आवश्यक छिद्रण कार्यवाही कब की जायेगी ?

†**खान और धन मंत्री (श्री अलगेशन)** : (क) जी, नहीं । परन्तु लिग्नाइट की प्राप्ति का समाचार मिला है ।

(ख) भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण संस्था प्राप्ति क्षेत्र में अग्रेतर जांच करेगी ।

(ग) यदि प्रारम्भिक जांचों के परिणामस्वरूप यह कार्य आवश्यक समझा जायेगा तो छिद्रण कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी ।

दिल्ली प्रशासन के वेतन क्रम

†१५०३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मख्य आयुक्त के कार्यालय के अतिरिक्त दिल्ली प्रशासन के कुछ कार्यालयों में वेतनक्रमों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के वेतन क्रमों के बराबर नहीं किया गया है यद्यपि इन पदों के लिये समान कर्तव्य निर्धारित हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) उन पदों के वेतन क्रमों को जिनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व समान हैं केन्द्रीय वेतन-क्रमों के अनुसार पुनरीक्षित किया गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

जबकि अन्य पदों के वेतन-क्रम वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उत्तरदायित्वों और कर्तव्यों के सापेक्षिक मूल्यांकन के आधार पर पुनरीक्षित किये गये थे ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

दिल्ली में कारों और मोटर साइकलों की चोरी

†१५०४. **श्री महेश्वर नायक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष में अब तक दिल्ली में कारों और मोटर-साइकिलों की चोरी के कितने मामले दर्ज किये गये हैं और कितने पकडे गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री हजरनवीस)** : (१ जनवरी, १९६३ से लेकर ३१ जुलाई, १९६३ तक की अवधि के बीच) ७१ मामले ।

चोरी के जो ७१ मामले दर्ज किये गये थे उन में से १६ रद्द कर दिये गये थे क्योंकि उनमें चोरी के अपराध के पहलुओं को पुलिस द्वारा सत्य सिद्ध नहीं किया जा सका । पुलिस ने कुल मिला कर ४६ चराई हुई गाड़ियां पकड़ भी ली हैं । ९ मामलों में अभियुक्तों पर मुकदमे चल रहे हैं ।

स्थगन प्रस्ताव और अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के पंजाब के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में जो अपना निर्णय दिया है उससे सारे पंजाब में असंतोष फैला हुआ है, जिस में यह स्पष्ट लिखा है कि छोटी छोटी चीजों की रिश्वत लेने के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार वहां चल रहा है । मैं ने इस के सम्बन्ध में कामरोको प्रस्ताव दिया था . . . .

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से दखल नहीं दे सकते । आप तो इतने सीनियर मेम्बर हैं । मैं इस बारे में कितनी बार दरख्वास्त कर चुका हूं । फिर भी मेम्बर साहब खड़े हो जाते हैं । आप थोड़ी सी तकलीफ करते और मेरे पास आकर कहते । आप मुझे यकीन करा देते कि मैं किस कायदे या कानून के मातहत इस को मंजूर कर सकता हूं । अगर आप एसा करते तो आप को शिकायत न रहती, और अगर रहती तो मैं उसको यहां उठाने की इजाजत दे देता । लेकिन अगर रोज इस तरह से माननीय सदस्य उठें तो आडरली बिजनैस हाउस का नहीं चल सकता । मैं ने आप को इत्तला दी थी कि मुझ कोई कानून ऐसा नहीं मिला जिसके मातहत मैं इजाजत दे सकता । अगर आप की तसल्ली नहीं हुई थी तो आप मेरे पास आते मैं आप को तसल्ली करा देता । और अगर आप मेरी तसल्ली करा देते तो मैं उस को जरूर लाता, लाजमी तौर पर लाता । पर आप इतनी तकलीफ कर लेते, आज नहीं तो कल यह आ सकता था । वैसे भी जब इस तरह का मोशन मेरे पास आता है तो मुझे उस पर विचार करने के लिए २४ घंटे का समय होता है । अगर आप मेरे पास आ जाते तो आप को यह शिकायत न रहती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह तो संविधान में स्पष्ट दिया हुआ है कि अगर किसी प्रान्त का शासन वहां के शासकों की वजह से स्थगित हो जाता है और वहां सरविसेज़ में असुरक्षा की भावना फैल जाती है, डिमारेलाइजेशन पैदा हो जाता है, तो केन्द्र को अधिकर है कि वहां की समस्याओं पर विचार करे । संविधान में यह स्पष्ट व्यवस्था है ।

अध्यक्ष महोदय : अब यहां यह बहस चलेगी, तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं ने यह फैसला किया है कि कल सुबह ही अखबार में यह निकला है, अभी तक गवर्नमेंट को जजमेंट लेने का मौका नहीं हुआ, न उन्होंने देखा होगा । सिर्फ अखबार में निकलने से यह बात नहीं हो जाती कि गवर्नमेंट फेल हो गयी है और उन्होंने इस्ट्रक्शन नहीं दिये । इस वास्ते यह एडजर्नमेंट मोशन एडमिसिबिल नहीं है । सरकार की ओर से कोई असफलता नहीं है । इसलिए मैं ने इस की अनुमति नहीं दी ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : औचित्य प्रश्न के हेतु । क्या यह आवश्यक है कि हम उस समय तक प्रतीक्षा करें, जब तक कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रति न मिल जाये ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को एक प्रति लेनी पड़ेगी ।

†**श्री ड० मु० त्रिवेदी** (मंडसौर) : देश के उच्चतम न्यायालय ने असद्भावी शब्द का प्रयोग किया है । अब प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने शपथ ली थी, उस को पूरा करने में व असफल रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उन के असफल होने के कारण मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दे सकता हूं ? प्रश्न यह है कि क्या यह सरकार असफल रही है ?

†**श्री रंगा** (चित्तूड़) : चूंकि इस सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की, उस हद तक यह सरकार असफल रही है । दूसरे, निर्णय की प्रति मैं सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे पटल पर नहीं रखा जा सकता । जब वे मुझे शाम को मिलें, तो वह प्रति मुझे दिखा सकते हैं । फिर हम देखेंगे कि क्या किया जा सकता है और क्या इस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री प्रिय गुप्त : आप ने जब प्रकाशवीर जी का मोशन डिसएलाऊ किया तो आप ने कहा कि जजमेंट मिलेगा तभी हम करेंगे । इसीलिये मैं ने प्वाइंट आफ आर्डर उठाया कि जजमेंट निकल चुका है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) :—उठे

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे उनका जवाब तो दे लेने दीजिये ।

मैंने इस वजह से नामंजूर नहीं किया जजमेंट नहीं मिला है । मैं ने यह कहा कि अभी फसला हुआ है । लेकिन अभी गवर्नमेंट को फेल्योर नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के बारे में क्या स्थिति है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस के बारे में, मैं ने कहा है कि माननीय सदस्य मुझ तीन बजे मिलें

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी को इतना तो कह दीजिये कि व सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मांग कर पढ़ लें और उचित समझें तो उस पर वे यहां एक वक्तव्य दें कि वे पंजाब के मुख्य मंत्री के सम्बन्ध में क्या करना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस के लिए क्या मेरे डाइरेक्शंस की जरूरत है ? क्या यह उन का फर्ज नहीं है ?

सभा पटल पर रखे गये पत्र

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ के अन्तर्गत छूट की घोषणा

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)**: मैं विदेशियों का पंजीयन अधिनियम १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत, दिनांक ७ अगस्त, १९६३ की छूट की घोषणा संख्या ६/२१/६२—(चार) एफ १ की एक प्रति पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय मे रखी गयी । देखिये संख्या एल०टी० १६३६/६३]

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

पच्चीसवां प्रतिवेदन

†**श्री कृष्ण मूर्ति राव (शिमोगा)** : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

मिनिकोय द्वीप में निर्वाचन-कर हटाने के बारे में वक्तव्य

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : १ मई, १९६३ को, तारांकित प्रश्न संख्या १११५ के भाग (घ) के उत्तर में, जो कि मिनिकाय द्वीप में मतदान कर के बारे में था, गृह कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था कि द्वीप में आधुनिक भूराजस्व प्रणाली जारी करने के बाद यह कर हटा दिया जायेगा ।

इस मामले पर आगे विचार किया गया है और अब इसे शीघ्र से शीघ्र हटाने का इरादा है । सरकार देखेंगी कि इस को हटाने के लिए क्या पग आवश्यक हैं और इन्हें बिना विलम्ब के उठायेगी ।

सदस्यों द्वारा वक्तव्य

†**डा० सारादीश राय (कटवा)** : १७-४-६३ को तारांकित प्रश्न संख्या ९०७ के उत्तर में गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने कहा था कि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में न्यायपालिका को कार्यपालिका से बिल्कुल अलग कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वास्तव में पश्चिम बंगाल में यह प्रक्रिया कुछ वर्ष पूर्व शुरू की गई थी किन्तु बाद में इसे पूरा नहीं किया गया था। लगभग सभी जिलों में एक ही पदाधिकारी को दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : मुझे खेद है कि मेरे उत्तर में एक गलती थी। दोबारा जांच करने पर मालूम हुआ है कि उस राज्य में वह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं जिन्होंने इस की ओर मेरा ध्यान दिलाया है। मैं अपने बयान को शुद्ध करता हूं।

†**डा० सारादीश राय** : न्यायपालिका को कार्यपालिका से कब तक अलग किया जा सकेगा।

†**श्री हजरनवीस** : यह विषय राज्य सरकार के क्षेत्र में है। हमें पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया है कि उन्होंने एक व्यापक योजना बनाई है, जिसके अन्तर्गत न्यायिक अधिकारियों की अलग पदाली जारी की जायेगी और वह इसे जल्दी क्रियान्वित करेंगे।

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य** (सेरामपुर) : जब अन्य राज्यों में ऐसा किया जा चुका है, तो इस राज्य में क्यों नहीं ?

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वाद विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के समय को बढ़ाना

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बैरकपुर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

> "कि ईसाइयों में विवाह तथा वैवाहिक-वादों सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिए नियत समय को अगले अधिवेशन के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : श्रीमान्, यह समय पिछले एक वर्ष से बढ़ाया जा रहा है। मैं समिति के सभापति से जानना चाहूंगा कि समिति में क्या हो रहा है, इसके सामने क्या कठिनाइयां हैं और क्या सब ईसाई संगठनों ने साक्ष्य दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मालूम हुआ है कि समुदाय के एक विभाग ने विधेयक के कुछ उपबन्धों पर आपत्ति की है। उनकी आपत्ति पर विचार किया जाना है। यद्यपि विलम्ब अवश्य हुआ है, फिर भी समिति शीघ्रता लाने के लिए भरसक प्रयत्न करती रही है। विलम्ब इसलिए हुआ है कि कुछ कठिनाइयां पेश आई थीं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : ऐसे मामलों में यह उचित होगा यदि विलम्ब के कारणों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाये।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : संयुक्त समिति की पहली बैठक गत वर्ष जुलाई या अगस्त में हुई थी। उसके बाद आपात काल की उद्घोषणा हो गई थी और बाद में सभापति का देहान्त हो गया था। इसी कारण कुछ विलम्ब हो गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

इस वर्ष के शुरू में मुझे सभापति चुना गया था । हम तीन बैठकें कर चुके हैं और बहुत सा साक्ष्य ले चुके हैं । एक मांग की गई थी कि समिति को साक्ष्य लेने के लिए केरल जाना चाहिये, क्योंकि वहां बहुत से ईसाई हैं किन्तु हमारे नियमों के अनुसार ऐसा नहीं किया जा सकता । हमने कहा था कि जो भी साक्ष्य देना चाहे, वे दिल्ली में आये । दुर्भाग्यवश किसी महिला संस्था या महिला ने अभी तक साक्ष्य नहीं दिया ।

कुछ माननीय सदस्य यह भी चाहते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्ध रखने वाले विधेयक में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये । इसलिये उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए हमने अपना काम अगले अधिवेशन के अन्तिम दिन तक बढ़ा दिया है । किन्तु मैं सदन को आश्वासन देती हूं कि हम काम को इससे पहले समाप्त करने का प्रयत्न करेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि ईसाइयों में विवाह तथा वैवाहिक-वादों सम्बन्धी विधि को संशोधित तथा संहिताबद्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिए नियत समय को अगले अधिवेशन के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सदन २ सितम्बर १९६३ को श्रीमती चन्द्रशेखर द्वारा प्रस्तुत निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगा ; अर्थात्

"कि यह सभा वर्ष, १९६०–६१ और १९६१–६२ के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः १५ जून, १९६२ और १६ अगस्त, १९६३ को सभा पटल पर रख गये थे, विचार करती है ।"

श्री उइके (मंडला) : अध्यक्ष महोदय, इस बहस को आज शाम तक बढ़ा दिया जाये, और इसको पूरा दिन दे दिया जाये, तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जो लगभग तीस चालीस माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं उन सब को अवसर मिल जायेगा ।

†**श्री रामसाहय पाण्डेय** (गुना) : मैं इस सुझाव का समर्थन करता हूं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** (बांदा) : मैं भी इसका समर्थन करती हूं ।

अध्यक्ष होदय : आज तीन बजे एक और बहस शुरू होनी है ।

श्री राम सेवक (जालौन) : उसको किसी और समय के लिये स्थगित कर दिया जाये । और इसको शाम तक बढ़ा दिया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्य के नाम पर वह बहस है, उन की भी तो मर्जी लेनी होगी। इसके अलावा जितना समय ज्यादा होगा, उतने ही नाम बढ़ते जायेंगे।

श्रीमती सावित्री निगम : सूची को समाप्त कर देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपना तजुर्बा बताता हूं कि अगर समय बढ़ाया जायेगा, तो नाम भी बढ़ते जायेंगे। अब हम इस बहस को शुरू करते हैं। अगर ज़रूरत हुई और इस हाउस की मर्जी हुई, तो मुझे समय बढ़ाने में कोई एतराज़ नहीं होगा।

†**श्री बाकर अली मिर्जा** (वारंगल) : प्रतिवेदनों को देखते हुए, हम आयुक्त के काम के आभारी हैं। उन्होंने अनेक सिफ़ारिशें की हैं। किन्तु इन सिफ़ारिशों का क्या लाभ है, जब सरकार या सरकारी विभाग उन्हें क्रियान्वित न करें। यदि सरकारी विभागों ने क्षमता से काम किया होता तो जितनी शिकायतें की गई हैं, उन में से आधी न होतीं।

राज्यपालों द्वारा अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में प्रतिवेदन नहीं भेजे जाते। आंध्र प्रदेश के बारे में प्रतिवेदन बहुत देर से पहुंचा है। उसमें कहा गया है कि आदिम जातियों को पर्याप्त सुविधायें दी जा रही हैं। आयुक्त का कहना है कि यह सत्य नहीं हैं। इसमें तलंगाना के बारे में तो आंकड़े दिये गये हैं किन्तु आंध्र के बारे में कुछ नहीं।

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुईं]

लम्बड़ा लोगों को मान्यता प्रदान करने में आवश्यक कार्यवाही में विलम्ब किया जा रहा है ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जहां अनुसूचित जातियों के लोगों के साथ देश भर में बुरा व्यवहार किया गया है, किन्तु अभियोग बहुत ही कम मामलों में चलाये गये हैं और दंड तो उससे कम मुकदमों में दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सरकारी विभाग प्रभावोत्पादक पग नहीं उठाना चाहते।

अनुसूचित जातियों एवं आदिमजातियों का कल्याण करने वाली स्वयं सेवी संस्थायें भी अपने काम में बहुत पीछे रह गई हैं। उनके काम की इस दृष्टि से जांच होनी चाहिये कि क्या उनके काम का लाभ उचित लोगों को प्राप्त होता है।

अस्पृश्यता एक गम्भीर समस्या है और इसे गम्भीरतापूर्वक हल किया जाना चाहिये। इसका सम्बन्ध सारे भारत से है और इसकी एकता से है। अस्पृश्यता उन्मूलन का आन्दोलन ४० वर्ष पूर्व महात्मा जी ने चलाया था, किन्तु अभी तक समस्या बनी हुई है।

जातिवाद की प्रथा जो पहले श्रम के विभाजन के लिए थी, अब बहुत बिगड़ गई है। अब इसने जातों के ऊंच नीच का रूप धारण कर लिया है। जन संघ वालों को इस बात पर विचार करना चाहिये।

मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जातियों की समस्या केवल गरीबी की नहीं है, यह उनके एकीकरण की समस्या है। यदि उन्होंने उन्नति करनी है, तो उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। केवल किसी बाहरी अभिकरण, या सरकार या संविधान का आश्रय लेने से सफलता प्राप्त नहीं होगी। उन के लिए नौकरियां सुरक्षित कर देने से भी समस्या हल नहीं होगी। उनको अपने आप ज़ोर लगा कर अपनी जंजीरें तोड़नी होंगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा (पटना) : सभापति महोदय, मैंने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ कमिश्नर की सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ की रिपोर्ट को अच्छी तरह से पढ़ा। इतने कम समय में कि इन दोनों रिपोर्टों के तमाम पहलुओं पर विचार करना कठिन ही नहीं, असम्भव है। इस लिये मैं केवल शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ की समस्याओं के सम्बन्ध में अपने विचार यहां पर व्यक्त करना चाहती हूं।

यह समस्या उन्नत समझे जाने वाले मुल्कों के सामने भी थी। अमरीका, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के सामने यह समस्या एक बहुत बड़ी समस्या थी। किन्तु इतिहास बतलाता है कि इन मुल्कों ने किस तरह से इस स्मस्या का समाधान किया था। अमरीका में नीग्रो जाति की समस्या उन्हीं समस्याओं का एक अंग थी। जिनकी आजादी और सम्मान के लिये अब्राहम लिंकन जैसे महापुरुष को जंग छेड़नी पड़ी। आस्ट्रेलिया में सभ्य गोरों को बसाने के लिये वहां के आदमियों का सत्यानाश किया गया। धीरे-धीरे किस प्रकार रेड इंडियन नाम की आदिम जातियों का सत्यनाश हुआ था यह पिछले इतिहास की एक लाल लकीर है और खून के आंसुओं की दर्दनाक कहानियां हैं जब वन जातियों का जानवरों की तरह पर शिकार किया गया, उन्हें गुलाम बना कर रक्खा गया और खरीदा और बेचा गया। स्वयम् साम्यवादी रूस ने स्टेलिन साहब के जमाने में कई माइनारिटीज को सदा के लिये संसार से खत्म कर दिया गया। हमारे भारतवर्ष की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। सदियों से हमारा आदिम जातियों के साथ घना और मित्रता का सम्बन्ध रहा है। उनकी अपनी सदियों पुरानी पंचायतें हैं, उनके कानून, संगठन, नृत्य और संगीत तथा मकानों की नक्काशी इत्यादि पर हम लोगों को आज भी गर्व है। आज भी वे हिमालय के पहाड़ों में हमारे प्रहरी सन्तरियों का काम कर रहे हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगी इस सदन को कि राची के विरसा भगवान को और ताना भगत के उन काफिलों को जिन्होंने आजादी के लिए ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया था। तो आज इन सारी समस्याओं सारे मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना ही जरूरी नहीं है बल्कि हम ऐसे कदम उठायें कि आज इस आधुनिकता और औद्योगीकरण के जमाने में वे किसी से भी पिछड़े हुए न रहें। मुझे इस मौके पर आदर्णीय प्रधान मंत्री जी जवाहरलाल जी के व शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था :

> "हमें आदि जातियों के प्रति प्यार और मैत्री का बर्ताव करना चाहिए। यदि हम उनका रहन सहन बदलने का प्रयत्न करें या उनका शोषण करें, तो दोष हमारा होगा।"

मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि आज इन तमाम समस्याओं का समाधान उन्हीं मनोभावों और तत्वों के आधार पर होना चाहिए। आज यह समस्या हमारे समाज के बदलते हुए ढांचे की समस्या है। एक जमाना था जब वे लोग समाज के पशुपति कहलाते थे, जंगलों के राजा कहलाते थे। वहीं उनके आखेट शिकार आदि के साधन थे, वहीं उनका जीवन था, वहीं उनका घर बार था और १९वीं शताब्दी के मध्य तक उनका जीवन कितना खुशगवार था? मेरे अपने बिहार राज्य के बारे में कुल ३.९ करोड़ की आबादी है। ४९ लाख की आबादी आज भी इन लोगों की है और उनमें से १० फी सदी आदमी एसे हैं जो कि पहाड़ी भागों के २२ क्षेत्रों में फैले हुए हैं। लेकिन उनका एकांत जीवन उनकी पुरानी पंचायत की शैली पर उनके कानूनों पर, उनके पुराने नृत्य और संगीत की सुन्दर प्रणाली तथा रीति रिवाजों पद्धति पर सब से पहली ठेस तब लगी थी जब १८९४ में ब्रिटिश हुकूमत ने अपनी फारेस्ट पालिसी बनाई थी। सन् १९५२ में जब हमारी सरकार ने इस नीति का सिंहावलोकन किया, और उसे कबल ही नहीं किया बल्कि उस फारेस्ट पालिसी को और सख्त बनाया था।

मैं यहां पर यह कहना चाहूंगी कि १८९४ से लेकर १९५२ तक देश की जनसंख्या में ४० प्रतिशत की वृद्धि हो चुकी थी, इसलिये खानों और औद्योगीकरण की आवश्यकता के लिये जंगलों पर और उन जंगली जातियों के पुराने रीति रिवाजों में परिवर्तन लाना आवश्यक हो गया था। लेकिन देखते-देखते आज हालत यह हो गई है कि उनके घर बार उनसे छिनने लगें, उनकी जमीनें उनसे छिनने लगीं और थोड़ी सी सूखी लकड़ी के लिये भी वे मोहताज हो गये। इतना ही नहीं, आज बनियों द्वारा, वहां के महाजनों द्वारा और ठेकेदारों के द्वारा उनका शोषण हो रहा है। आज इन समस्याओं का समाधान निकालना है। इन जंगली जातियों के दुःख का निवारण तभी हो सकता है जब उन्हें हम फेअर वेजेज दिलाने की कोशिश करें। ठेकेदारों से मुक्त करने के लिये वहां फारेस्ट कोआपरेटिव और लेबर कोआपरेटिव की हम व्यवस्था करें। महाजनों से सस्ते सूद पर ऋण दिलाने और सस्ते दर पर अनाज दिलाने के लिये हम इन क्षेत्रों में मल्टी कोआपरेटिव की व्यवस्था करें।

इतना ही नहीं, मैं यह भी सदन को याद दिलाना चाहूंगी कि श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में एक स्टेडी ग्रुप भी बना था। उसने बतलाया था कि जिस परिवार की वार्षिक आय २५० रु० हुआ करती है उन लोगों की गणना डस्टिट्यूट्स में होनी चाहिये। लेकिन इन आदमियों और हरिजनों की आज हालत यही है? मैं जंगली इलाकों के क्षेत्रों में गई हूं, जहां बाक्साइट है, जहां लोहा है, जहां कोयला है, जहां अबरख है, और जहां स्टोन कटिंग और स्टोन ब्रेकिंग का काम होता है वहां मर्दों की हालत से औरतों की हालत और खतरनाक और दर्दनाक है। वहां एक तरीके के काम के लिये एक ही तरह की वेजेज नहीं हैं, वहां ईक्वल पे फार ईक्वल वर्क के स्लोगन ही नहीं लगाये जाने चाहियें, उसको कार्यान्वित करने के लिये कोशिश भी करनी चाहिये। मुझे हैरत होती है, आश्चर्य होता है कि हमारी तरफ की बैंचों के एक सदस्य ने कल बोलते-बोलते यह कहा कि हरिजनों और आदिवासियों को भोजन चाहिये, मकान चाहिये रहने के लिये, वस्त्र चाहिये पहनने के लिये। नहीं। आज इस आधुनिकता के जमाने में एक-एक मनुष्य की जो जरूरियात हैं उनको देखते हुये वे लोग हमारे सामने सिर्फ मकान और खाना लेकर ही सन्तुष्ट नहीं हो सकते हैं। उनको आधुनिकता के स्तर पर लाना होगा और आज की बढ़ती हुई महंगाई का जो आलम है, उसे मद्दे नजर रखते हुये उनके लिये हमें फेअर वेजेज की व्यवस्था करनी पड़ेगी।

कमिश्नर की रिपोर्ट में यह देख कर मुझे कुछ हंसी आई कि सरकार के स्टाफ और उनके आफिसर ट्राइबल एरियाज के भीतर जाने से हिचकिचाते हैं इसलिये उनके काम में इन्सेन्टिव देने के लिये उनको कुछ स्पेशल अलाउंस दिया जाना चाहिये, उनके बच्चों को ट्राइबल एरियाज में न रख कर कमिश्नर की रिकमेन्डेशन है, ट्राइवल एरिया के बाहर उनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबन्ध हो। मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह के स्टाफ और इस तरह के अधिकारियों को वहां न रख कर, इस तरह के अधिकारियों और स्टाफ को वहां भेजा जाये जिनको उन गरीबों से सहानुभूति हो, उन पिछड़ी जातियों से, वन्य जातियों से जिनको हमदर्दी हो और जिनके प्रति उनके हृदय में उद्गार हो। आज इस बात की आवश्यकता है कि वहां पर वैसे ही आफिसर्स भेजे जायें जिनको उनकी समस्याओं के साथ हमदर्दी है और जो कि उनके कष्टों के निवारण के लिये, उनके हितों की सुरक्षा के लिये हर तरह से कटिबद्ध हैं। उन क्षेत्रों में हमारे यहां के नेताओं का भी जाना जरूरी है। किसी विरोधी सदस्य ने कल फरमाया था कि जिन मिनिस्टरों ने त्याग पत्र दिया है उनमें से कम से कम कुछ उन क्षेत्रों में जायें। मैं तो कहूंगी कि वे लोग संगठन के क्षेत्रों में जायें, लेकिन जो पार्टी-कार्यकर्त्ता हैं वह ट्राइबल एरियाज को, इन क्षेत्रों को अपनालें और ठक्कर बापा के सिद्धांतों को अपने जीवन के क्षेत्र में कार्यरूप में उतारें। तो ज्यादा अच्छा होगा। तभी इन पिछड़े हुये लोगों को हम उठा सकेंगे और सही तरीके से उनकी भलाई का काम हो सकेगा।

[श्रीमती रामदुलारी सिन्हा]

भारतवर्ष इतना बड़ा मुल्क है लेकिन यहां पर कहते हुये मुझे हिचक नहीं हो रही है कि हमारे जंगलों की सुरक्षा और जंगलों का योजनाबद्ध फैलाव ऐसा है कि आज मौका आ गया है जब कि हम उसमें दस्तन्दाजी करेंगे और किसी और के हाथों बरबाद होने के लिये नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि बिहार में नेशनलाइजेशन के बाद इन जंगलों की जितनी बरबादी हुई है उतनी तमाम वर्षों में वन जातियों मिल कर नहीं कर सकती थीं। और आज वहां हालत यह है कि लाख के उत्पादन में चलता था उसमें आज कमी आ गयी है, लाख के उत्पादन में कमी आ गयी है। बड़े-बड़े ठेकेदार ठीकरों के दाम पर सिल्लियां खरीद कर मालामाल हो रहे हैं। अगर इन की समस्या का ठीक तरह से समाधान किया जाये तो इन जंगलों से बहुत उत्पादन हो सकता है और वहां लकड़ी के, रेशम के, लाख के लोहे के कारखाने लहरा उठें।

मैं एक शब्द और कहना चाहती हूं। इसमें कहा गया है कि बिहार में एक असुर जाति है इन वन जातियों की पोटैटो का उत्पादन कराये जाने की चर्चा की है। यह एक हास्यास्पद बात है। वास्तव में ये लोग पत्थर से लोहा निकालने का काम पुराने जमाने से करते आ रहे हैं और उसमें प्रवीण हैं। अगर इनसे पोटैटो का उत्पादन न कराकर इनसे इनका पुराना काम यानी पत्थर से लोहा बनाने का काम कराया जाये तो देश के लिये बड़ा हितकर हो सकता है और उन लोगों का भी इसमें हित होगा। आज जो चीन हमारे मुकाबले में हमारा दुश्मन बना हुआ है, उसने लोहा बनाने के नये और पुराने दोनों तरीकों को अख्तियार किया था। तो मेरा सुझाव है कि असुर जाति के लोगों से यह लोहा बनाने का काम लेना बहुत आवश्यक है।

इसी तरह राजमहल के निकट एक वन जाति रहती है। इनसे कागज का काम कराया जाये तो हमारा कागज का उत्पादन भी बढ़ेगा और इन लोगों का भी भला हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस रिपोर्ट के हर सिफारिश का समर्थन करती हूं और उससे सहमत हूं, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि अगर ढेबर भाई कमीशन की रिपोर्ट पर अमल किया जाता तो इन तमाम समस्याओं का हम समाधान कर सकते थे।

हरिजनों की छूतछात के बारे में कहा गया। विरोधी सदस्यों के भाषणों से ऐसा लगता है कि हम कांग्रेस वालों ने ही इस समस्या को उभार रखा है। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में जितना काम आदिवासियों और हरिजनों के लिये किया है वह स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। लेकिन हम अभी इस से सन्तुष्ट नहीं हैं। शीघ्रातिशीघ्र हम इन हरिजनों और आदिवासियों को शिड्यूल से निकाल कर आम भारतीयों के स्तर पर ले आवें। और वह दिन दूर नहीं कि हमारे कारनामों के चलते कि हम इनको अपनी कोटि में लाकर बिठा देंगे। लेकिन मैं इन लोगों को सलाह दूंगी कि वे आपस में से छूतछात को दूर करें। आज अवस्था यह है कि चमार दुसाध के हाथ का पानी नहीं पीता और दुसाध मेहतर से शादी विवाह नहीं करता।

अगर हम इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रख कर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे, तो भारत विरोधी तत्वों द्वारा जो फिजो जैसा पुतला खड़ा करके भारत विरोधी प्रचार किया जाता है उसका कड़ा जवाब दे सकेंगे।

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंडसौर) : सरकार को चाहिये कि वह ढेबर आयोग के प्रतिवेदन तथा इस समय चर्चाधीन प्रतिवेदनों के अध्ययन के बाद एक व्यापक दस्तावेज सभा के समक्ष रखती, जिस पर कि चर्चा की जाती।

---

†मूल अंग्रेजी में

तथापि इस प्रतिवेदन पर काफी लम्बी बहस की जा चुकी है और बहुत से सदस्यों ने उन के बारे में अपनी-अपनी-शिकायतें सरकार के सामने रखीं हैं। कुछ ने इस अवसर पर कांग्रेस के प्रयत्नों को सराहा है, जैसाकि इस काम के प्रति केवल कांग्रेस का ही कर्त्तव्य है और किसी का नहीं।

मुझे श्री बाकर अली मिर्जा के भाषण से बहुत आश्चर्य हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनसंघ ने अनुसूचित जातियों को दबाया है। मुझे उनकी अज्ञानता पर दया आती है। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि जनसंघ का किसी प्रकार के जाति विभेद में विश्वास नहीं है तथा जाति व नस्ल के आधार पर यह दल किसी विभेद का समर्थन नहीं करता। यह दल सब को भारतीय समझता है और किसी को अल्पसंख्यक नहीं मानता।

प्रतिवेदन को पढ़ कर मुझे आश्चर्य हुआ कि अनुसूचित आदिम जातियों की ओर वह ध्यान नहीं दिया गया जो उनका अधिकार है। उन्हें सेना में क्यों भर्ती नहीं किया जाता। वे लड़ाकू जातियां हैं। जिस प्रकार गोरखों को उनका कद कुछ कम होने पर भी भर्ती कर लिया जाता है उसी प्रकार इन्हें भी रियायत मिलनी चाहिये।

एक बहुत बड़ा केन्द्रीय रक्षित पुलिस दल है। उसमें अनुसूचित आदिम जाति के लोग भर्ती नहीं किये जाते। कभी-कभी ४५ से ५० वर्ष की आयु के लोगों को भर्ती कर लिया जाता है। क्योंकि वे अच्छे मिस्त्री हैं और पुलिस अधिकारी का बंगला बन जाने के उपरांत उन्हें निकाल दिया जाता है। पहले मेवाड़ भील दल और मायना भील दल हुआ करते थे उनका अब क्या हुआ है। मेवाड़ भील दल का एक छोटा सा विभाग तो है किन्तु उसके अधिकारियों को अन्य पुलिस अधिकारियों की तुलना में कम वेतन दिया जाता है। उन्हें तो अधिक वेतन मिलना चाहिये क्योंकि वे गरीब हैं।

नागालैंड के निवासियों के लिये केन्द्र में तीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के पद रक्षित किये गये हैं। ऐसा गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के भीलों के लिये क्यों नहीं किया गया।

विधि मंत्रालय ने हाल ही में एक विज्ञप्ति निकाली है कि अनुसूचित जाति के जो लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं वे अनुसूचित जाति के लिये निर्धारित काम के अधिकारी नहीं रहते। ऐसा अनुसूचित आदिम जातियों के संबंध में भी होना चाहिये क्योंकि जब वे एक जाति की प्रथाओं और परम्पराओं को छोड़ देते हैं तो उनका उस जाति से कोई संबंध नहीं रहता।

अनुसूचित जातियों के लिये केवल पद रक्षित कर देना पर्याप्त नहीं है। उनमें कुछ लोग अधिक लाभ उठा रहे हैं जबकि अन्य उनमें भी पिछड़े रहते हैं।

अस्पृश्यता की कुरीति का निवारण होना चाहिये किन्तु अनुसूचित जातियों में परस्पर भी अस्पृश्यता विद्यमान है। भंगी लोग धोबी के हाथ का पका हुआ खाना नहीं खाते। अस्पृश्यता निवारण का उपाय यही है कि लोगों में शिक्षा का प्रसार किया जाये।

इन जातियों के लिये पद रक्षित करना पर्याप्त है। गुजरातियों में लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा की ओर आकर्षित नहीं होते बल्कि वे व्यापार में रोजगार ढूंढते हैं। अनुसूचित जातियों को भी अपने पांव पर खड़ा होना सिखाना चाहिये और भारत राष्ट्र का अंग बनाना चाहिये।

†**श्री बासप्पा** (तिपतुर) : अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां इस दश की जनसंख्या का पांचवा भाग हैं और उनका अत्यधिक शोषण हो रहा है। सामाजिक, राजनैतिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बासप्पा]

और आर्थिक दृष्टि से हमें उनकी हालत की ओर ध्यान देना चाहिये । अन्यथा देश को हानि उठानी पड़ेगी ।

संवैधानिक दृष्टि से और समाजवादी समाज की दृष्टि से इन लोगों के लिये जो कुछ किया गया है वह बहुत ही कम है ।

उपमंत्री ने कहा था कि इन लोगों को अन्य जातियों के स्तर पर लाना चाहिये । किन्तु इस के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं । इस प्रतिवेदन में आयुक्त ने भी कहा है कि गृह-कार्य मंत्रालय को इस समस्या की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और फिर मंत्रालय ने श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित किये गये अनुजाति संगठन की उपेक्षा की है । यदि इस संबंध में कुछ परिणाम चाहते हैं तो मंत्रालय को गम्भीरता से इस पर विचार करना चाहिये ।

प्रतिवेदन में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां भी पूर्णरूप से तैयार नहीं की गई क्योंकि कर्मचारी कम हैं किन्तु दूसरी ओर १९५७ में सहायक आयुक्त की नियुक्ति का निर्णय किया गया था जिसे १९५९ में बचत के विचार से छोड़ दिया गया ।

अस्पृश्यता निवारण के लिये, इस संबंध में अपराधों के प्रति नर्मी नहीं बर्तनी चाहिये बल्कि सख्त कार्यवाही करनी चाहिये ।

भंगियों द्वारा सिर पर मल उठाना अपमानजनक है । उसके लिये पहिया गाड़ियां बनानी चाहियें ।

इन जातियों के उद्धार के लिये पहले तो राशि ही कम नियत की जाती है और वह भी पूरी प्रयोग नहीं की जाती और प्रयोग किये गये धन का परिणाम भी पूरा नहीं निकलता ।

इन लोगों की शिक्षा के संबंध में बहुत कुछ कहा गया है । उनके बालकों को बहुत दूर पांच छै मील तय करके पढ़ने के लिये जाना पड़ता है । दिन में उनके भोजन के लिये क्या व्यवस्था है यह तो साधारण बात है । उनके लिये जगहें रक्षित रखी जाती हैं किन्तु क्या वे भरी भी जाती हैं । चिकित्सा सहायता की भी स्थिति बुरी है ।

उन्हें भूमि देने के बारे में प्रतिवेदन में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । वास्तव में उन्हें १०० या २०० एकड़ भूमि प्रति व्यक्ति देनी चाहिये ताकि वे सहकारी संस्थायें स्थापित करें और सरकार उन्हें सभी प्रकार की सहायता दे ।

वे लोग ऋणग्रस्त हैं । एक चमड़े के काम में वे प्रशिक्षित हैं । उसमें भी उनका शोषण हो रहा है । आशा है अखिल भारतीय जूता बोर्ड की स्थापना से उनका उद्धार हो सकेगा ।

उनके प्रतिनिधि श्री जगजीवन राम अब मंत्रिमंडल में नहीं रहे । वे अच्छे प्रयोजन के लिए पद से अलग हुये हैं किन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों को मंत्रिमंडल में, संसद में और विधान सभाओं में प्रचुर मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । सरकारी पदों में रक्षित जगहों की व्यवस्था सन्तोषजनक नहीं है ।

संविधान के अनुच्छेद ३३८(३) के अन्तर्गत पिछड़ी जाति आयोग की स्थापना होनी चाहिये। कार्यपालिका आदेश द्वारा उन्हें इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

प्रतिवेदन के कुछ कथन जातियों में परस्पर वैमनस्य पैदा करने वाले हैं। यह प्रतिवेदन ध्यानपूर्वक तैयार करना चाहिये।

श्री राम सेवक (जालौन) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत देर के बाद ही सही, मुझे आपने बोलने के लिये समय दिया है। दूसरा धन्यवाद मैं माननीय मंत्री महोदया को देना चाहता हूं कि उन्होंने दो साल की इकट्ठी रिपोर्ट इस सदन में डिसकशन के लिये रखी है। मैं तो सोचता था कि शायद पांच साल की इकट्ठी रिपोर्ट रखी जायेगी लेकिन हमारा यह बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने दो साल की इकट्ठी रिपोर्ट ही डिसकशन के लिये रखी है।

एक माननीय सदस्य : देर है अंधेर नहीं।

श्री राम सेवक : सब से पहले मैं आपके द्वारा होम मिनिस्ट्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार के साथ उसे इस बारे में लिखा पढ़ी करनी चाहिये कि हमारे देश में साढ़े २१ प्रतिशत हरिजनों और आदिम जाति के लोगों की देखभाल करने के लिये तथा उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक अलग से मंत्रालय खोला जाना चाहिये और उस मंत्रालय में एक फुल फ्लेज्ड कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर की नियुक्ति होनी चाहिये।

आप देखें कि चैप्टर १८ में पेज १२५ पर हमारे कमिश्नर महोदय ने लिखा है कि :

> "यदि कुछ समय उपरांत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधि प्रचुर संख्या में आम सीटों से विधान सभाओं और लोक-सभा के लिये चुने जाने लगे तो उनके लिये जगहें रक्षित करने की आवश्यकता नहीं रहे गी। राजनैतिक दलों को इस प्रयोजन के लिये प्रयत्नशील होना चाहिये।"

आप फिगर्ज को देखें। सन् १९५७ में इलैक्शन के अन्दर छः हरिजन जनरल सीट्स से चुने गये थे और तीन शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग जनरल सीट्स से लोक-सभा के लिये चुने गये थे। लेकिन सन् १९६२ की इलैक्शन में उनकी संख्या बहुत कम थी। सिर्फ एक जनरल सीट से हरिजन चुन कर आया और दो सीटों से आदिम जन जातियों के लोग चुने गये। इसके अलावा राज्य सभा और विधान परिषदों में हरिजनों को रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। हमारे देश के आठ प्राविंसिस में अपर हाउसिस हैं। उनमें टोटल संख्या मैम्बर्ज की ६२४ है। आप इस रिपोर्ट को देखें तो आपको पता चलेगा कि सारे देश में सिर्फ पन्द्रह सदस्य हरिजनों में से चुने गये हैं। जबकि वहां रिजर्वेशन नहीं है। राज्य सभा को आप देखें। राज्य सभा में पहले १८ शैड्यूल्ड कास्ट के लोग थे और ५ शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग थे। लेकिन सन् १९५७ की इलैक्शन के बाद उनकी संख्या घटी है और वह घट कर १५ और ५ ही रह गई है। जहां-जहां रिजर्वेशन दिया गया है वहां वहां तो वे अपनी संख्या के अनुपात में चुन कर आ जाते हैं और जहां-जहां रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, वहां वे नहीं आ पाते हैं। इस लिये मैं आप से दरख्वास्त करता हूं इसमें जो इन्होंने यह दिया है १८.५ में दिया हुआ है उसको डिलीट कर दिया जाये, उस रिकोमेंडेशन को डिलीट कर दिया जाये और रिजर्वेशन की अवधि बराबर बढ़ती जानी चाहिये और तब तक यह व्यवस्था जारी रहनी चाहिये जब तक कि वे जितनी उनकी जनसंख्या है, उसके अनुपात में चुन कर नहीं आ पाते हैं।

[श्री राम सेवक]

मैं मंत्री महोदया का ध्यान रिप्रिजेंटेशन इन दी पोलिटिकल पोस्ट्स की तरफ भी दिलाना चाहता हूं। इस में लिखा हुआ है कि १९६०-६१ में केन्द्रीय मंत्रिमंडल में अनुसूचित जातियों के मंत्रियों, उप मंत्रियों और सभा सचिवों की संख्या ३ से बढ़ कर ५ और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या १ से २ हो गई है। राज्यों में यह संख्या १९६०-६१ में २६ थी अब २८ है जब कि आदिम जातियों के प्रतिनिधियों की संख्या १५ से घट कर ११ रह गई है। सारे देश में सिर्फ २८ अनुसूचित जातियों के लोगों को वह अप्वाइंट कर पाये। ११ शेडयूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को सारे देश में वह अप्वाइंट कर पाये। चूंकि यहां उन का रिप्रिजेन्टेशन नहीं है इसलिये इस तरह के अप्वाइंटमेंट्स होते हैं।

इसके अलावा मैं सरकार का ध्यान न्याय पंचायत की ओर दिलाना चाहता हूं। न्याय पंचायत में कोई रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन न होने की वजह से वहां हरिजन जातियों या अनुसूचित जातियों का रिप्रेजेन्टेशन नहीं के बराबर है।

इसके अलावा मैं माननीय मंत्री महोदा का ध्यान चैप्टर १९ सर्विसेज की तरफ दिलाना चाहता हूं। अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट देखें तो पैरा १९२२, पेज १३७ पर दिया हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग में एक ही सदस्य था जो १७ अगस्त १९६१ को सेवा निवृत्त हो गया। राज्यों में केवल मैसूर सेवा आयोग में एक सदस्य अनुसूचित जाति का नियुक्त किया गया है। यह हालत पबलिक सर्विस कमीशन की है सारे देश में। हमारा तो यह कहना है कि अधिक से अधिक मेम्बर हरिजनों के स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन्स और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अप्वाइंट किये जायें। अगर उनको अप्वाइंट नहीं किया जाता है तो यह बात नामुमकिन है कि जो उनको १२ ½ परसेंट और ५ का पर्सेन्टेज दिया गया उसकी पूर्ति हो सके।

इस रिपोर्ट में यह दिया गया है कि हरिजनों के सर्विसेज में रिजर्वेशन का परसेन्टेज १२ १/२ है और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज का ५ परसेन्ट। यही नहीं, अगर फिगर्स को देखिये तो उससे पता चलता है कि क्लास १ सर्विसेज में चाहे परमानेन्ट पोस्ट्स हों चाहे टेम्पोरेरी पोस्ट्स हों, दोनों में १ ०८ और १·०५३ अप्वाइंटमेंट्स हुए हैं। क्लास २ सर्विसेज में २.४४ और और ३·१८ परसेन्ट अप्वाइंट्मेण्ट्स हुए हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्ज तो बिल्कुल नहीं के बराबर हैं। अभी हाल में होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक न्यूज बुलेटिन निकला था, यह २४ फरवरी १९६३ की संडे स्टेट्समैन की न्यूज है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए संघ सरकार में ३ और ४ श्रेणी के पदों में १२ ½ प्रतिशत पद रक्षित रखे जाते हैं। ऊंचे पदों में कोई रक्षण नहीं। इस के बाद मैंने होम मिनिस्टर महोदय को यह लिखा कि आप ने इस तरह का आर्डर क्या सभी डिपार्टमेंट्स को भेज दिया ? उन्होंने मुझे लिख कर उत्तर दिया कि अभी सरकार इस बारे में विचार कर रही है, और समय आने पर हम इसको कंसीडर करेंगे और उसके बाद अगर जरूरत समझी गई तो आर्डर्स भेजे जायेंगे। अगर हमारी सरकार वाकई यह चाहती है कि हरिजन कैन्डिडेट्स ज्यादा से ज्यादा महकमों में जायें, चाहे क्लास १ हो या चाहे क्लास २ हो, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट्स को प्डेफिनिट इंस्ट्रक्शन्स देने पड़ेंगे कि जब तक

हरिजनों का कोटा उन के रिजर्वेशन के हिसाब से पूरा नहीं हो जाता तब तक स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिये उनकी भर्ती की जानी चाहिये । इसी हिसाब से यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन को भी इन्स्ट्रक्शन्स भेजे जाने चाहियें कि वे स्पेशल रिक्रूटमेंट के जरिये से आई० ए० एस०, आई० एफ० एस० और आई० पी० एस० की सर्विसेज में हरिजनों को क्लास २ और क्लास १ पोस्ट्स दें ताकि उनका परसेंटेज पूरा कया जा सके।

श्री मरंडी (राजमहल) : उपाध्यक्ष महोदय, २ और ३ तारीखों का अधिवेशन कुल हरिजनों के लिये बहुत ही शभदिवस है क्योंकि जो जातियां हजारों वर्षों से बनियों के द्वारा दबाई गई थीं, उनको ऊपर उठाने के लिये इस सत्र में बहस हो रही है । हमारे कमिश्नर महोदय की रिपोर्ट को पढ़ने से सब से पहले यह पता चलता है कि आदिवासियों तथा हरिजनों की भलाई के लिये हमारी सरकार काफी कोशश कर रही है । मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है . . . . . .

एक माननीय सदस्य : काम कर रही हैं तो इस में दुःख किस बात का ?

श्री मरंडी : मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी सरकार के इतनी कोशिश करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आदिवासियों की उन्नति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । इस विषय पर हमारे बहुत से मित्रों ने दुःख प्रकट किया है कि आदिवासियों की उतनी उन्नति नहीं हुई है जितनी होनी चाहिये थी । मैं भी इसका समर्थन करता हूं और अब भी ऐसी स्थिति है कि उनकी उन्नति नहीं हो पाई है । इसका कारण यह है कि आदिवासियों या हरिजनों के इलाकों में जो भी सरकारी कर्मचारी जाते हैं वे ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे आफिसर्स हैं जो कि आदिवासियों की उन्नति तक नहीं चाहते । ऐसे भी बहुत से आफिसर्स होंगे जो आदिवासियों और हरिजनों को घृणा करते हैं।

यह सर्व विदित है कि आदिवासियों और हरिजनों के लिये जो रुपया रखा जाता है वह खर्च नहीं हो पाता है । पहली पंचवर्षीय योजना में जो रुपया रक्खा गया था वह खर्च नहीं हुआ बल्कि वापस कर दिया गया । इसी तरह दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी जो रुपया रक्खा गया था वह खर्च नहीं हो सका, बल्कि वह वापस कर दिया गया । यह कितने दुःख की बात है कि रुपया रहते हुए और हमारी सरकार के कोशिश करने पर भी आदिवासियों की उन्नति का काम नहीं हो पाया है । अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों को हिदायत दी जानी चाहिये ताकि हरिजनों तथा आदिमवासियों का काम काफी तेजी काफी से प्रगति कर सके ।

आदिवासियों तथा हरिजनों के बीच में सब से बड़ी समस्या रही है महाजनों के शोषण की । हमारे संथाल परगना जिले में महाजनों को शोषण है । इसके लिए मैं इस संसद् में बहुत मर्तबा बोल चुका हूं लेकिन इसकी ओर अभी तक सरकार ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है । मैं इसके सम्बन्ध में वहां के डी० सी० को भी पत्र लिख चुका हूं, लेकिन हमारे डी० सी० महोदय ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया है ।

हमारे इलाके में सिंचाई का प्रबन्ध नहीं के बराबर है । सरकार काफी रुपरा खर्च करती है लेकिन काम कुछ नहीं होता है । आपको ताज्जुब होगा वहां की स्कीमे देखने से कि एक बूंद पानी मिलना भी मुश्किल है । वहां अधिकतर आदिवासी लोग ही बसे हुए हैं और वे खेती

[श्री मरंडी]

करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि ठीक रूप से उनका खेती का काम हो सके।

शिक्षा के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अधिकतर आदिवासी अशिक्षित हैं। शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। सरकार वहां के आदिवासियों के लिए जो रुपया दे रही है वह कम है। ज्यादा देना चाहिये। वहां गरीब लोगों के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को स्टाइपेंड मिलना चाहिए। मेरा खयाल है कि सरकार को आदिवासियों और हरिजनों के लिए कम्पलसरी एजूकेशन कर देना चाहिये और दोपहर के खाने की व्यवस्था हो जानी चाहिये।

हमारे संथाल परगना जिले में रास्ते नहीं के बराबर हैं। जहां खनिज पदार्थ पैदा होता है और जहां से सरकार को काफी आमदनी होती है वहीं आदिवासी लोग बसे हुए हैं। मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार को इतनी काफी आमदनी होने पर भी सरकार ने वहां रास्तों के लिए कुछ भी नहीं किया है। बैल गाड़ी चलाना भी मुश्किल है। मेरा अनुरोध है कि आदिवासी इलाकों में जितने भी रास्तेहैं उनको पक्की सड़कों में परिणत कर दिया जाए और यह काम जल्द से जल्द हो जाए ताकि आदिवासी एक गांव से दूसरे गांव को इन सड़कों द्वारा सुविधा पूर्वक आ जा सकें।

यदि सरकार आदिवासियों और हरिजनों की भलाई करना चाहती है तो हर एक राज्य में एक एक मंत्री आदिवासियों और हरिजनों को देखने के लिए रहना चाहिये और हर एक राज्य में एक आदिवासी डेवेलपमेंट बोर्ड होना चाहिये। जितने भी पढ़े लिखे आदिवासी और हरिजन हैं उनकी लिस्ट रखी जानी चाहिए और गरीब बच्चों को नौकरी देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

†श्री मुथिया (तिरुनेलवेली): अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित आदिम जातियां भारत की जनसंख्या का पांचवां भाग हैं अतः राष्ट्रीय एकता के लिये इनका उद्धार अत्यावश्यक है।

संविधान में उपबन्ध हुए और अस्पृश्यता अपराध अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत अस्पृश्यता की कुरीति एक अपराध होते हुए भी यह कुरीति विद्यमान है। वास्तव में किसी विधान की लगातार प्रचार की आवश्यकता है जिस से सबर्ण हिन्दुओं की प्रवृत्ति में परिवर्तन आए। ये लोग सवर्ण हिन्दुओं के अधीन हैं क्योंकि वे गरीब हैं। पुलिस उनके प्रति उपेक्षापूर्ण प्रतीत होती है।

ग्राम सेवकों, पंचायतों, कल्याण अधिकारियों, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आदि सभी को यह प्रचार करना चाहिये।

सरकार ने उनके कल्याण हेतु अनेक योजनायें चालू की हैं। तीसरी योजना में १०० करोड़ रुपया इस प्रयोजन के लिये नियत किया गया है। इन योजनाओं में सर्वप्रमुख है शिक्षा की योजना। पहली और दूसरी योजनाओं में इस पर २९ करोड़ रुपया व्यय किया गया है और तीसरी योजना में ३४ करोड़ रुपया नियत किया गया है ? उन्हें फीस माफ है। किन्तु कछ संस्थाओं में उनसे विशेष शुल्क वसूल किया जाता है। इसे बंद करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अनुसूचित जाति के क्षत्रों के लिए २० प्रतिशत नौकरियां संस्थाओं में रक्षित करने का नियम है किन्तु प्रायः इसका पालन नहीं किया जाता। मेरा सरकार से निवेदन है कि प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य कर देनी चाहिये और गांवों में और अनुसूचित जातियों के क्षेत्र में शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिये।

भंगियों के लिए आवास की योजना के तीसरी योजना में ३ करोड़ रु० नियत किया गया है। यह सब से दरिद्र वर्ग है और इसकी जीवन स्थिति अत्यन्त दुखजनक है। पांच पांच छै छै लोग छोटे से कमरे में रहते हैं जो चूते हैं और इनका रहना दयनीय है। नगर पालिकाओं को इनकी स्थिति सुधारने का प्रयत्न करना चाहिय। भंगी प्रायः ऋण ग्रस्त रहते हैं। इस प्रयोजन के लिए ऋण व्यवस्था करने वाली संस्था बनानी चाहिये और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहिये।

यद्यपि सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये १२॥ प्रतिशत जगहें रखी जाती हैं किन्तु १९६१–६२ के आंकड़ों के अनुसार उनकी संख्या बहुत कम है। नियुक्त करने वाले प्राधिकारियों से मेरा निवेदन है कि वे इस ओर ध्यान दें। और कम से कम १९७० तक अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों का चुनाव केवल लिखित परीक्षा के आधार पर करें अनुसूचित जातियों के लाभ के लिये पर्याप्त संख्या में उपभोक्ता सहकारी समितियां स्थापित करनी चाहिये।

भूमिहीन अनुसूचित लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। उन्हें पर्याप्त भूमि देनी चाहिये।

मैं प्रार्थना करता हूं कि वह दिन शीघ्र आय जब अनुसूचित जातियों का अस्तित्वही न हो वे सब भारत के राष्ट्र में विलीन हो जाएं।

श्री प्रताप सिंह (सिरमूर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की सन् १९६०–६१ और १९६१–६२ की दसवीं और ग्यारहवीं रिपोर्ट विचाराधीन हैं।

सदियों से हमारा भारतवर्ष देश गुलाम रहा। हमारे देश के नेताओं ने जिनके दिल में इस मुल्क से प्रेम था, मुल्क को आज़ाद कराने में बराबर जद्दोजहद की और आख़िर में पूज्य महात्मा गांधी जी के आदेश के अनुसार उनके बताये हुए रास्ते पर चल कर उन्होंने आज़ादी हासिल की। इसलिये आज भी हमारा मुल्क बराबर तरक्की के रास्ते पर चल रहा है। बहुत सी नई योजनायें बनाई गईं। कई नई इंडस्ट्रीज़ लगाने की योजना है तो कई नये उद्योग धंधों को स्थापित करने की योजनायें हैं। बहुत से कारखाने चलाये जाते हैं। उनका एक आधार होता है। उन के ऊपर यह विश्वास किया जाता है कि एक इंडस्ट्री जिसके कि लगाने के लिये एक करोड़ रुपया हम खर्च करेंगे तो पांच साल के बाद उससे हमें क्या आमदनी होगी उसका एक हिसाब लगाया जाता है। उसी आधार पर के ऊपर हम नई इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। लेकिन जब हम इस हरिजन समस्या की ओर देखते हैं तो मालूम होता है कि बावजूद इसके कि मुल्क को आज़ाद हुए १५–१६ साल हो गये, हरिजनों और आदिवासियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों के लोगों के बारे में जिस क़दर ध्यान दिया जाना चाहिये था, उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। जिस तरीके से हम योजनायें बनाते हैं और उन के काम आदि का एक हिसाब रखते हैं अगर उसी तरीके से हम इस छुआछूत के कलंक को मुल्क से नहीं निकालगे और ठीक योजनायें नहीं बनायेंगे, ठीक

[श्री प्रताप सिंह]

स्कीमें बना कर ठीक ढंग से उनको लागू नहीं करेंगे तो कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि यह मसला जल्दी हल हो सकेगा और अभी सैकड़ों साल तक इसी तरह से यह जारी रहने वाला है। इस तरीक़ से यह मसला कभी हल होने वाला नहीं है।

मैं समझता हूं कि सरकार के इस विभाग के साथ दो अमली का सलूक किया जा रहा है। इस की तरफ़ कमिशन ने भी अपनी रिपोर्ट में ध्यान दिलाया है। यह सब सदन जानता है कि कितनी ही बड़ी फौज क्यों न हो जब उसका सरदार ठीक नहीं होगा, उस फौज के पास चाहे कितने ही हथियार हों या रुपया हो, सामान हो या बारूद हो, कोई भी चीज़ उसके पास क्यों न हो, वह फौज कभी भी लड़ाई के मैदान में कामयाब नहीं हो सकती है। इसी तरीक़े से जब तक शैड्यूल्ड कास्ट विभाग के आला अफसर ठीक तरीके से और ठीक ढंग से नियुक्ति नहीं किये जायेंगे, वह कभी भी अपने मक़सद में कामयाब नहीं हो सकेंगे।

दोनों रिपोर्टों में जो कि हमारे सामने पेश हैं यह कहा गया है कि अभी तक उस के अधिकारी, स्टाफ जो चलाने के लिये आवश्यक है, वह अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अब जब तक स्टाफ़ पूरा नहीं होगा, तब तक कैसे वह स्कीम जोकि हम उनको ऊंचा उठाने के लिये कर रहे हैं, कामयाब हो सकेगी। जाहिर है कि उस हालत में वह स्कीमें हमारी कामयाब नहीं हो सकेंगी।

अकेले ऊंचे लेबिल की बात नहीं है, स्टेट लेबिल पर भी स्टाफ की यही हालत है। जितनी भी योजनायें यहां से बन कर वहां जाती हैं, स्टेट लेबिल पर यहां से लागू करने के लिये पहुंचती हैं, वहां स्टेटस में कोई पक्का और पूरा विभाग ऐसा नहीं है जो कि उन स्कीमों को ठीक ढंग से चला सके। वहां भी दो अमली काम करती है।

पानी की स्कीम के लिय पहले वहां कोई स्कीम पहुंचती है तो वह डिप्टी कमिश्नर या जिला अधिकारी के पास जाती है जिसको कि वह वेलफयर डिपार्टमेंट के पास भेज देते हैं और चूंकि उनके पास कोई उसके लिय अलहदा से अफ़सर नहीं होता है इसलिये जो कि उसको ठीक ढंग से कर सके इसलिये वह उस स्कीम को बी० डी० ओ० को पास औन कर देते हैं। अब बी० डी० ओ० साहब कहते हैं कि यह मेरे महकमे का काम नहीं है। मेरे पास इस समय अफ़सर नहीं है और इस तरह की टालमटोल में साल भर गुज़रने को होता है और जब पैसा लैप्स होने की बात आती है तो जल्दी में जहां चाहा उस पैसे को लगा देते हैं और नतीजा यह होता है कि जितना फ़ायदा शेड्यूल्ड कास्ट्स को होना चाहिय वह नहीं होता है। इस तरह लापरवाही और टालमटोल से उन स्कीमों की तरफ ध्यान दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मुल्क के बेश्तर हिस्सों में शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोग शहरों की निस्बत ज्यादातर देहाती इलाके में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं। शहरों में तो बहुत थोड़े हरिजन लोग रहते हैं। मैं समझता हूं कि उनका तो कुछ थोड़ा बहुत उद्धार हुआ है। उस में उन्होंने थोड़ी बहुत उन्नति की है, लेकिन मैं एक पहाड़ी इलाके से आया हूं, हिमाचल प्रदेश से आया हूं और मैं जानता हूं कि पहाड़ी इलाकों में हरिजनों की आज क्या दशा है। मैं आप की तवज्जह उस तरफ दिलाना चाहता हूं।

पहाड़ों में ये लोग रहते हैं और इन के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं---किसी के पास दो बीघे और किसी के पास चार बीघे। इस रिपोर्ट में भी दर्ज है कि स्टट लेबल पर इस बात का सरवे

किया जा रहा है कि कौन सी ज़मीनें ख़ाली हैं, जो कि शिड्यूल्ड कास्ट्स को दी जा सकें, ताकि वे लोग खेती-बाड़ी पर ठीक ढंग से गुज़ारा कर सकें। पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों के देहातों में व लोग ज्यादातर खेती-बाड़ी पर निर्भर करते हैं। वे लोग चमड़े का, सफ़ाई करने और डोली उठाने वग़ैरह का भी काम करते हैं, लेकिन इन के अलावा उनका सीधा सम्बन्ध खेती-बाड़ी से है। मैं हिमाचल प्रदेश के ज़िला सिरमूर से आया हूं और मैं आप को बताना चाहता हूं कि वहां क्या सरवे हो रहा है।

आज से चालीस साल पहले राजाओं के ज़माने में एक कानून बना था, जिसके आधार पर खेती के अलावा सब ज़मीन को, चाहे वह जंगल हो झाड़ी हो, नाला हो, बंजर हो, कैसी भी ज़मीन हो, रिज़र्व फ़ारेस्ट करार दे दिया गया था। आज भी वह रिज़र्व फारेस्ट हैं। हमारे यहां शिड्यूल्ड कास्ट्स के लैंडलैस आदमी, दो तीन बीघ वाले आदमी सरकार को कहते हैं कि फ़लां ज़मीन काबिले-काश्त है, उस में दरख्त नहीं उग सकते हैं, वह ज़मीन हम को दे दी जाये। इस के जवाब में कहा जाता है कि चूंकि यह ज़मीन रिज़र्व फ़ारेस्ट में आई है, वह जंगल के विभाग के पास है, इस लिये वह नहीं दी जा सकती है। मैं यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो कानून शिड्यूल्ड कास्ट्स के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने में कामयाब हो सकते हैं, अगर उन पर ठीक ढंग से अमल नहीं किया जायगा, तो फिर उन लोगों को उन्नति कैसे हो सकेगी। एक तरफ तो आदेश दिया जाता है कि उन लोगों को ज़मीन दे दो और दूसरी तरफ़ यह कहा जाता है कि वह ज़मीन रिज़र्व फ़ारेस्ट में है। एसी सूरत में मैं नहीं समझता कि उन लोगों को कैसे ज़मीन मिल सकेगी।

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों व आदिम जातियों के स्तर को उठाने के लिये एक बड़ा अच्छा कानून बनाया गया था एबालिशन आफ़ बिग लैंडिड एस्टेट्स एंड लैंड रिफ़ार्म्ज़ एक्ट, १९५३। उस कानून को बने हुए दस साल हो गए, लेकिन अब भी वह खटाई में पड़ा हुआ है और उस को अमल में नहीं लाया जाता है। आंसू पोछने के लिय कभी दो चार केसिज़ कर दिये जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि उन बेचारों को ज़मीन नहीं मिलती है। मैं आप को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक किस्म का पटवारी राज कायम है। कई एसोसियशन्ज़ ने वहां पर सरकार का ध्यान दिलाया कि उस पटवारी राज को ख़त्म किया जाये, लेकिन वह अब भी जारी है। होता यह है कि ज़मींदारी एबालिशन एक्ट के मातहत कोई ग़रीब शिड्यूल्ड कास्ट का मुज़ारा पटवारी के पास जाता है और कहता है कि जिस ज़मीन पर वह काश्त करता है, उस का नम्बर उस को दे दिया जाये। वह नम्बर ले कर अदालत में जाता है और तीन चार साल तक मुकदमा लड़ता है और उस के बाद कानून की वजह से उस को ज़मीन मिल जाती है। लेकिन जब वह फ़ैसला ले कर आता है, तो कोई दूसरा पटवारी बदल कर वहां होता है जो कहता है कि यह तुम्हारे क़ब्जे की ज़मीन नहीं है, दूसरे की ज़मीन है। उस बचारे की कोई सुनवाई नहीं होती है। इस पटवारी राज का नतीजा यह है कि ग़रीब लोग सैकड़ों की तादाद में चार चार साल मुकदमा लड़ने के बाद वापस आते हैं। उन के पास जो भी धन-दौलत होती है, वह बर्बाद हो जाती है और वे पहले से भी ख़राब हालत में वापस चले जाते हैं। अगर सरकार इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देगी, तो व लोग कभी भी उन्नति नहीं कर पायेंगे।

अब मैं आप के सामने फ़ोर्स्ड लेवर का ज़िक्र करना चाहता हूं। आप ने सुना होगा कि लोगों को सरे-बाज़ार ला कर फ़रोख्त किया जाता था और भेड़-बकरियों की तरह बेचा जाता था। हम ऐसी कहावतें सुना करते थे, लेकिन यह कोई कहावत नहीं है। य० पी० और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में यह तरीका सदियों पहले की तरह जारी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है

[श्री प्रताप सिंह]

कि वाकई यह बात है, लेकिन उस में पूरी बात नहीं कही गई है, बल्कि कुछ हद तक ही जाहिर की गई है। इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का जिक्र किया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, हालांकि हिमाचल प्रदेश की भी यही हालत है। उत्तर प्रदेश का वह इलाका, यानी जोन्सार-भावर हिमाचल प्रदेश से मिलता है। एक दरया टोंस उन को जुदा करता है। हमारी तीन तहसीलें, पोंटा, रेनका और पछाद बिल्कुल उस इलाके से मिलती-जुलती हैं और वही हालत उनकी भी है।

१९६१–६२ की रिपोर्ट के सफ़हा १४ पर उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों का जिक्र इस प्रकार किया गया है कि देहरादून जिला के जौनसार बावर क्षेत्र में कोल्टा जाति के लोग ऋण ग्रस्त हैं और उन्हें केवल भोजन और कपड़े के बदले साहूकारों के घर काम करना पड़ता है। यह हालत है उन लोगों की।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण खत्म करें।

श्री प्रताप सिंह : मैं एक बात कह कर खत्म करता हूं।

अगर इन लोगों का सुधार नहीं किया जायेगा, तो ये लोग कैसे तालीम पा सकेंगे और कैसे उन को को-आपरेटिब्ज से और जंगलों से फ़ायदा होगा ? सरकार की तरफ से यह भी देखने की जरूरत है कि जो एड उन लोगों की भलाई के लिये दी जाती है, वह किस ढंग से उन के पास पहुंचती है और उसका इस्तेमाल सही तौर पर किया जाता है या नहीं।

जहां तक लीगल एड देने का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में वह बन्द कर दी गई है, जहां उस की बहुत जरूरत थी, ताकि वे कोई वकील मुकर्रर कर के जमीन को हासिल कर सकते और उन लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा उठाने में मदद मिलती।

हाउसिंग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वीपज़ के लिये मकान बनाने के लिये रुपया रखा गया है। उन की हालत ख़राब है और उनको वह रुपया मिलना चाहिए। लेकिन जो रकम रखी गई है, वह और भी ज्यादा होनी चाहिये थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) :** मैं पूर्ववक्ताओं की भावनाओं का समर्थन करता हूं।

कुछ माननीय सदस्य : हिन्दी में बोलिये।

श्री स० मो० बनर्जी : मुझे पूरा विश्वास है मंत्री महोदया जो इशारा उनमें मिलता हैं उसकी तरफ ध्यान देंगे। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के भाइयों के कल्याण के लिये सरकार ने जितना पैसा सर्फ किया है, या तो वह सही तरीके से सर्फ नहीं हुआ या कुछ ऐसे सर्फ हुआ है कि जितने अच्छे उसके परिणाम निकलने चाहिये थे, नहीं निकले हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

उपाध्यक्ष महोदय, जब भी हम हरिजनों के उत्थान की बात करते हैं, तो कोई न कोई रिपोर्ट हमारे सामने रख दी जाती है और कहा जाता है कि इस रिपोर्ट को पढ़ कर देखिये कि कितनी उन्नति उनकी हो गई है। उस रिपोर्ट को अगर हरिजनों के सामने रखा जाए और उनसे पूछा जाए कि उसके बारे में उनके क्या विचार हैं तो आपको पता चलेगा कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। वाकई में जिस तरीके से वे जीविका चलाते हैं, जिस तरीके से वे रहते हैं, जिस तरीके से वे खाते हैं, उस सब का मिलान अगर उस रिपोर्ट के साथ किया जाए तो मैं समझता हूं कि हम यह पायेंगे कि वह रिपोर्ट शायद किसी दूसरे के लिये लिखी गई है, हरिजनों के लिये नहीं लिखी गई है। मैं यह नहीं कहता हूं कि सरकार ने हरिजनों के लिए कुछ भी नहीं किया है। उसने किया है लेकिन जितना करना चाहिये था, नहीं किया है।

मैं आपके सामने बड़े ताज्जुब के साथ दो बातें रखना चाहता हूं। मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट हुआ था जिस में कहा गया था कि शैड्यूल्ड कास्ट जो कैंडीडेट्स हैं उनकी जब भरती हो, उसी वक्त रिजर्वेशन नहीं होना चाहिये, बल्कि प्रोमोशन के वक्त भी रिजर्वेशन हो। सरकार जो कि अपने आपको जनवादी सरकार कहती है और जिस का दिल हमेशा हरिजनों के लिये पिघलता रहता है उसने बजाय इस के कि इसको लागू करती, सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह फैसला दे दिया कि नहीं प्रोमोशन में भी इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिये। इसी सदन में हमारे योग्यतम मंत्री, बाबू जगजीवनराम जी जो इस वक्त हमारे बीच में नहीं हैं, उन्होंने कहा था कि उस फैसले को लागू किया जाएगा लेकिन कुछ सवालात ऐसे उठाये गये हैं कि जिस में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड कास्ट में भेदभाव तक करने की कोशिश की गई है। उस आश्वासन के बाद भी मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर वह क्यों लागू नहीं किया गया है। आज भी उसके बारे में सही तरीके से इलाज नहीं हुआ है और उस आदेश को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है।

अभी ३० तारीख के अखबारों में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को। उसमें कहा गया था कि कैरी फार्वर्ड करने के लिये जो रूल था १९५५ का, वह गलत है। एक विभाग में अगर चौदह परसेंट हमारे हरिजन भाई रहने चाहिये, शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के रहने चाहिये और दुर्भाग्य से अगर एसे आदमी नहीं मिलते हैं जिन की नियुक्ति की जा सके और रिलैक्सेशन के बाद भी उनकी भरती नहीं की जा सकती है तो चौदह परसेंट को अगले साल २८ परसेंट में बदला जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोट के फैसले के बाद अगर चौदह परसेंट एक साल में भरे नहीं गये तो अगले साल वह कोटा खत्म हो जाएगा, वह कैरी फार्वर्ड नहीं होगा। अगर आज चौदह परसेंट लोग इन जातियों के नहीं मिले और इसलिये जगह भरी नहीं जा सकीं किसी भी कारण से, चाहे शिक्षा पूरी नहीं थी, इसलिये या क्वालिफिकेशन में वे पूरे नहीं उतरे, इसलिये तो यह किस की जिम्मेदारी है, शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों पर यह जिम्मेदारी थोपी जा सकती है या सरकार पर। मैं चाहता हूं कि सरकार अपने कर्त्तव्य को समझे। सरकार को यह चाहिये था कि वह उनका उत्थान करती, उनको सही स्थान समाज में दिलाती। अगर सामाजिक उत्थान या आर्थिक उत्थान उनका नहीं हुआ तो इसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट निकला तो उसकी प्रतिक्रिया फौरन सरकार पर होनी चाहिये थी और उसको चाहिये था कि फौरन एक विधेयक इस सदन के सामने लाती। जब संसद का अधिवेशन नहीं हो रहा था तो एक सरमायेदार की जमीन के मामले में अध्यादेश जारी किया गया था लेंड एक्वीजीशन के सम्बन्ध में। यह तब किया गया था जब कि सदन की बैठक

[श्री स०मो० बनर्जी]

पंद्रह या बीस दिन बाद होने जा रही थी। लेकिन आज लाखों शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाइयों के जीवन मरण का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने एक बहुत ही गम्भीर समस्या ला खड़ी कर दी है। उसके सम्बन्ध में अध्यादेश की बात तो मैं नहीं कहता क्योंकि संसद् की बैठक इस वक्त चल रही है लेकिन मंत्री महोदय को एलान करना चाहिये था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो नुक्सान हरिजनों को होने जा रहा है, उससे उनको बचाया जाएगा। उनको चाहिये था कि वह एलान करते कि हम एक विधेयक सदन में ला रहे हैं। कालिंग अटेंशन नोटिस और दूसरी चीजें यहां दी गई थीं। लेकिन किसी कारणवश उनको मंजूर नहीं किया गया। शार्ट नोटिस क्वेश्चन दिया गया तो उसकी अहमियत को इतना कम समझा गया कि उसको एक आर्डिनरी क्वेश्चन ही ट्रीट किया गया और अब वह १८ तारीख को आयेगा जबकि सदन में उस पर बहस भी नहीं हो सकती है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि एक जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट है और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है और दूसरे जो अभी जजमेंट हुआ है, इन दोनों के बारे में जो सरकार की प्रतिक्रिया है वह साफ साफ हमारे सामने आनी चाहिये। शैड्यूल्ड कास्ट के भाइयों की जब बात की जाती है तो मैं देखता हूं कि बाहर तो एक तरीके से बात की जाती है, मंत्री महोदयों की तरफ से और इस सदन में जब बात की जाती है तो दूसरे ही तरीके से वह होती है। जब सदस्यों ने इस बात की मांग की कि श्री अम्बेदकर की तस्वीर सैंट्रल हाल में होनी चाहिये तो यह कहा गया कि आफ्टर आल ही वाज़ नाट ए नैशनल लीडर। सारे कागजात इस सदन में हों या अध्यक्ष महोदय के पास हों, यह चीज़ उस में मिल सकती है। दूसरी बात यह कही गई थी कि अम्बेदकर साहब की तस्वीर के साथ एक और तस्वीर नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की भी लगाई जाये। बाबा अम्बेदकर के नाम से वोट मांगने के लिए तो हम चले जाते हैं जब जरूरत होती है, उस वक्त बाबा अम्बेदकर का नाम तो चलता है, हरिजनों के रक्षक महात्मा गांधी का नाम तो चलता है, भंगी कालोनी में जिन के चरणों में बैठ कर नीति सीखी थी, उनका नाम तो चलता है, लेकिन जब इस तरह से हरिजनों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, तो उनके अधिकारों की रक्षा करने की फिक्र आप क्यों नहीं करते हैं। हज़ारों चीज़ों के बारे में आप ने अध्यादेश जारी किये हैं, नये नये विधेयक पास करवाये हैं, संविधान को पंद्रह मर्तबा आप बदलवा चुके हैं और सोलहवीं या सतरहवीं मर्तबा बदलवाने जा रहे हैं, तो क्या कारण है कि करोड़ों हरिजनों के शोषण को आप खत्म करने की बात नहीं सोचते हैं। उनके शोषण को खत्म करने के लिए अगर एक बार और संविधान की किसी धारा को बदलने की जरूरत है और उसको बदला जाता है तो इस में कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि मैं तो कहता हूं कि एक एक माननीय सदस्य इस सदन का उसको मंजूर करेगा।

दो जजमेंट्स जिन का मैंने हवाला दिया है, इनके बारे में क्लीयरकट रिप्लाई मैं चाहता हूं मुझे मिले। घुमा फिरा कर इस का जवाब न दिया जाये। अगर इसका सीधा सादा जवाब दिया जा सकेगा तो वाकई में शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों की तकदीर का फैसला इस सदन में हो सकता है।

श्री बाल्मीकि (खुर्जा) : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट पर तीन दिन से बहस चल रही है। श्री बंधोपाध्याय बनर्जी के बाद तथा बड़ी तपस्या के बाद, बोलने का जो मुझे अवसर दिया गया है, उसके लिए मैं आप का आभारी हूं . . . . .

श्री स० मो० बनर्जी : बंधोपाध्याय अगर कहते हैं तो बनर्जी न कहें क्योंकि दोनों एक ही हैं।

श्री बाल्मीकी : ऋग्वद में आया है—

नहि वश्चरमं च न वशिष्ठः परिमंसते।
अस्माकमद्य मरुतः सुते सचातिश्वे पिबन्तुकामिनः ॥

अर्थात् परमेश्वर सब से पिछड़े हुए का भी अनादर नहीं करता। हे मनुष्यो, हम में से जो सुख के अभिलाषी हैं वे सब एक साथ मिल कर आनन्द रस और सुख का पान करें।

जब हमारे सामने चीनी आक्रमण की विभीषिका विद्यमान है, हमारी सीमाओं पर खतरा है, हमारे देश के अन्दर भावात्मक एकता और राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हुई है, फिर भी हम इस तरह के विचार, अस्पृश्यता के विचार, हरिजनों के विचार, इस सदन में ले कर चलें, तो वह बात उतनी अच्छी प्रतीत नहीं होती है। यह शिकायत करना कि ये दो रिपोर्टें एक साथ आई हैं और सन् १९६२ में जो चुनाव का वर्ष था, नहीं आई, मेरे विचार में उसका कोई अर्थ मानी नहीं है। इस शिकायत में कोई वजन नहीं है। चुनावों के अन्दर जातीयता, घोर जातीयता सब पार्टियों की ओर से बरती जाती है और उस का एक प्रकार से फायदा उठाया जाता है। मैं किसी भी पार्टी विशेष को दूध में धुली हुई नहीं मानता हूं। सभी पार्टियां इस बात का घोर प्रयत्न करती हैं कि जाति के नाम पर वोट लिये जायें, जातिवाद को उभारा जाये। इस प्रकार की जातिवाद घोर निंदा के काबिल है। मैं समझता हूं कि अगर उस वक्त यह रिपोर्ट आती, तो सभी के दिमागों में जातिवाद का जोर होता और जो मजबूत जातियां हैं, वे तो इसका फायदा उठा लेती हैं लेकिन जो कमजोर जातियां हैं, जैसे बाल्मीकी, वे घाटे में रहती हैं उन को उतना अवसर नहीं मिलता जितना मिलना चाहिये।

हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर यह अस्पृश्यता आती कहां से है, इसकी जड़ें कहां पर हैं। इसकी तीन हजार जड़ें हैं। जितनी जातियां हैं, उतनी ही इस की जड़ें हैं। तीन हजार से ज्यादा जो उपजातियां हैं, वे भी उपजड़ें हैं। वर्ण भेद, जाति भेद, जाति अभिमान, अपने तथा वंश पर अभिमान, उसके अन्दर भी इसकी जड़ें समाई हुई हैं। यह बीमारी बहुत पुरानी है। आज भी वे पुरानी कट्टर परम्परायें चली आ रही हैं, पुरानी रूढ़िवादिता आज भी दृढ़ से दृढ़तर होती जा रही है। समाज की कई बुराइयों के लिए यह जातिवाद उत्तरदायी है। जब तक इस अस्पृश्यता की समस्या पर गम्भीरता से हम विचार नहीं करते और पूरे जोर से इसको अपने दिमागों से निकालने का प्रयत्न नहीं करते, तब तक यह निकल नहीं सकती है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है "कास्ट इन इण्डिया" जिसके लेखक जे० एच० हट्टन हैं। जे० एच० हट्टन ने ध्यान दिलाया है उन बातों की ओर कि जिनकी वजह से यह अस्पृश्यता है और जिनकी वजह से इस देश के अन्दर यह कास्ट सिस्टम विराजमान है। मैं अपने आयुक्त महोदय का और उप-मंत्रिणी जी का ध्यान उस ओर आकर्षित करूंगा। उन्होंने बताया है कि यहां जात पांत के उदय का कारण यह है कि यह महाद्वीप अलग थलग है, इसके विभिन्न भाग बिखरे हुए हैं। खान पान, शुद्धता अपवित्रता, पूर्वज पूजा अवतारवाद कर्मवाद और पैतृक व्यवसाय, वर्ण भेद, विजेता और विजित का भेद आदि मुख्य रूप से जाति भेद का कारण है। इस ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि जो भौगोलिक विभिन्नता रही हैं और कर्म भाग्य संस्कार के अनुसार उन को एक खास निम्न जाति में परिवर्तित कर दिया गया है। यह उचित नहीं है।

मैं मानता हूं कि हमारे देश में भी समय समय पर मानवीय प्रयत्न चले हैं, प्राचीन काल से मानव को मानव समझने के लिए प्रयत्न किये गये हैं और इस तरफ ध्यान दिया गया है। ये

[श्री बाल्मीकी]

प्रयत्न वेद के द्वारा और ऋषियों के द्वारा तथा महापुरुषों और संतों के द्वारा किये गये हैं, विशेषकर महात्मा गांधी तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती के द्वारा । लेकिन वेदशास्त्रों में और देश में ये उच्च विचार होते हुए भी मानव को इतना गर्हित समझा गया । ऐसे विचार आज भी इस देश के अन्दर विद्यमान हैं, और इस ओर मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि इस दिशा में जिस तरह से आप प्रयत्न कर रहे हैं वे चलते रहने चाहिए और जिस तरह का प्रवाह चल रहा है उसको जारी रहना चाहिए ।

आज देश के अ दर यह भावना पैदा हो गयी है कि हमारे जो हरिजन भाई हैं, और जो हरिजन जातियां हैं वे सुविधायें और संरक्षण मिलने के कारण काफ़ी उठ गयी हैं । लेकिन आज भी उन की सामाजिक दिक्कतों को देखा जाये कि किस तरह से उन के साथ दुर्व्यवहार होता है, कौन सा स्थान उन को समाज में प्राप्त हैं, उन को कौन सा स्तर दिया जाता है । मैं इस ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं कहता हूं कि इस में कोई तथ्य नहीं है कि हरिजन जातियों ने काफ़ी उन्नति कर ली है ।

सदन में यह भी विचार आया है कि हरिजन जातियों में आपस में एक प्रकार की अस्पृश्यता है । इस सम्बन्ध में मैं उनका ध्यान क्राइस्ट के इन शब्दों की ओर दिलाना चाहूंगा कि उन्हें अपनी आंख का तो टेंटरा नहीं दिखायी देता पर दूसरे की आंखों में शहतीर देखते हैं । हमारे कमिश्नर महोदय ने भी दोनों रिपोर्टों में इस पर विशेष कर कहा है । उन्होंने कहा है कि अनुसूचित जातियों में परस्पर अस्पृश्यता की भावना अत्यन्त दुखजनक है जिस से प्रतीत होता है कि वे इस से मानसिक संतोष की कामना करते हैं । मैं आप से अर्ज करना चाहता हूं कि यह अस्पृश्यता की बीमारी कोई नई नहीं है । हमारे अ दर यह बीमारी आयी है केवल ऊपर वालों से । यह बीमारी ऊपर के समाज वालों से आयी है । वे लोग पहले अपने अ दर इस का इलाज करें तब हम से कुछ कहें । मैं आप को यकीन दिलाता हूं कि आज देश में हमारे हरिजन जातियों के लोग आपस में खान पान और दूसरे प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं । इसलिए इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है । हम पर यह आरोप लगाया जाता है कि हम लोगों में आपस में शादी विवाह नहीं होते । लेकिन ऐसा नहीं है, हम में इस प्रकार की शादी होती है । इस का एक बड़ा उदाहरण प्रोफ़ेसर यशवन्तराव हैं जो कि बालमीकी हैं और उनके घर में जो देवी हैं वे चमार जाती की हैं । तो इस प्रकार की मिसालें मौजूद हैं । कल डा० लोहिया जी ने कहा कि जहां विभिन्न जातियों के लोगों में प्रेम हो जाता है और बनका विवाह होता है तो समाज में एक तुफान आ जाता है । यह ठीक है कि समाज में अभी ऐसी व्यवस्था नहीं आयी है कि इस चीज पर समाज में हलचल न हो । मैं ने भी देखा है कि अगर किसी जगह किसी बड़ी जाति वाले की लड़की का प्रेम हरिजन से हो जाये, या इधर से उधर हो जाये तो समाज में तूफान पैदा हो जाता है । अभी समाज इस के लिए तैयार नहीं है फिर भी यदि हमें तीन हजार जातियों और उपजातियों को तोड़ना है और गोत्रों को समाप्त करना है, देश की राष्ट्रीयता को मजबूत करना है, देश के अन्दर जो समाजवादी ढांचा या समाजवाद उभर रहा है उसको मजबूत करना है और उसकी परम्पराओं को मजबूत करना है, तो आवश्यक है कि इधर ध्यान दें । इस दिशा में उन्नति करें । अगर आप इस ओर विशेष ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि ये सामाजिक बन्धन टूट सकते हैं । इस प्रकार के प्रयत्न करने आवश्यक हैं ।

मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक स्तर पर भी इन जातीय बन्धनों को तोड़ने के प्रयत्न चल रहे हैं, लेकिन वे उससे अलग हैं । उन के अलावा भी और प्रयत्न होने चाहिए जिससे इन पिछड़े हुए

लोगों का आर्थिक और सामाजिक स्तर अन्य लोगों के बराबर हो, उनको उन्नति के समान अवसर मिलें और वे पूरे समाज के साथ मिल कर चल सकें। अभी तक इन लोगों को यह अवसर प्राप्त नहीं है।

जो लोग यह दोषारोपण करते हैं कि इन लोगों को संरक्षण प्राप्त हैं, तो यह कोई अहसान नहीं है। हम ने सदियों तक समाज का जुल्म सहा है। आज समाज या सरकार उस खराबी को दूर करने के लिए प्रयत्न करती है तो यह उचित ही है। हम नहीं चाहते कि हम को बराबर संरक्षण मिलता रहे। यदि हम लोग बाकी समाज के साथ बराबर के स्तर पर आ जायें और हम को समान अवसर प्राप्त होने लगें नौकरियों में, जमीन के बटवारे में, धन के बटवारे में और हम को सब के समान स्थान प्राप्त हो जाये, फिर हम को इन संरक्षणों की जरूरत नहीं रहेगी लेकिन जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक इनकी आवश्यकता रहेगी।

मैं आपका ध्यान विशेष रूप से इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अब केवल बातों से काम नहीं चलेगा। आज हरिजनों पर हर प्रकार से दबाव पड़ रहा है। उनके ऊपर आर्थिक दबाव है, उनके ऊपर अस्तृश्यता का दबाव है। आज समाज में आर्थिक विषमतायें हैं उनके वे शिकार हैं। जब तक इन बन्धनों को और इन आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक हम लोगों को समाज में समान स्थान प्राप्त नहीं हो सकता।

प्रकाशवीर शास्त्री जी ने धर्म परिवर्तन की बात कही। मैं धर्म परिवर्तन को बहुत महत्व नहीं देता। मैं इसको बहुत बड़ी चीज नहीं मानता। लेकिन जिन स्थितियों में यह धर्म परिवर्तन होता है उनको भी आप देखें। आज इसके लिये दोषारोपण किया जाता है इसाइयों और मुसलमानों पर। और इसके खिलाफ हन्दू जाति में प्रयत्न चल रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि इस धर्म परिवर्तन का सब से बड़ा कारण तो हिन्दू जाति के अन्दर मौजूद है। इसको निकालने के लिए हमको धार्मिक संग्राम करना होगा। गांधी जी ने कहा है अस्पृश्यता को मिटाना एक धार्मिक संग्राम है और हमको इसे जारी रखना होगा। उन्होंने कहा है :

> "अस्पृश्यता के साथ संग्राम एक धार्मिक संग्राम है। यह संग्राम मानव सम्मान की रक्षा के लिए है। यह संग्राम हिन्दू धर्म में बहुत ही बलवान सुधार के लिए निमित्त है। यह संग्राम सनातनियों के खाईदार गड्ढों के विरुद्ध है।"

महत्मा गांधी ने कहा है कि यह अस्पृश्यता हिन्दू धर्म में एक सड़न है, अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो हिन्दू धर्म का सुधार नहीं हो सकता।

अन्त में मैं आपका ध्यान भंगियों के पेशे की ओर दिलाना चाहता हूं। बहुत से भाइयों ने इसका जिक्र किया है और कहा है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीया उपमंत्राणी जी यहां बैठी हैं, वे हमारी समस्याओं को समझती हैं। सिर पर पाखाना ढोने की लानत को दूर करने के लिए प्रयत्न चल रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार और विशेषकर म्यूनिसिपैलटियां उदासीन हैं। मैं चाहता हूं कि इस प्रथा का नाश करने के लिए कोई कानून लाया जाए भंगियों के आवास, रहन-सहन की समस्या और दूसरी समस्याओं और उनके काम के तरीकों में सुधार की समस्या की ओर ध्यान दिया जाए। इस काम के लिए जो तृतीय योजना में ३ करोड़ रुपयों का अनुदान है उसके अनुसार कार्य चलना चाहिए। यदि ठीक प्रकार से काम किया गया तो अस्पृश्यता जा सकती है। हम चाहते हैं कि हमें सामाजिक न्याय प्राप्त हो, सब के समान स्तर पर हम आयें और हमको उन्नति के समान अवसर मिलें।

†श्री डेविड मुन्जनी (लोहरदगा) : सभा ने ढेबर आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है अतः हमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति आयोग के प्रतिवेदन का स्वागत करना चाहिये। उपमंत्री ने कहा है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति को शेष जन समुदाय के स्तर पर लाना है। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने सरकार और अन्य धर्म प्रचारकों का जो विरोध किया है वह विषैला है। उन्होंने कहा है कि आदिम जातियों की आर्थिक स्थिति के कारण ईसाई धर्म प्रचारक उन्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। वास्तव में आदिम जातियां इन धर्म प्रचारकों की आभारी हैं जिनके प्रयत्न और बलिदान के कारण वे इस जीवन स्तर तक पहुंच पाई है।

आदिम जाति के लोगों को अन्य लोग उपेक्षा की दृष्टि से देखते हैं और उन्हें विस्थापित कर रहे हैं उनके कल्याण के लिए योजनायें बनाई जाती हैं किन्तु उनके सम्बन्ध में विधि त्रुटिपूर्ण है राज्य सरकारें उन त्रुटियों को दूर नहीं कर रहीं जैसा कि आयुक्त के प्रतिवेदन में कहा गया है। आदिम जातियों को प्रचुर मात्रा में रोजगार नहीं दिया जा रहा। भूमि और वन उनके जीवन का आधार है। आशा है माननीय उपमंत्री संघ को आश्वासन देंगे कि भारत का आदिम जातियों की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हरिजनों के लिये और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज़ के लिये जो कुछ कर रही है, उसका तो अन्दाजा इसी से लग सकता है कि दो दिन से यह बहस चल रही है, लेकिन एक भी कैबिनेट मिनिस्टर ने इस बहस को एटेंड नहीं किया है। सरकार थोड़ा बहुत इसलिए कर देती है कि रोते हुए के आंसू पोंछ दिये जायें और ये लोग साथ लगे रहें। वैसे मैं अमल में देखता हूं कि सरकार उनके लिए पांच साल में एक दफ़ा तो पब्लिक में बोल देती है और साल में एक दफा इस हाउस में बोल देती है। इसके अलावा और कोई काम मुझे नज़र नहीं आता है। यह इतनी इम्पार्टेंट रिपोर्ट है और सेंट-परसेंट मेम्बरान ने इसकी ताईद की है, लेकिन सरकार आज भी यह नहीं कहती है कि हरिजनों के उद्धार के लिये कोई ऐसी कोशिश की जाएगी, जिससे वे उन्नति कर सकें और ऊंचे उठ सकें।

सरकार बेकार चीजों पर करोड़ों रुपया ख़र्च करती है, लेकिन इस देश में जो सब से ज़रूरी वर्ग है, उसके लिए आज तक कोई कोशिश नहीं की गई है। आज भी अगर भूदान आन्दोलन चलता है तो हरिजनों के लिये चलता है। क्यों चलता है यह भूदान आन्दोलन ? दान देते हैं अपाहिज को, कोढ़ी को, उस को, जिसके हाथ और पैर टूटे हों। ये लोग तो इस देश के मालिक हैं। जिन्होंने पहाड़ों को खोद कर सुरंगें तैयार की हैं, जिन्होंने रेगिस्तानों को चीर कर चमन खिलाए हैं, जिन्होंने आना सागर को बांध कर डाल दिया है, जिन्होंने भाखराडैम खड़ा कर दिया है, उन लोगों को यह कहा जाये कि भूदान पर जिन्दा रहो, यह सरकार के लिए कोई गौरव की बात नहीं है।

हमारे मुताल्लिक यह कहा जाता है कि ये ज़मींदार थे। मैं न तो ज़मींदारों का रिप्रैज़ेन्टेटिव हूं और न खुद ज़मींदार था, लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी हमारे बीच में, हमारी पार्टी में, श्री कामाख्याप्रसाद सिंह जैसे लोग हैं, जिन्होंने मज़दूरों को कहा है कि मेरी बीस हज़ार एकड़ ज़मीन बग़ैर किसी मुआवजे के ले जाओ। जो सरकार देती है, वह तो हम सब का है, वह तो हरिजनों का है, वह तो उन २८ करोड़ इन्सानों का है, जिनके बारे में माननीय श्री गुलजारीलाल नन्दा यह मान चुके हैं कि वे सात आने रोज़ पर गुजारा करते हैं। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि हर एक मिनिस्टर अपनी हैसियत का, अपने स्टेटस का एक-चौथाई हरिजन फ़ंड में दे, हरिजनों को दे और उसके बाद मिनिस्ट्री की कुर्सी पर बैठे।

---

†मूल अंग्रजी में

आज हम देखते हैं कि अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने, सब से बड़ी अदालत ने, यह तय कर दिया है कि वहां के हबशियों को, नीग्रोज़ को, हर जगह दाखिला मिलना चाहिए। प्रैज़िडेंट कैनेडी में इतनी शक्ति है कि वह कानून को अमल में ला सकता है और नीग्रोज़ को खड़ा करके दाख़ला दिलवा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ़ हमारे प्राइम मिनिस्टर गोआ में जाते हैं। वह मंगेश मन्दिर में दाख़िल होते हैं, लेकिन हरिजन भाई पीछे रोक दिये जाते हैं और वह अकेले अन्दर मन्दिर की प्रदक्षिणा करके आते हैं। अगर मुझे मन्दिर जाना हो और मेरे साथ मेरा हरिजन भाई हो और उसको रोक दिया जाये, तो मैं हरगिज़ हरगिज़ उस मन्दिर में प्रवेश नहीं करूंगा, जिसमें मेरा भाई हरिजन नहीं जा सकता है। इसलिए हरिजनों के उद्धार और प्रगति के लिए कोई ठोस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। सिर्फ झूठे गीत गाने से कुछ नहीं हो सकता है।

मैं पूछना चाहता हूं कि अनटचेबिलिटी को रीमूव करने के लिए सरकारी स्तर पर क्या किया गया है। मैं आपको हरिद्वार की हर की पैड़ी की बात बताना चाहता हूं। उसको कुत्ता गन्दा कर सकता है बिल्ली गन्दा कर सकती है वहां सैकड़ों मन हड्डियां डाली जा सकती हैं, लेकिन आज भी अगर कोई बाल्मीकी भाई या भंगी भाई वहां पर स्नान कर ले, तो सवर्ण हिन्दू उसकी बोटी बोटी नोच कर खा जायें। हमें यह सिखलाया जाता है। हम कहते हैं कि सरकार कोई ठोस कदम उठाए सरकार कुछ करके दिखलाए, लेकिन सरकार कुछ करती नहीं है।

हमें कहा जाता है कि यह ज़मींदारों की पार्टी है। न मैं ज़मींदार था और न मैं ज़मींदारों का रिप्रैज़ेन्टेटिव हूं। लेकिन आज भी यू० पी० में पांच हरिजन ऐसे हैं, जो कि रूलिंग पार्टी के हरिजनों को हरा कर आये हैं। अगर ये खून पीने वाले लोग थे, तो सारे हिन्दुस्तान में एक भी हिज़ हाईनेस को कांग्रेस क्यों नहीं हरा सकी? अगर ये पैराज़ाइट्स थे, अगर ये ऐयाशी में रहते थे, तो सारे हिन्दुस्तान में एक मिसाल तो ऐसी होती कि किसी हिज़ हाईनेस को किसी कांग्रेसी उम्मीदवार ने हरा दिया। अगर वे जनसंघ से खड़े हुए, तो आ गए। अगर वे झारखंड से खड़े हो गए, तो वहां से आ गए। अगर वे पी० एस० पी० से खड़े हुए, तो आ गए। अगर वे कांग्रेस से खड़े हुए, तो आ गए। अगर वे इंडिपेंडेंट के रूप में खड़े हुए, तो भी वे आ गए। वे जिस पार्टी से भी खड़े हुए, आ गए, इसलिए कि जनता लैसर ईविल को चूज़ करना चाहती है। जनता यह मानती है कि ज़मींदारों में कुछ बुराइयां रही होंगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में उन ज़मींदारों से ज्यादा बुराइयां हैं। इसलिए जनता हमेशा उनको सपोर्ट करती है और यहां भेजती है।

जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने उनके हक में फ़ैसल दिया है, तो क्यों उनको अधिकार नहीं दिये जाते, क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाये जाते, आज भी मैं ज़िला सहारनपुर में देखता हूं कि सीटें किस लिए खाली पड़ी हुई हैं कि काबिल हरिजन नहीं मिले और चूंकि काबिल हरिजन नहीं मिले, इसलिये ग़ैर-हरिजनों को लगा लिया गया। सवाल यह है कि पार्लियामेंट के लिए काबिल हरिजन कहां से मिल जाते हैं, वज़ारत के लिए काबिल हरिजन कहां से मिल जाते हैं? लेकिन जब कोई जगह देने का सवाल आता है, उस वक्त कहा जाता है कि काबिल हरिजन नहीं मिलते हैं। इसका इलाज करना होगा।

मेरा ताल्लुक एक ऐसे घराने के साथ है, जिसने हरिजनों के कल्याण के लिए पूरी शक्ति के साथ काम किया है। मेरे पिता, महात्मा काली कमली वाले, ने जो आज से पहले पचास साल पहले हरिजनों के उद्धार का बीड़ा उठाया था और वह आउट कास्ट किये गए थे। कौन नहीं आउटकास्ट किये गये? क्या रवीन्द्रनाथ टैगोर नहीं किये गये? क्या महात्मा गांधी नहीं किये गये? लेकिन आज जो सरकार कहती है कि हम महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, वह सरकार बता दे

[श्री यशपाल सिंह]

कि क्या हरिजनों के निर्माण और प्रगति में उसका कुछ सहयोग है। क्या हमारी किसी एम्बैसी में कोई हरिजन है ? क्या किसी सूबे का वजीर-आला हरिजन है ? क्या कोई गवर्नर ऐसा है, जो कि हरिजन खानदान से हो ? क्या किसी भी सूबे में कोई हरिजन उम्मीदवार वज़ीरे-आला बन सकता है ? नहीं बन सकता है। माननीय श्री गिरधारीलाल का चांस था, पिछली दफ़ा यू० पी० में चीफ़ मिनिस्टर बनने का, लेकिन इन सवर्ण लोगों ने कांग्रेस टिकट पर आये हुए लोगों ने, इन बड़े बड़े लोगों, कांग्रसियों, ने कहा, "नहीं नहीं।" यू० पी० के बावन जिलों में कुर्सी पर कोई चमार नहीं बैठ सकता" और इस तरह माननीय श्री गिरधारीलाल का चांस खराब किया गया और उनको उस कुर्सी पर नहीं बैठने दिया गया।

इस हाउस में बाबू जगजीवन राम बैठे हुए थे। हालांकि वह येसमैन थे, लेकिन सौ फीसदी येसमैन नहीं थे। वह इंडिपेंडेंट व्यूज रखते थे। उनमें कुछ बोल्डनैस थी, कुछ निर्भीकता थी, कुछ अपने बिचार थे। वह चाहते थ कि हरिजन ज्यादा से ज्यादा तादाद में तरक्की करें। कामराज प्लान आई और उनको अलग कर दिया गया। मैं पूछता हूं कि रामराज चाहने वाले कामराज कहां से ले आए। रामराज और कामराज में जो अन्तर है, अगर मैं उस पर बोलूं, तो देर लगेगी। पढ़े-लिखे लोग समझते हैं कि रामराज और कामराज में जो अन्तर है, ही कांग्रस सरकार और महात्मा गांधी में अन्तर है। कामराज प्लान इसलिये नहीं आई थी कि कुछ सुधार किया जाये। कामराज प्लान इस लिये आई थी कि इंडिपेंडेंट व्यज के लोगों को अलग कर दिया जाये।

कम से कम यह देखा जाये कि हमारी अकेली स्वतन्त्र पार्टी में एसे कितने हरिजन हैं, जो कि रूलिंग पार्टी के हरिजन उम्मीदवारों को हरा कर आय हैं। अगर उन के साथ गरीबों की दुआयें न होतीं, उन के साथ गरीब किसान और मजदूर न होते, तो उन को कभी भी यह मौका नहीं सकता मिल था।

आज श्रमदान किस से लिया जाता है ? हरिजन से। श्रमदान कौन करता है ? शिड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी ? श्रमदान कौन करता है ? मजदूर। कौन मरता है श्रमदान में? गरीब आदमी मरता है। ये लोग तो अपने बच्चों को भूख छोड़ कर श्रमदान करते हैं, लेकिन उस श्रमदान को देखने के लिये जो कलेक्टर जाता है, वह उस दिन का भी भत्ता बनाता है। उस श्रमदान को देखने के लिये जो एस० डी० ओ० जाता है, वह उस दिन का टी० ए० और डी० ए० लेता है। एक तरफ एक हरिजन अपने बच्चों को भूक़ा छोड़ कर श्रमदान करने जाता है—हालांकि कहा जाता है कि फोर्स्ड लेबर खत्म कर दी गई है, लेकिन पक्की बेगार तो यहां है—, अपना घर मिलियामेट कर के श्रमदान करने जाता है, लेकिन उस श्रमदान को देखने के लिए जो डिपुटी कमिश्नर, एस० डी० ओ० या तहसीलदार जाता है, वह बाकायदा भत्ता बनाता है, टी० ए० और डी० ए० बनाता है, बाकायदा कैम्प रखता है, डाक बंगले में रहता है और अच्छी से अच्छे दावतें लेता है।

यह डिस्पैरिटी किस तरह से खत्म होगी? हरगिज नहीं हो सकती है। हरिजनों का उत्थान तब होगा, जब उस के उत्थान की स्कीम हिन्दी में बनाई जायगी। जिन का उत्थान करना है, व तो दो फीसदी भी अंग्रजी नहीं समझते हैं। यह रिपोर्ट आई है अंग्रजी में, एक एसी जबान में, जिस को दो फी सदी हरिजन भी नहीं सझते हैं।

अगर हरिजनों के दिल टटोलने हैं तो चल कर देहात को देखिये, जहां आज भी हरिजनों के लिए किताबें नहीं हैं। कहा जाता है कि हमने फीस माफ करवाई। जितने लड़कों की फीस माफ हुई ?

मैं अपनी कांस्टीट्युएंसी के एक गांव का जायजा पेश करता हूं। उस गांव में तीन लड़के स्कूल में पढ़ते हैं और इस तरह सारे साल में २०० रुपये की फीस की माफी हुई और उसी गांव में हरिजन चार हजार रुपया सालाना टैक्स देते हैं। चार हजार रुपये ले कर और २०० रुपये खैरात करके कहते हैं कि हमने हरिजनों को उठा दिया। हरिजनों का उत्थान तब होगा, जब उनकी तरक्की की कोई स्कीम आयगी, उन की तरक्की और तालीम का द्वार खुलेगा। आज उन को तरक्की और तालीम का द्वार नहीं खुला है। इसी सदन में कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा था कि जो हरिजन एस० डी० ओ० हैं, उन में से पचास फी सदी के कैरेक्टर-रोल में इसलिये एडवर्स एन्ट्री की जाती है कि वे सवर्णों के बराबर न उठ सकें इसके लिए कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। हरिजन आज भोले नहीं रह गए हैं। आज उन को भूमिदान का इंजैक्शन दे कर चुप नहीं कराया जा सकता है। यह आज काम नहीं रह सकता है। आज वे दान के ऊपर जिन्दा रहने के लिए तैयार नहीं हैं। उन के अन्दर क्रान्ति की भावना है, बराबर आने की भावना है। उन के अन्दर राष्ट्र के सच्चे नागरिक बनने की भावना है। उन के अन्दर यह भावना है कि आप भी उन को सच्चे नागरिक मानें, दूसरे लोग भी अच्छे नागरिक मानें, आज अगर आप भूमि दान का इंजेक्शन दे कर उन का काम करना चाहें तो काम नहीं हो सकता है। आज क्रान्ति की भावना जगी हुई है।

आज पुरानी तदवीरों से आग के शोले थम न सकेंगे,
उभरे जज्बे दब न सकेंगे उजड़े परचम जम न सकेंगे।
राजमहल के दरबानों से ये सरकश तूफां न रुकेगा
चन्द किराये के तिनकों से सैले बेबाकां न रुकेगा।

इस को कोई रोक नहीं सकता है। इस को रोकने का एक ही तरीका है। जिस जाति ने भीमराव अम्बेडकर का निर्माण किया, जिस जाति ने जगजीवन राम जी जैसे लोगों का निर्माण किया, जिस जाति ने गिरधारी लाल जैसों का निर्माण किया, स्वामी रामानन्द का निर्माण किया, उस जाति को जिन्दा रहने का हक दिया जाए। उस को आगे बढ़ाने के लिये, उस की परवरिश करने के लिये और उसको दूसरे लोगों के बराबर बिठाने के लिय कानून बनाया जाए। समान अवसरों की जो बात कही जाती है अगर उस को लागू किया जाये तो मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि एक हजार साल तक ये लोग दूसरों के बराबर नहीं जा सकते हैं। एक घोड़े के ऊपर हो और दूसरा पैदल और दोनों की आप घुड़दौड़ करायें तो दोनों घुड़दौड़ नहीं कर सकते हैं। या तो दोनों को आप घोड़े सप्लाई कीजिये या दोनों को पैदल कीजिये अगर आप समान अवसर की बात करते हैं तब। ईक्वल अपरचुनीटीज अगर दी गई तो सौ साल में भी ये लोग दूसरों के बराबर नहीं आ सकेंगे। सरकार का काम है कि वह ठोस कदम उठाये। बहकाने से, वोट मांगने से काम नहीं चल सकता है। आज हरिजन इतना भोला नहीं रह गया है, जितना आप समझते हैं। न ही वह सीधा सादा रह गया है। हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं, उन के हितों की रक्षा करने के लिये बैठे हुए हैं, चौकीदारों की तरह से बैठे हुए हैं। जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आता हूं वहां पर ७० परसेन्ट हरिजन लोग हैं, ७० परसेंट छोटी जाति के लोग हैं। उन्हों ने मुझे यहां भेजा है। मैं बैलों की जोड़ी के प्रताप से नहीं आया हूं। सात लाख लोगों के दिलों और दिमागों ने मुझे यहां भजा है। उन के दिलों में क्या है, उन के दिमागों में क्या है, उस को यहां कहने के लिय मैं बैठता हूं, उन की चौकीदारी करने के लिये बैठता हूं।। हम सभी को इस तरह से बैठना चाहिये।

मैं पूछना चाहता हूं कि कितने बच्चों के पास फीस के पैसे नहीं होते हैं, कितनों के पास पुस्तकें खरीदने के लिये पैसे नहीं होते हैं, कितने हैं जिन के पास पहनने के लिये कपड़े नहीं हैं। इंटरव्यू जो ली जाती है, उस का क्या तरीका है। एक लड़का फर्स्ट डिवीजन में पास होता है यूनिवर्सिटी में, हरिजन का लड़का फर्स्ट डिवीजन में आता है, अपनी क्लास में टाप करता है, लेकिन जब इंटरव्यू में जाता है तो वहां फेल कर दिया जाता है। यह क्या मजाक है। वह इसलिये फेल किया जाता है कि वह छोटी जाती

का है और छोटी जाति के लोग नहीं आ सकते हैं। इंटरव्यू क्या है, भूलभुलैयां है। जिस का दिल और दिमाग सही है, उस को इंटरव्यू की कोठरी में केवल इसलिये बिठाया जाता है कि उस के हकूक को खत्म किया जाए, उस को तरक्की न करने दी जाए, उस को आगे न आने दिया जाए। इस इंटरव्यू को खत्म कर दिया जाना चाहिये अगर इंटरव्यू जरूरी है परसनैलिटी टैस्ट जरूरी है तो सब से पहले वजीरों का टैस्ट लिया जाए। उन को तो बिना टैस्ट के, बिना इंटरव्यू के, बिना परसनैलिटी टैस्ट के ले लिया जाता है लेकिन तीन सौ माहवार जिस को देना होता है, जिस को मुलाजिम रखना होता है, उस को सब टैस्ट लिये जाते हैं। यह जो ढोंग है, इस को खत्म किया जाए। वेद में लिखा हुआ है :

यथमां वाचं कल्याणी मावदानी जनेभ्यः।
ब्रह्म राजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च स्वाय च अरणाय च ।।

हम शूद्रत्व को नहीं मानते। शूद्रत्व कोई कमपलशन नहीं है। किसी के ऊपर इस को लादा नहीं जा सकता है। जिस के दिल दिमाग नहीं है, जो तलवार नहीं चला सकता है, जो रणक्षेत्र में लड़ नहीं सकता है, वह चाहे जिस किसी का बेटा हो, नाकाबिल है।

शूद्रो ब्राह्मणतोमेति ब्राह्मणे याति शूद्रताम्।

एक बाल्मीकी के घर में अगर कोई जन्म लेता है, तो वह भी वजीरे आजम बने।

श्री काशी राम गुप्ता (अलवर) : माननीय सदस्य ने कहा कि ७० प्रतिशत हरिजन उन के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता हैं। तब उन में से किसी का चुनाव होना चाहिये था, इन का कैसे हो गया।

श्री यशपाल सिंह : मेरे खिलाफ हरिजन कांग्रेसी खड़ा हुआ था।

श्री रामानन्द शास्त्री (रामसंचीघाट) : मुझे जो आप ने शैड्यूल्टड कास्ट और शैडयूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया, इस के लिये मैं आप का बड़ा आभारी हूं। तीन दिन की बहस के बाद मैं इस नतीजे पर पहूंचा हूं कि दस ग्यारह साल से बराबर यह रिपोर्ट आती रही है और हम अपने सुझाव देते रहे हैं और हमारे कमिश्नर महोदय भी अपने सुझाव देते रहे हैं लेकिन इन सब सुझावों पर गवर्नमेंट पूरी तरह से अमल नहीं करती रही है। यदि वास्तव में ईमानदारी के साथ अमल किया गया होता तो दुबारा दस साल के लिये इन लोगों को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता हमें महसूस न होती। स्वर्गीय पंडित गोविन्द वल्लभ पन्त जी की मेहरबानी से हम लोगों को दस साल का और रिजर्वेशन मिल गया। जिस के लिए हम उन के हृदय से आभारी हैं।

बहुत से सुझाव दिये गये हैं। सरकार भी उन सुझावों से पूरी तरह से परिचित है। अभी कहा गया है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में किस प्रकार से पक्षपात से काम लिया जाता है। यह कह जाता कर कि वह योग्य नहीं है, उस की नियुक्ति नहीं होती। योग्य होने पर भी, हरिजन भाई को लिया नहीं है और पक्षपात किया जाता है। सरकार कानून द्वारा इन के हितों की रक्षा करने की कोशिश भी करती है लेकिन जब मंत्री महोदय के सामने इस तरह के पक्षपात के केसिस लाये जाते हैं तो उन की तरफ से कह दिया जाता है कि कमिशन के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं अगर कोई यह कहे कि हर हालत में उन आदमियों को लेना है, तो किस तरह से इन लोगों को लिया जा सकता है मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं जिन को मैं आप के सामने भी रख सकता हूं। हरिजनों के पढ़ाए हुए लोग तो गजटिड आफिसर हो जाते हैं लेकिन वे खुद बेचारे कमीशन के आग जाकर फेल हो जाते हैं। इस का क्या कारण है, इस की आप जांच करें। यह पक्षपात नहीं तो और क्या है ?

समय कम होने के कारण मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो यहां कही गई हैं। कुछ ही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अस्पृश्यता का यहां जिक्र किया गया है। गांवों के अन्दर अस्पृश्यता अभी भी है और काफी है। अपनी कांस्टीट्युएंसी की ही बात मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। वहां पर एक मामूली सा आदमी, जिस के कपड़े भी मैले होते हैं और बहुत ही दरिद्र होता है, अगर मैं जाऊं तो मुझे दोने में पानी देता है। ऐसी अवस्था में आप कैसे कह सकते हैं कि अस्पृश्यता चली गई है। इस प्रकार की बातें गुजरात में होती हैं, वहां के बहुत से किस्से मशहूर हैं। वहां पर तालाब से पानी इन लोगों को भरने नहीं दिया जाता है, कपड़ धोने नहीं दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के उदाहरण भी मैं आप को दे सकता हूं। लेकिन ऐसा कर के मैं आप का समय लेना नहीं चाहता हूं।

गांवों में हरिजनों की आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, यह सही है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में उनको दो आने पैसे ही दिये जाते हैं। आप बलिया में चले जाइये, गाजीपुर में चले जाइये, बाराबंकी में चले जाइये, पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी जिले में चले जाइये, आप को इस का पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पर हमारे यादव जी की कंस्टिट्युएंसी में एक गांव है दरहरा नाम से है। पहले वह मेरी कंस्टिट्युएंसी भी रही है, १९५७ में। वहां पर मैं एक बार जलसे के दौरान में गया था। वहां पर एक हरिजन भाई को लाल टोपी वाले कुर्मी ने डेढ़ सौ रुपये कर्ज के तौर पर दिये थे। वे ग्यारह भाई थे और बड़े भाई की शादी हुई थी और उस शादी के सिलसिले में यह कर्ज लिया गया था। यादव जी गुस्सा न मानें इस बात पर धो मैं बता रहा हूं। उस आदमी को उसके पास काम करना पड़ता था जिस का उसे पांच रुपया महीना दिया जाता था तनख्वाह के तौर पर। अगर वह किसी दिन नहीं जाता था तो उस को एक रुपया जुर्माना के तौर पर देना पड़ता था। अगर वह महीने में पांच दस बार नहीं जाता था तो तनख्वाह तो उस की गायब हो ही जाती थी, साथ ही साथ उलट उसके ऊपर पांच रुपये और चढ़ जाते थे। जब मैं गया तो उसके ऊपर साढ़े चार सौ का कर्ज हो चुका था .....

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उनको हमने कांग्रसी बना दिया है।

श्री रामानन्द शास्त्री: इस में बुरा मानने की कोई बात नहीं है। मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि साढ़े चार सौ रुपया उस पर कर्ज का हो गया ग्यारह साल में। यह तब जब वह सारा समय उस के पास काम करता रहा। जब वह मेरे पास आया तो मैंने कहा कि ऐसे गलत आदमियों को पुलिस के हवाले करना चाहिये और उस आदमी को काम पर नहीं जाना चाहिये। इस तरह का जो शोषण होता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप देखें कि इस आदमी की एक दिन की कितनी मजदूरी पड़ी और उस के घर वालों ने क्या खाया। इस तरह का शोषण अभी भी गांवों के अन्दर होता है।

मैं कमिशन की बात कर रहा था। अब मैं आपको यूनिवर्स्टी ग्रांटस कमिशन के सम्बंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र की ही बात है। बैक्वर्ड क्लासिस का एक लड़का गया। वह डबल एम० ए० था। एम० ए० में फर्स्ट आया था। यूनिवर्स्टी में फर्स्ट आया था। सिफारिश के ऊपर यूनिवर्स्टी ग्रांटस कमिशन के चेयरमैन ने एक लड़की को बजीफा दे दिया और उस बचारे हरिजन को जिस ने साठ परसेंट से ज्यादा नम्बर हासिल किये थे, उस को नहीं दिया गया। इस का कारण क्या था ? इस का कारण यह था कि वह बैक्वर्ड क्लासिस का था, हमारे यादव जी की जात का था। इस प्रकार के हजारों उदाहरण हैं। लेकिन उनको दे कर मैं समय लेना नहीं चाहता हूं।

गांवों में जमीन की बात की जाती है। लोग कहते हैं कि काश्तकारी के लिए जमीन हमें दी जाय। मैं कहता हूं कि काश्तकारी की जमीन आप हम चाहे न दें, रहने की जमीन तो हमें दें। एक ही घर में लड़का

[श्री रामानन्द शास्त्री]

और लड़के की स्त्री तथा उस के सास ससुर सब रहते हैं यह हालत है। गवर्नमट का चकबन्दी के बारे में यह कानून है कि रहने के लिए जमीन रखी जाए, लेकिन आज हालत यह है कि इनको रहने के लिए जमीन नहीं मिल रही है। आज इस प्रकार की स्थिति है।

मैं कहता हूं कि रिजरवेशन देने से ही लाभ नहीं होंगा, उस पर पूरी तरह से अमल होना चाहिए तभी उस से लाभ हो सकता है।

अब मैं छूतछात की बात कहना चाहता हूं। इस की जड़ हमारे कुछ धर्म ग्रन्थों में है। जब यहां एक बिल आया था तो मैंने कहा था कि शास्त्रों में से वे अंश निकाल दिये जाने चाहिए जो कि छूतछात का समर्थन करते हैं। जगदगुरु शंकराचार्य जैसे महापुरुष ने वेदान्त सूत्र में अवशूद्रा अधिकरण प्रकरण की व्यवस्था करते हुए कहा है कि अगर कोई शूद्र वेद को पढ़ ले तो उस की जवान काट ली जाए और अगर वह वेद सुन ले तो उस के कान में पिघला कर शीशा डाल दिया जाए। मैंने कहा था कि धर्म ग्रन्थों में से इस प्रकार की चीजों को निकाल दिया जाए। उन में ही इस छूतछात की जड़ है। शूद्रों को गांव के एक ऐसे कोने में बसाया जाता है कि उनकी हवा दूसरों को न लग जाए। जब तक धर्म ग्रन्थों में से इस प्रकार की चीजों को निकालने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे तब तक यह समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। इस के लिए तो जब तक कोई कानून नहीं लाया जाएगा यह समस्या हल नहीं होगी।

जहां तक रिजरवेशन का सवाल है, मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक कमिशन बनायी जाए जो कि सारे हिन्दुस्तान में जा कर देखे कि किन किन विभागों में अफसरों ने रिजरवेशन को पूरा नहीं किया है, ऐसे अफसरों को बरखास्त किया जाए, उनकी तरक्की रोकी जाए, उनको पूरा दण्ड दिया जाए। ऐसा किया जाएगा तभी यह रिजरवेशन पूरा होगा।

एम्पलायमैंट एक्सचेंज में यह हाल है कि हरिजनों के नाम ही आग नहीं भेजते। मैं शाहजहांपुर क्लोदिंग फैक्टदी में गया तो मुझे बताया गया कि उस में हरिजन और शिड्युल्ड ट्राइब्स के लोगो की बहुत जरूरत है, लेकिन हम को बताया गया कि उनने नाम ही एम्पलायमेंट एक्सचेंज वाले नहीं भेजते। एम्पलायमेट एक्सचेंज वाले उनके नाम भेजते हैं जो उनको रिश्वत देते हैं। ऐसी स्थिति में सरकारी नौकरियों के लिए एम्पलायमेंट एक्सचेंज के प्रतिबंध को हटा दिया जाए। मैंने कहा कि दूसरे जिले के एम्पलायमेंट एक्सचेंज से आप नाम क्यों नहीं मंगाते तो उस में उन्होंने कहा कि वे नहीं भेज सकते। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सब जगह करप्शन है। अफसरों के अन्दर भी करप्शन है। वे भी कहते हैं कि एक जिले में नहीं मिले और दूसरे जिले से बुलाएंगे, लेकिन दूसरे लोगों को रख लेते हैं और हरिजनों और आदिवासियों के साथ अन्याय होता है। जैसा कि मैंने ऊपर कहा फैक्टरी वाले कहते हैं कि हम को हरिजनों और आदिवासियों की जरूरत है, आदमी लाओ, लेकिन उन के नाम नहीं भेजे जाते और हजारों की संख्या में लोग बेकार फिरते रहते हैं।

ऊंची तालीम का जहां तक सवाल है उस में भी इन को नहीं लिया जाता है। कोई न कोई प्रतिबंध लगा दिया जाता है। पिछली रिपोर्ट पर बोलते हुए मैंने उपमंत्राणी जी से इस बारे में कहा था, तो उन्होंने कहा कि इस में मैं क्या कर सकती हूं। यह हालत है। मैं तो कहता हूं कि गवर्नमेंट को इस दिशा में ठोस कदम उठाने चाहिए। इस कुर्सी पर बैठने के बाद भी कोई यह कहे तो इस का मतलब क्या है? मैं आप से कहना चाहता हूं कि एक समिति बनायी जाए, जो हिन्दुस्तान के अन्दर इस बात का सर्वे करे कि कहां कहां पर और किस किस विभाग में रिजरवेशन पूरा नहीं हुआ है। और

आदेश जारी किया जाए कि जिस विभाग में हरिजनों और आदिवासियों की भरती पूरी नहीं हुई है उस में तब तक कोई दूसरे आदमी न लिए जाएं जब तक उन का कोटा पूरा नहीं हो जाता। और अगर कोई अफसर किसी और को लेता है तो उस को दण्ड दिया जाए। अगर ऐसा नहीं कर सकतीं तो मंत्रिणी महोदया को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस विभाग को भी तोड़ देना चाहिए।

श्रीमती जयावेन ने भंगियों के बारे में कहा। उनके सम्बंध में विशेष गौर करने की आवश्यकता है। आज म्युनिसिपैलिटियां में यह कानून है कि कोई भंगी हड़ताल नहीं कर सकता है क्योंकि इससे शहर में गन्दगी फैल जाएगी। वे वरदी मांगते हैं, तनख्वाह बढ़ाने के लिए कहते हैं और कोई दूसरी सहूलियत मांगते हैं तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। जब दूसरे लोग सो रहे होते हैं तब ये लोग झाड़ू ले कर सड़कों को साफ करते हैं। इन की तपस्या पर देश कायम है। लेकिन इनके लिए कानून है कि बिना एक महीने के नोटिस के हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन जब इन की मांगों का सवाल आता है तो उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह सब को मालूम है।

अब लेक्चर देने का जमाना नहीं रहा। मैं कहता हूं कि अभी भी समय है। दस साल का रिजरवेशन बढ़ाया है। उस में आठ साल बाकी हैं। पश्चाताप के रूप में गवर्नमेंट अपनी गलती माने और आगे के लिए ऐसा प्रबंध करे कि हरिजनों और आदिवासियों को उन का पूरा स्थान मिल जाए। इस के लिए एक समिति बना कर उस को सारे हिन्दुस्तान में भेजें और उस की सिफारिश पर ठोस कदम उठाया जाए। यह काम तो पहले ही हो जाना चाहिए था। यह समिति देखे कि कहां कहां रिजरवेशन पूरा नहीं मिल पाया है, और जहां उस की कमी देखे उस को पूरा करे।

छात्रवृति के बारे में मैं आप को उत्तर प्रदेश का उदाहरण देना चाहता हूं क्योंकि मैं वहां से आता हूं। उनको छात्रवृति दिसम्बर जनवरी में मिलती है। एक गरीब लड़का दूसरे लड़कों के साथ कालेज में पढ़ता है, वह कहां से रुपया लावे। उनको कोई कर्जा भी नहीं देता। उनको सात सात आठ आठ महीने बाद छात्रवृति मिलती है इस से उनकी पढ़ाई में बड़ी बाधा पड़ती है, वे अपना काम कैसे चलाएं। जो उन को मिलता है वह हर महीने मिले और जल्दी मिले ताकि उन का कल्याण हो सके। खुदा देता है लेकिन परेशान करके देता है, जब मरने लगता है तब देता है। इस ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि भंगी भाइयों के सम्बंध में इस प्रकार के प्रतिबंध हटा देने चाहिएं कि वे बिना नोटिस के हड़ताल नहीं कर सकते। इस कानून को हटा देना चाहिए और उन को सहूलियतें देनी चाहिए। साथ ही मैं विशेष रूप से इस बात पर जोर देता हूं कि एक समिति बनायी जाए जो सारे हिन्दुस्तान में दौरा करे और देखे कि हरिजनों और आदिवासियों को कहां कहां पूरा रिजरवेशन नहीं मिला है और सिफारिश करे कि उस दिशा में क्या कदम उठाया जाए, और उस की रिपोर्ट पर अमल किया जाए।

इन शब्दों के साथ मैं धन्यबाद देता हूं कि आपने मुझे समय दिया।

†**श्री दे० जी० नायक** (पंचमहल): गृह कार्य उपमंत्री ने बताया कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १९६०–६१ के प्रतिवेदन की कुछ सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। मेरा अनुरोध है कि जिन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है उन्हें और जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया है उन के स्वीकार न किये जाने के कारणों को भी सभा पटल पर रखा जाए।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री दे० जी० नायक]

यद्यपि संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है फिर भी हम देखते हैं कि देश के विभिन्न भागों में हरिजनों को कुओं से पानी नहीं लेने दिया जाता, घुटनों से नीचे धोती नहीं पहनने दी जाती, दूल्हों को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती और उन को घोडी पर नहीं-चढ़ने दिया जाता। हम इन त्रुटियों के लिये सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते क्योंकि यह सुधार समाज सुधारकों द्वारा किया जाना चाहिए। मैं समाज सेवकों और नेताओं से अपील करूंगा कि वह अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिये प्रयत्न करें। मेरा सुझाव है कि प्रत्येक समाज सेवक और नेता एक एक हरिजन लड़की को दत्तक-ग्रहण करें।

अस्पृश्यता सम्बंधी अपराधों के मामले बहुत देर तक न्यायालयों में लम्बित रहते हैं जिस के परिणामस्वरूप जिन लोगों के साथ सामाजिक अन्याय होता है उन्हें न्याय नहीं मिलता।

जमादारों की बहू बेटियां अब भी अपने सरों पर मल उठा कर चलती हैं। यह प्रथा अत्यधिक घृणास्पद है और इसे अविलम्ब समाप्त किया जाना चाहिए। जिन नगरपालिकाओं और पंचायतों को ऐसे सुधार लाने के लिए राशियां दी जाती हैं, यदि वह अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती तो या तो उन्हें वह अनुदान नहीं दिये जाने चाहिए, या उन्हें इस के लिये दण्डित किया जाना चाहिए।

बचनबद्ध मजूरी की प्रथा भी अभी विभिन्न राज्यों में कायम है जिस का उन्मूलन करने के लिये सरकार द्वारा अविलम्ब कदम उठाये जाने चाहिए।

यद्यपि अनुसूचित तथा आदिम जाति के लोगों की शिक्षा के विस्तार के लिये सरकार ने काफी कुछ किया है परन्तु उन की लड़कियों की शिक्षा के लिये अभी उचित और पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। हरिजन तथा आदिम जाति की लड़कियों के लिये नगरों और गांवों में आश्रम स्थापित किये जाने चाहिएं।

प्रतिवेदन के अनुसार प्रथम ९ मासों में २.५० करोड़ रुपये व्यय किये गये जब कि ३ मासों में ३.४८ करोड़ रुपये व्यय हुये। इस व्यय में स्पष्टतया कुछ अनियमितता दिखाई देती है।

समाज के दुर्बल और पिछड़े वर्गों के लिये चार प्रकार की स्वतंत्रताओं की आवश्यकता है। भूख, शोषण, सामाजिक अन्याय तथा अज्ञानता से स्वतंत्रता। अतः यह उन को मिलनी चाहिए।

श्री भोला राउत (वेतिया): सभानेत्री महोदया, आपने मुझे इस मौके पर विचार प्रकट करने का जो मौका दिया है उस के लिये मैं आपका हृदय से आभारी हूं।

इस तरह की रिपोर्ट पर पिछले कई वर्षों से इस सदन में विचार विमर्ष होता रहा है और वे सुझाव सिफारिशों के रूप में इस रिपोर्ट में आयें हैं। उसको देखने के बाद और जो खयालात पैदा किये गये और जो आजकल हकीकत है उसको देख कर मैं कहे बिना नहीं रहूंगा कि हम हरिजनों की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है और उनकी मौलिक समस्याओं में कोई अन्तर नहीं है।

मैं आपके सामने कुछ इस तरह का उदाहरण पेश करना चाहता हूं, जिस को सुन कर सारे सदन के दिल में कुछ तकलीफ होगी। हमारे स्वर्गीय राजेन्द्र बाबू का, जब कि वह राष्ट्रपति थे, एक बार बिहार में चम्पारन में दौरा हुआ। जब वहां दौरा कर रहे थे, तो एक खेतिहर मजदूर, जो कि भूमि-हीन मजदूर था, उन के पास दरख्वास्त ले कर गया कि मैं खेतिहर मजदूर हूं, मेरे पास जमीन नहीं है, मझ को जमीन दी जाय। राजेन्द्र बाबू के सामने कलेक्टर साहब भी मौजूद थे। राजेन्द्र बाबू ने कहा

कि अगर कुछ हो सके, तो इस को दे दिया जाय। उन्होंने कुछ सिफारिश लिखी। कलेक्टर साहब ने कहा कि तुम मेरे बंगले पर आना, हम जमीन देंगे। राष्ट्रपति के सामने उन्होंने इकरार किया कि पांच बीघे जमीन उस को दे दी जायेगी। इस पर वह खेतिहर मजदूर खुश हो कर चला गया। कुछ दिनों के बाद वह बेचारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास गया। उस को कहा गया कि ठीक है, उस दरख्वास्त को वी०डी०ओ० और लैंड रिफार्म्ज के डिपुटी कलेक्टर के पास ले जाओ। उस ने ऐसा ही किया और जांच पड़ताल शुरू हुई। उस के बाद वह साल भर दौड़ता रहा, लेकिन उस की कोई सुनवाई नहीं हुई। चूंकि वह मेरी कांस्टीट्यूएन्सी की बात थी, इस लिए वह मेरे पास आया। मैंने उस को कहा कि तुम्हारी जमीन कहां है, उस को दिखाओ, तो मैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से बात करूंगा। उस ने मुझ को जमीन दिखा दी। उस के बाद मैं स्वयं डिपुटी कलेक्टर, वी०डी० ओ० और दूसरे अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने हम को कहा कि अच्छा, पंद्रह दिन के बाद फलां टाइम पर आना, जब कि हम चल कर जमीन देखेंगे और बन्दोबस्त करने की कोशिश करेंगे। उस दिन के कब्ल जब मैं गया था, तो वह जमीन ज्यों की त्यों पड़ी थी। लेकिन जब अधिकारियों और बी०डी०ओ० को मालूम हुआ कि यह जमीन हरिजन के साथ बन्दोबस्त होने जा रही है, तो तुरन्त यह इन्टर्नल पालिसी चली कि वह जमीन एन्क्रोचमेंट में आ गई। तब सरकारी अधिकारियों के सामने दिक्कत आ गई कि एन्क्रोचमेंट वाली जमीन पर कैसे बन्दोबस्त करें। जब राजेन्द्र बाबू की सलाह को भी इस तरह की अवहेलना की दृष्टि से देखा गया, जो कि देश में सब से ऊंचे हुए स्थान पर बैठे हुए थे, तो फिर हरिजन भूमिहीन खेतिहर मजदूर किस से उम्मीद रखें ?

आज भी कुछ माननीय सदस्य सन्तोष प्रकट करते हैं कि हम प्रगति के रास्ते पर हैं और हम हरिजनों का बहुत उत्थान देख रहे हैं। मैं आप को बताना चाहता हूं कि हकीकत में बिहार में हरिजनों की क्या हालत है। चूंकि समय कम है, इसलिये मैं उस की तरफ थोड़ा इशारा ही करना चाहता हूं।

वहां पर जब क्लास फोर या किसी और एप्वाइंटमेंट का सवाल उठता है, तो एम०एल०एज और एम० पीज० को सर्कुलर भेजा जाता है कि अमुक रिजर्व्ड सीट खाली है, किसी हरिजन को भेजा जाय। मैंने भी एक नान-मैट्रिक हरिजन को चपरासी की जगह के लिये भेजा। अधिकारियों ने देखा कि यह सब तरह से कम्पीट कर सकता है। उस को लिखवाया गया, तो उस में वह फर्स्ट आया। उस के बाद वह दौड़ाया गया, तो वह रेस में भी फर्स्ट आया। उस के बाद वह साइकलिंग में भी फर्स्ट आया, पर्सनलिटी में भी फर्स्ट आया, हर तरह से सब से अच्छा साबित हुआ। लेकिन फिर भी उस को नहीं रखा गया। कहा गया कि पैनल में तुम्हारा नाम रखा जाता है, जब जगह होगी, तो तुम को दी जायेगी।

इस लिये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी मौलिक समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है; उस में किसी तरह की तब्दीली नहीं हुई है। कानूनन हक जरूर मिल गया है। कागज पर हक जरूर मिल गया है। सर्कुलर जारी हो गए हैं, लेकिन अधिकारियों और राज्य सरकारों के दिलों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

मैं आप के सामने एक और उदाहरण पेश करना चाहता हूं। गृह मंत्रालय की ओर से भंगियों की हाउसिंग स्कीम का सवाल चल रहा है। उस के लिये मैं आभारी हूं कि वह हरिजनों के रहन-सहन की हालत में सुधार लाने में बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं। लेकिन थर्ड फाइव यीअर प्लान में करीब ५ करोड़ करोड़ रुपया भंगियों की हाउसिंग स्कीम के लिये दिया गया, जिस में बिहार के लिये २२,२५,००० रुपया है। १९६१–६२ में २,७५,००० रुपया दिया गया है, लेकिन आप को जान कर ताज्जुब होगा कि उस में से सिर्फ ४५,००० रुपया खर्च किया गया और वह भी दूसरे काम में और बाकी रुपया वापस

[श्री भोला राउत]

कर दिया गया, जब कि बिहार सरकार की १५६ भंगी परिवारों के लिये घर बनान की अपनी एक स्कीम थी। स्टेट गवर्नमेंट के वैलफयर मिनिस्टर ने पब्लिक मीटिंग में कहा था कि १९६१–६२ के अन्त तक हम उन घरों को बनवा देंगे। वह रुपया वापस आ गया, लेकिन वे घर नहीं बन पाये। मैंने इस बारे में गृह मंत्रालय और स्टेट गवर्नमेंट को लिखा है। उन का जवाब आ गया है कि "रिसीविंग एटेंशन"। गृह- मंत्रालय, चीफ मिनिस्टर, चीफ सैक्रटरी, वैलफयर मिनिस्टर की तरफ से भी यही जवाब आया है। हम को पता चला है कि १९६२–६३ के बजट में रुपया दिया गया है और वह भी वापस आ गया है। १९६३–६४ में भी रुपया जा रहा है। उस का क्या होता है, यह मुझे देखना है।

भंगियों के हैडलोड को खत्म करने के लिये गृह मंत्रालय ने जो कदम उठाया है, उस के लिये मैं आभारी हूं कि अनटचेबिलिटी का जो टोकरा भंगियों के सिर पर है, उस को खत्म करने के लिये प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस काम के लिये जो रुपया दिया गया है, उस को राज्य सरकारें कैसे खर्च करती हैं, यह देखने से पता लगेगा कि वे इस बारे में कितनी उदासीन हैं। १९६१–६२ में भारत सरकार की ओर से २४,७९,००० रुपये हाथगाड़ियां बांटन के लिये राज्य सरकारों को दिये गये, जिस में से सिर्फ १६,१२,००० रुपया खर्च हुआ और बाकी वापस आ गया। जब कि भातर सरकार हरिजनों के उत्थान के लिये इतनी जागरूक है, वहां राज्य सरकारें बहुत उदासीन हैं। मलकानी कमेटी की रिपोर्ट को ताक में रख दिया गया है, कूड़े की टौकरी में डाल दिया गया है। कोई सुनवाई नहीं है। जब हम उस एन्क्वायरी कमेटी के मेम्बर की हैसियत से जाते हैं, तो देखते हैं कि कई राज्य सरकारों ने उस को सर्कुलेट नहीं किया है, पढ़ा नहीं है और अगर म्यूनिसिपैलिटी ने पढ़ा है, तो उस पर ध्यान नहीं दिया है, उस को अमल में नहीं लाया गया है।

गृह मंत्रालय की ओर से हैंडलोड को खत्म करने के लिये जो प्रयास किया जा रहा है, उस में एक दिक्कत है कस्टमरी राइट। जब तक कस्टमरी राइट रहेगा, तब तक भंगियों के सिर पर हैडलोड खत्म नहीं होगा। जब तक सरकार सबसिडी देगी, तब तक प्राइवट स्कैवेंजर्ज और स्वीपर्स को म्युनिसिपैलिटी हाथ गाड़ियां देती रहेंगी, लेकिन ज्यों ही सबसिडी खत्म होगी, त्योंही प्राइवेट स्कैवेंजर्ज़ और स्वीपर्ज को हाथ गाड़ियां मिलनी बन्द हो जायेंगी और हैडलोड फिर शुरू हो जायगा।

इस लिये कस्टमरी राइट को खत्म करने के लिये यह जरूरी है कि इस को शीघ्रातिशीघ्र कानूनी जामा पहनाया जाये। आपको जान कर ताज्जुब होगा कि राजस्थान, पंजाब, यू० पी० और दिल्ली इन चार राज्यों में कस्टमरी राइट्स विद्यमान हैं।

श्री बाल्मीकि : मध्य प्रदेश में भी है।

श्री भोला राउत : पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने कस्टमरी राइट को लीगल करार दे दिया है, इसको कानूनी हक दे दिया है जिस से वहां की राज्य सरकार चाहे जब इसको खतम कर सकती है। हैडलोड को खत्म करने के लिये यह जरूरी है कि कस्टमरी राइट को खत्म किया जाय और इसको खत्म करने के लिये कोई कानूनी व्यवस्था की जाये।

श्री उइके (मंडला): सभानेत्री महोदया, हम आज हरिजनों और आदिवासियों के आयुक्त महोदय की १०वीं और ११वीं रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। ११वीं रिपोर्ट में २१९ सुझाव और सिफारिशें हैं। बहुत सी सिफारिशें तो जो पहले की रिपोर्टें थीं, १ से ११ तक जो रिपोर्टें हैं, उन सब में एक सी हैं और वे बराबर चली आ रही हैं। प्रतिवर्ष हम इस रिपोर्ट पर अपने विचार प्रकट करते हैं, रोष प्रकट करते हैं लेकिन होता बहुत कम है। बिल्कुल कुछ नहीं होता है, ऐसी बात तो मैं नहीं कहता

हूं लेकिन बहुत कम होता है, यह मैं अवश्य कहूंगा। यह कार्य है भी बहुत कठिन। खास तौर पर मैं आदिवासियों के बारे में बोल रहा हूं। उनके कल्याण और उत्थान का कार्य बहुत कठिन है। दस या पन्द्रह साल में यह होने वाला नहीं है। इस काम को करने के लिये कर्मठ कार्यकर्ता चाहियें और वे अगर मिल जाय तब पचास साल में जा कर यह कार्य हो सकता है।

आदिवासियों की आखिर समस्या क्या है? आदिवासियों के जीवन के जो मुख्य अंग थे, जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में उनका नाश हुआ है, उसके कारण एक बड़ी समस्या हमारे सामने आ कर खड़ी हो गई है। जो कुछ आप कहते हैं कल्याण कार्य, पंचवर्षीय योजना के अनुसार वह अगर सही ढंग से भी हो तो उनको कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन काम सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसीलिये यह २१९ सुझाव और सिफारिशें लगातार पहली रिपोर्ट से ग्यारहवीं रिपोर्ट तक चले आ रहे हैं।

इस का एक कारण यह भी है कि राज्य सरकारें ही इन के प्रति उदासीनता नहीं बरतती हैं, बल्कि हमारे यहां की केन्द्रीय सरकार भी इनके प्रति उदासीन है। केन्द्र का गृह मंत्रालय खास तौर पर आजकल ज्यादा उदासीन हो गया है। पहले मैं देखा करता था कि जब इस रिपोर्ट पर बहस होती थी तो उस समय गृह मंत्री, राज्य मंत्री, तथा गृह मंत्रालय के उपमंत्री तक यहां बैठे रहते थे और गृह मंत्री जी बहस का उत्तर दिया करते थे। जब यह रिपोर्ट राज्यों में जाती है और विधान सभाओं में इस पर चर्चा होती है तो गृह मंत्री जी की तरफ से जब अपने विचार प्रकट किये जाते थे, तो उसका असर राज्यों के मुख्य मंत्रियों के ऊपर भी कुछ होता था। अगर यहां पर उपमंत्राणी महोदया इस बहस का उत्तर देंगी और यह रिपोर्ट राज्यों की विधान सभाओं के सामने जायेगी तो इसका मुख्य मंत्रियों के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि इस विषय का महत्व नीचे गिरता जा रहा है, इस विषय को खाली उपमंत्री महोदया तक रख छोड़ा है, राज्य मंत्री और गृह मंत्री जी का यह विषय नहीं रहा है। जब ऐसी स्थिति है तो भारत सरकार का यह विषय कहां से रहने वाला है, इस पर आप विचार करें।

एक खास बात मैं बतलाना चाहता हूं। जो पैसा आदिवासियों पर खर्च किया जाता है, उसके सम्बन्ध में कोई यह न सोचे कि उन पर ऐसा करके मेहरबानी की जा रही है। यह सरकार की या भारत देश की आम जनता की कोई मेहरबानी नहीं है कि इतना अधिक पैसा उन पर खर्च किया जाता है, उन को दिया जाता है। लेकिन आप देखें कि आदिवासियों के जो अधिकार थे, जंगलों पर, वे अब कहां रह गये हैं। १९५० के बाद से जो नीति आप की जंगलों के बारे में चली है, उस नीति के कारण सारे के सारे जितने अधिकार आदिवासियों के जंगलों पर थे, वे खत्म हो गये हैं। राजाओं महाराजाओं को आप ने खत्म किया, उन की रियासतों को खत्म किया, तो आप ने उन को प्रिवी पर्स दिये, जमींदारों से आप ने उनकी जमींदारियां लीं तो उसका कम्पेंसेशन आप ने उन को दिया, मालगुजारियों को आप ने खत्म किया तो उसका कम्पेंसेशन दिया, लैंड रिफार्म्स की, जमीन ली तो उस का कम्पेंसेशन दिया। लेकिन आदिवासियों के जो अधिकार जंगलों पर थे, वे आपने ले लिये, तो उन के लिए आप ने क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया। एक जिले की मैं आप को बात बताता हूं। मेरे जिले में मुश्किल से दस बारह लाख रुपये की जंगलों से आमदनी होती थी जोकि आज बढ़ कर साढ़े छः करोड़ हो गई है। किस की मेहनत की बदौलत यह हुआ है? आदिवासियों की मेहनत ही की बदौलत यह हो सका है। आदिवासियों के आप ने फ़ारेस्ट विल्लेज बसाये हुए हैं। वे अगर यह काम न करें तो साढ़े छः करोड़ की एक जिले से आप को आमदनी न हो। अगर सारे प्रदेश को देखा जाये तो २८ करोड़ की पूरी आमदनी होती है। अगर ये काम न करें तो कहां से आप को यह आमदनी हो सकेगी। आप की यह मेहरबानी नहीं कि आप

[श्री उइके]

इन पर कुछ खर्च कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बेशक आप थोड़ा पैसा देते हैं, लेकिन उसका भी सही उपयोग नहीं होता है। उस पैसे का सही सही उपयोग होना चाहिये।

जहां तक सर्विसिस का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि आदिवासी विद्यार्थी योग्य नहीं होते हैं। क्यों अयोग्य होते हैं, क्या इस को भी आप ने देखा है ? क्यों ये हरिजन और आदिवासी ऐसे होते हैं, क्या इस के कारण भी जानने की आप ने कोशिश की है ? कहने को तो आप कह देते हैं कि एक करोड़ के बजाय दो करोड़ के स्कालरशिप दिये हैं, लेकिन कभी क्या आप ने यह जानने का प्रयत्न किया है कि समय पर उन को पैसा मिलता है ? समय पर उन को नहीं मिलता है। आठ आठ महीने के बाद मिलता है। आठ आठ महीने अगर उन को किताबों के बगैर रहना पड़ता है तो कहां से स्टैंडर्ड उन का ऊंचा हो सकता है, कहां से वे अच्छी डिविजन में पास हो सकते हैं, किस चीज से पढ़ाई वे करेंगे ? आप को हिसाब रखना चाहिये कि कितने विद्यार्थी कालेजों में एडमिट हुए, कितनों को समय पर स्कालरशिप नहीं मिला और समय पर स्कालरशिप न मिलने की वजह से कितने विद्यार्थी अपनी पढ़ाई छोड़ कर चले गये और कितने विद्यार्थी फेल हुए और कितने विद्यार्थी कौन सी डिविजन में पास हुए। अगर समय पर स्कालरशिप मिलता है, समय पर किताबें मिलती हैं, तो कोई वजह नहीं है कि वे फर्स्ट डिविजन में पास न हों। आप के प्रति फिर उन को कोई शिकायत नहीं रहेगी। फिर कोई यह नहीं कह सकेगा कि अयोग्य थे इसलिए रिजर्वेशन पूरा नहीं हो सका।

हिन्दुस्तान इलैक्ट्रिकल्ज कारखाने में मैं गया था। वहां लगभग सौ आदिवासी काम कर रहे हैं जो कोरबा इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में ट्रेन्ड हुए हैं। मैनेजर से वहां मैं मिला था। उन्होंने साठ लड़के मेरे सामने ला कर खड़े कर दिये और उन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आदिवासी लड़के मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं, शान्ति से चलने वाले लोग होते हैं। सिर्फ दो बातें इन में ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहियें, एक तो ये बहुत लज्जीले होते हैं और दूसरे सफाई की तरफ ध्यान नहीं देते। अगर आदिवासियों को अवसर दिये जाते हैं, तो आप देखें कि उन की प्रशंसा भी किस तरह से की जाती है अधिकारियों के द्वारा उनके काम के सम्बध में।

अब मैं एक बड़े ही महत्व का विषय उठाना चाहता हूं। हमारे प्रकाशवीर शास्त्री जी ने धर्म परिवर्तन की आवाज उठाई है। मैंने भी अपने हर एक भाषण में जो मैंने इस सदन में दिया है, धर्म परिवर्तन की आवाज उठाई है। आदिवासी धर्म परिवर्तन से बचने के लिए मैदानों से जंगलों में गए हैं। आज यह जो कल्याणकारी कार्य हो रहा है, यह हमारे धर्म का नाश कर रहा है। इन्होंने जो कंसेशन दिए हुए हैं, वे कंसेशन क्या हैं और वे किस तरीके से हमारे शिक्षित लोगों के धर्म परिवर्तन में सहायक हो रहे हैं, इसको आप देखें। जो एपेंडिक्स है, इसके पेज ८३ पर लिखा हुआ है :—

> "अनुसूचित आदिम जातियों के लिये धर्म महत्व नहीं रखता और चाहे उस के धर्म में परिवर्तन भी हो जाय वह उसी समुदाय का एक सदस्य रहता है।"

आप लोगों ने स्कालरशिप दिया, एजुकेशन दी और उसके बाद वे मारे मारे फिरते हैं। फिर आप आठ आठ महीने तक स्कालरशिप ही नहीं देते हैं किताबें उनको नहीं मिलती हैं और तब ऐसे लोगों के पास गया कौन ? उनके पास मिशनरी गया क्योंकि वह ऐसे अवसरों को हमेशा ढूंढ़ा करता है। जो धर्म परिवर्तन से हम को बचाने की आवाज उठाते हैं उन से

मैं अपील करूंगा कि वे विषय के इस पहलू की तरफ भी ध्यान दें, इस पर भी अपना समय लगायें, क्रिश्चियन मिशनरीज़ की नुक्ताचीनी करने से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

हमारे एक भाई ने क्रिश्चिन मिशनरीज़ की तारीफ की है और उन्होंने कहा है कि मैं आदिवासियों की तरफ़ से तारीफ करता हूं। मैं नहीं जानता कि वह आदिवासी हैं या नहीं। मैं आदिवासी हूं, लाखों आदिवासियों के बीच में मैंने काम किया है। क्रिश्चिन मिशनरीज़ ने जिस तरीके से हमारे बच्चों को शिक्षित किया है और जिस तरीके से अच्छी अच्छी नौकरियों पर लगाया है, उसकी मैं तारीफ नहीं कर सकता, प्रशंसा नहीं कर सकता। मैं उनकी निन्दा ही करता हूं। यह इस कारण से कि उन्होंने हमारी अज्ञानता का फायदा उठा कर हमारा धर्म परिवर्तन किया है।

प्रधान मंत्री जी ने जिस दिन यहां खड़े हो कर नागालैंड की घोषणा की थी उस वक्त उन्होंने यह कहा था कि नागालैंड के जो आदिवासी हैं,उनका सीधे खड़ा रहना मैं पसन्द करता हूं। उसी दिन सुबह एक प्रश्न हुआ था। उस प्रश्न का जवाहरलाल नेहरू जी जो हमारे प्रधान मंत्री हैं, ने यह उत्तर दिया था कि नागालैंड के आदिवासियों में, नेफा के आदिवासियों में, दूसरे लोगों को जाने नहीं दिया जाता क्योंकि दूसरे लोग जा कर उन को लूटते हैं, उनकी ज़मीनें ले लेते हैं। इस वास्ते उन से उनकी रक्षा करना बहुत जरूरी है। उसी दिन हमारी पार्टी मीटिंग हुई थी जिस में पंचवर्षीय योजना पर उसके फाइनेंस के पार्ट पर बहस हुई थी। उस में मुझे पंडित जी ने आदिवासियों के विषय पर बोलने के लिए समय दिया था। उस वक्त मैंने कहा था कि पंडित जी आपने नागालैंड की घोषणा करते वक्त कहा था कि नागालैंड के आदिवासियों का सीधा खड़ा रहना आप को बहुत पसन्द है और हाथ जोड़ कर मैं ने उन से यह बात कही थी कि शायद नागालैंड के आदिवासी इसलिए सीधे खड़े रहते होंगे कि आप ने लुटेरों को वहां जाने से रोक दिया या इसलिए खड़े रहते होंगे कि आप ने धर्म परिवर्तन करने वालों को खुली छूट दे दी और उन्होंने वहां जा कर धर्म परिवर्तन किया, उन को शिक्षण दिया, उन को ग्रेजुएट बनाया, बड़े बड़े अफसर बनाया, उनको राजनीति का हिस्सा मानने की ताकत दे दी इसलिए शायद वे सीधे खड़े रहते हैं। लेकिन जो बीच के लोग हैं, असम, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के हिल्ली बैल्ट के लोग हैं और जिन की जनसंख्या तीन करोड़ के करीब है, उनकी कमर आप लोगों ने झुका दी है, हमें कोई ऐसा प्रोटैक्शन नहीं दिया। हमारे लिये जो योजना बनती है, उसको वाजिब तरीके से अमल में नहीं लाया जाता है, उस पर ठीक तरीके से काम नहीं होता है। लेकिन यह हमारी कमर नहीं झुकी, हो सकता है पंडित जी एक न एक दिन हम आप से हट जायें और इन मिशनरियों के हाथों में पड़ जायें। अगर नागालैंड के माफिक हम भी ईसाई बनें, शिक्षित बनें और अपने राजनीतिक हक मांगना शुरू करें तो उत्तर और दक्षिण भारत में जैसे हमारी कमर झुकी है, हम भी भारत की कमर को झुका दें। देश के उत्तर और दक्षिण में दो टुकड़े हो जायेंगे और बीच में आदिवासियों का कोई लैंड बन जायेगा। यही भविष्य हो सकता है। इसलिये यह बड़ी भारी बात है जो श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यहां उठाया धर्म परिवर्तन की। हमारी गवर्नमेंट धर्म परिवर्तन की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। मैं अपील करता हूं इस हाउस के हर एक सदस्य से और सरकार से कि धर्म परिवर्तन की तरफ वह ज्यादा ध्यान दे और अगर इस तरीके से सही काम किया गया तो धर्म परिवर्तन होने का कोई कारण नहीं है। भारत देश में अगर कोई अपनी जान पर खेलने को तैयार होगा तो यह वही ईमानदार और सच्चा पहाड़ों पर रहने वाला आदिवासी है जो कि आप का साथ देगा।

†डा० मा० श्री अणे (नागपुर) : वर्तमान सत्र में दो महत्वपूर्ण बातें हुई हैं : एक मंत्रि-परिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का लाया जाना; और दूसरे, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं पर चर्चा के लिये इतना अधिक समय दिया जाना ।

जितनी चर्चा इस विषय पर सभा में हुई है उस से स्पष्ट लक्षित होता है कि सरकार ने यद्यपि अस्पृश्यता निवारण के लिये कुछ कार्यवाहियां की हैं, मुख्यतया वह इस समस्या का समाधान करने में असफल रही है। पिछड़े वर्गों के लोग जो स्वयं कांग्रेसी हैं यही कहते हैं कि इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में प्रगति नहीं हुई है। यदि इसी मन्द गति से प्रगति हुई तो न जाने कब वह समय आयेगा जब भारतीय समुदाय के सभी भागों में समता स्थापित होगी । एक प्रकार से इस प्रस्ताव पर चर्चा श्री कृपालानी के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई चर्चा का एक भाग बन गयी है।

भारत सरकार की नीति एक ऐसे समाजवादी ढांचे के समाज को स्थापित करने की है जिस में न केवल आर्थिक वरन् सामाजिक विषमताओं के लिये कोई स्थान न हो। इसी उद्देश्य को सम्मुख रख कर हमें अस्पृश्यता का उन्मूलन कर के एक ऐसे समाज की स्थापना करनी है जिस में सभी समुदायों में समता हो ।

सरकार का उद्देश्य तो सही है परन्तु जिस ढंग से वह अपनी नीति का पालन कर रही है वह त्रुटि-पूर्ण है। यह बात आज तक के प्राप्त परिणामों से विदित होती है। जो रियायतें उन वर्गों के विकास के लिये दी जाती हैं वह कुछ ही व्यक्तियों को प्राप्त हो पाती हैं और शेष समुदाय वैसी ही स्थिति में रहता है। उदाहरणार्थ, यदि आप इन जातियों के लिये अधिक स्थान रक्षित करते हैं तो उस के परिणाम-स्वरूप केवल कुछ व्यक्तियों का उत्थान होता है न कि समूचे पिछड़े वर्ग का। आवश्यकता इस बात की है कि समूचे पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिये कोई पग उठाये जायें। इसके अतिरिक्त यह प्रवृत्ति आम देखी गयी है कि बहुत से अन्य समुदायों के लोग पिछड़ी जातियों को मिल रही शिक्षा संबंधी तथा अन्य प्रकार की रियायतों का लाभ उठाने के लिये धोख से ये रियायतें प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिये अन्य बातों के साथ साथ इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिये कि धोखे से इन रियायतों का लाभ अन्य लोग न उठा पायें।

सरकार कहती है कि अन्य समुदाय पिछड़े वर्गों का शोषण न करने पायें, इसलिये वह उन वर्गों को देश में अधिक से अधिक एकत्रित कर रही है। मेरा अनुरोध है कि देश की एकता की दृष्टि से ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। होना यह चाहिये कि इन वर्गों का देश के अन्य भागों से अधिक से अधिक सम्पर्क हो। सरकार की नीति यह है कि विदेशी लोग या भिन्न भिन्न धर्मों के लोग जो इन वर्गों के पास धर्म प्रचार के लिये जाते हैं उन्हें बेरोक टोक वहां जाने दिया जाय। इस धार्मिक शोषण के परिणामस्वरूप हमारे देश के उन वर्गों में परिवर्तन आता है और वह भारत के प्रति निष्ठा खो बैठते हैं। ऐसा नागा-लैंड और केरल में विशेषतया होता है। धर्म प्रचारकों की ऐसी गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं है। सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान दे कर इस का उचित ढंग से समाधान करना चाहिये और धर्म प्रचारकों की गतिविधियों पर आवश्यक तौर पर प्रतिबन्ध लगाये जाने चाहियें ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री राम सहाय पांडेय (गुना) : श्रीमन्, यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट तीन रोज से इस सदन के सामने उपस्थित है और उस पर चर्चा हो रही है।

मेरी राय से जब हम देश का आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से चतुर्मुखी विकास करना चाहते हैं तो हम को अपने समाज के उस अंग की ओर भी ध्यान देना होगा जिसे हम आदिवासी और हरिजन

---

†मूल अंग्रजी में

कहते हैं और जिन की संख्या इस देश में ९ करोड़ जितनी है। हमारी कुछ सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था और कुछ परम्परायें और कुछ ऐसी मान्यतायें हैं जो हम को इस दिशा में आगे बढ़ने से रोकती हैं ।

धर्म की बात कही जाती है। आज के युग में जब मनुष्य का बौद्धिक विकास हो चुका है, युग धर्म हमें क्या कहता है ? युग धर्म हमें कहता है कि हम मानवता की पूजा करें, मानवता की उन्नति और प्रगति के लिये जो कुछ सम्भव हो उस को करें। धर्म वही है जो मानव को नैसर्गिक मानवता की भावना भौतिक स्तर पर धारण करने की प्रेरणा देता है । जब यह धर्म है, तो हमें समाज के उस अंग की ओर भी ध्यान देना होगा जो जंगलों में रहता है, जो अस्पृश्य है, जिसे हम हरिजन कहते हैं, जो अकिंचन हैं, जो साधनहीन हैं, जो धन विहीन हैं और जो शिक्षा विहीन हैं, जिन की संख्या ९ करोड़ है।

श्रीमान्, आप की पंचवर्षीय योजनायें पूर्ण हों यह हमारी शुभकामना है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हमारे समाज का वह अंग जो कि जंगलों में रहता है आज भी अस्पृश्य है । यद्यपि इस देश में बड़े बड़े सभ्यता का नारा लगाने वाले और बड़े बड़े संस्कृति की बात करने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी अस्पृश्यता वैसी की वैसी ही है। यदि आप गांवों में जायें और जंगलों में जायें तो आप देखेंगे कि उन की आर्थिक और सामाजिक स्थिति अभी भी पहले जैसी दयनीय है ।

संविधान की धारा ३३८ के अन्तर्ग हमारे इस समाज की उन्नति का सम्बन्ध राष्ट्रपति जी से भी है और उन के नेतृत्व में इस दिशा में प्रगति हो रही है और इस काम के लिए एक कमिशन बिठाया गया जिस की दसवीं और ग्यारहवीं रिपोर्टें आपके सामने हैं। लेकिन दुःख है कि जितनी सिफारिशें इस कमीशन ने की हैं उन को कार्यान्वित करने की गति बड़ी मन्द है। इस काम को द्रुत गति से आगे बढ़ाया जाए, जिस प्रकार कि हम अपने डिमाक्रटिक आपरेटर द्वारा देश को आर्थिक दृष्टि से बढ़ाना चाहते हैं। मेरा सुझाव है कि इन हरिजनों और आदिवासियों को ऊपर उठाने के लिये भी एक पंचवर्षीय योजना बनाई जाए और इस योजना को पूरा करने वालों को उसे पूरा करने का अधिकार दिया जाए। जिस प्रकार हम देश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति के लिये पंचवर्षीय योजना बनाते हैं उसी प्रकार की योजना इन पिछड़े हुए लोगों के लिये बनायें, इन के उत्थान के लिये और इनकी प्रगति और विकास के लिये बनायें तभी इन की उन्नति हो सकती है। हम को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये और शिक्षा के माध्यम से हमें इन को ऊपर उठाना चाहिये ।

इतिहास के कुछ पन्ने उलट कर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि कुछ हजार वर्ष पूर्व हम सभी जंगलवासी थे। नदियों के किनारे किनारे हमारा समाज चला। उस समय हम जंगलों में रहते थे और कन्द मूल फल खाते थे। उसके बाद अग्नि का आविष्कार हुआ, समाज का विकास हुआ, लोग गांवों में रहने लगे । फिर अधिकारवाद आया, राजे आए, जाति पांत आयी, और पंडितों ने ऐसी व्याख्या दी कि जिस से बहुतों का शोषण हुआ और कुछ ने शोषण किया अपने लाभ के लिये।

मैं कहता हूं कि आज अगर सारे समाज की उन्नति के लिये और उसे सुसंस्कार देने के लिए, हमें धर्म की व्याख्या भी बदलनी पड़े तो बदलना चाहिये। धर्म की व्याख्या आज मानवता की व्याख्या है। कुछ लोग आज अपने को सभ्य और सुसंस्कृत कहते हैं, लेकिन गांधी जी के शब्दों में जिस देश में एक बड़ी भारी जनसंख्या अस्पृश्य हो, शोषित हो, पिछड़ी हो, अकिंचन हो, जिस का शेष समाज से किसी प्रकार का सम्बन्ध न हो, वह प्रजातन्त्र, वह स्वराज्य, वह सभ्यता, वह धर्म, वह संस्कृति किस प्रकार की संस्कृति है और किस प्रकार उस की व्याख्या की जानी चाहिये। इस कमी को दूर करने के लिए हमें देश में वैचारिक क्रान्ति उत्पन्न करनी चाहिये ।

[श्री राम सहाय पाण्डेय]

आज के इस युग में जब कि हम प्रजातन्त्र के सिद्धान्त को अपने सामने रखे हुए हैं, इस सदन में जो कि हमारे भाग्य का निर्माण करता है, हम अपने समाज के इस उपेक्षित अंग की ओर से आंख नहीं मोड़ सकते। हमें उनको अच्छे संस्कार देने होंगे, उनके अन्दर जो सदियों से दबे रहने के कारण हीनता की भावना पैदा हो गयी है उस को दूर करना होगा, उनको शेष समाज के साथ समान स्तर पर लाना होगा, उनमें भावनात्मक एकता पैदा करनी होगी। आर्थिक दृष्टि से अपने देश को आगे बढ़ाने में भी हम को इस तरफ ध्यान रखना चाहिये कि कहीं सारा धन एक तरफ ही न खिंच जाये, कहीं समाज का एक अंग ही उस पर मानापली प्राप्त न कर ले। आप का ध्यान इस ओर भी होना चाहिये और आप को उस वर्ग का ध्यान न भूलना चाहिये जिस को हम ने लास्ट मैन आफ सोसायटी कहा है।

शिक्षा की दृष्टि से मैं कहता हूं कि हम उन लोगों पर क्या खर्च करते हैं ? तृतीय पंचवर्षीय योजना में ९ करोड़ की जनसंख्या वाली समाज को हम ने ३४ करोड़ १४ लाख रुपया प्रावधान किया है। नौ करोड़ की उन की जनसंख्या है। अब इस नौ करोड़ की जनसंख्या में २ करोड़ विद्यार्थी हो सकते हैं। यह २ करोड़ रुपये की धन राशि जो उनके लिये दी गई है अगर हिसाब लगाया जाय तो १७ रुपये प्रत्येक विद्यार्थी पर ५ वर्ष में व्यय होगा अर्थात् साढ़े तीन रुपये प्रत्येक विद्यार्थी पर प्रति वर्ष व्यय होगा। इस तरह केवल ३० नये पैसे प्रत्येक विद्यार्थी की शिक्षा पर प्रति माह व्यय होंगे। अब प्रति विद्यार्थी पर प्रति महीने ३० नये पैसे व्यय कर के अगर हम उन की उन्नति करना चाहते हैं और उनको ऊपर लाना चाहते हैं तो श्रीमन्, यह कभी नहीं हो सकेगा। पबलिक स्कूल्स की क्या स्थिति है ? उन में एक विद्यार्थी पर १०० रुपये प्रति माह खर्च होते हैं। अब पब्लिक स्कूल्स जैसी व्यवस्था की अपेक्षा तो हम यहां नहीं करते हैं। देहरादून, ग्वालियर और अजमेर आदि पब्लिक स्कूलों जैसी व्यवस्था की तो हम अपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि यह सुपरफ्लुअस डिमांड होगी लेकिन इतना हम अवश्य चाहेंगे कि इस ३० नये पैसे प्रति विद्यार्थी पर आने वाली राशि को इतना तो अवश्य बढ़ा दिया जाय ताकि हम विद्यार्थियों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सकें। यह स्पष्ट है कि ३० नये पैसे में उन की शिक्षा नहीं हो सकती है।

हरिजन और आदिवासियों को छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि हम ने इस छात्रवृत्ति की योजना के आरम्भ से ले कर अब तक २ लाख २९१३ हरिजनों को और ३४,६६८ आदिवासी विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी हैं जो कि अत्यन्त अल्प हैं। सन् १९६१-६२ में केवल २ करोड़ ४५ लाख रुपये का प्रावधान रक्खा गया है जो कि मैं समझता हूं कि बहुत कम है।

मेरा सुझाव है कि विद्यार्थियों की उन्नति के लिये फ्री स्कूल यूनिफार्म, एक वक्त का मुफ्त खाना, उन के लिये प्रशिक्षण शिविरों की स्थापना और छात्रावासों में उन के बिना किसी शुल्क के रहने की व्यवस्था होनी चाहिये। स्कूल में प्रविष्ट होते समय उन विद्यार्थियों के नाम के आगे सरनेम में भारतीय या आर्य यह शब्द लिखे जाने चाहियें।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि सब से पहली आवश्यकता हमें हरिजन और आदिवासी समाज के स्तर को ऊपर उठाने की है। केवल फीस माफ करने की बात नहीं है, छात्रावास में निःशुल्क रहने की व्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि उन पिछड़ी जातियों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास करने की बात है। यह ठीक ही होगा कि उन में शिक्षा का प्रचार करने के हेतु और इस दिशा में उन को प्रोत्साहित करने के लिये मुफ्त युनिफार्म दी जाये साथ ही एक समय का मुफ्त खाना दिया जाय और छात्रावासों में उनके निःशुल्क रहने की व्यवस्था हो।

पंचवर्षीय योजना का वह सबसे अच्छा दिन होगा जिस दिन होम मिनिस्ट्री की ओर से यह चीज आयेगी कि हम हर विद्यार्थी को जो कि आदिवासी घरों से आयेगा उस को हम पांच रुपये या दस रुपये महीना देंगे। उस को निःशुल्क शिक्षा देंगे और उस के लिये निःशुल्क छात्रावास की व्यवस्था करेंगे। उसकी भी युनिफार्म और एक की खाना देंगे। इस तरह के प्रोत्साहन देने से उन में एक सेंस आफ प्रोवोकेशन टुवर्ड्स एजुकेशन पैदा होगा। शिक्षा के लिये उन में इस तरह से एक आकर्षण पैदा होगा। एक ऐसा पिछड़ा और शोषित समाज जो कि भाग्य पर आश्रित रहता है और भगवान ने उन्हें ऐसा पैदा किया है यह संस्कार उन के अन्दर विद्यमान रहता है, यह पुराना संस्कार उनके दिल से हमें मिटाना है और उन्हें ऊपर उठाना है। मुझे पूरी आशा है कि अगर इस तरह से हम उन के सामाजिक स्तर को उन्नत करने का प्रयत्न करेंगे, उन को नीचे से उभार कर ऊपर उठाने और समानता प्राप्त करने के लिये इस प्रकार से व्यवस्था करेंगे, इस प्रकार से प्रावधान करेंगे तो वह शुभ दिन अवश्य आयेगा जब यह लोग भी अन्य वर्गों के मुकाबले समान स्तर पर आ जायेंगे। हम इस तरह के आकर्षण दे कर उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करें और हम कहें कि भाई आप के पुत्रों और पुत्रियों की शिक्षा के लिये हम ने यह सब सुविधायें दी हैं कि उनकी पबलिक स्कूल जैसी एक युनिफार्म होगी। इस प्रकार उन के अन्दर नागरिकता मुखरित हो, ऐसी हम कामना करते हैं।

†श्री वाडीवा (स्योनी) : वर्ष १९६१-६२ के प्रतिवेदन में कहा गया है कि कुछ जातियां जो वास्तव में अनुसूचित नहीं हैं परन्तु उन से मिलते जुलते अधिनाम होने के कारण अनुसूचित जातियों को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाते हैं, जैसे पासी समुदाय क्षत्रिय समुदाय है और पासी समुदाय पिछड़े वर्गों में भी है। यह भी प्रतिवेदन में कहा गया है कि यदि शब्द 'समुदाय' का प्रयोग न किया जाय तो इस संदिग्धता को दूर किया जा सकता है। इस लिए, इस की जांच पड़ताल अवश्य होनी चाहिये।

मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र में कोस्ता और कोस्ती जाति वाले लोगों ने अपने आप को हलवा और हलवी जाति के कह कर पिछड़ी जाति को मिल रहीं सुविधाओं का लाभ उठाना आरम्भ कर दिया है। इस बारे में भी जांच होनी चाहिये।

प्रतिवेदन के अनुसार कल्याण योजनाओं में निरन्तर कमी हो रही है, विशेषकर अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में। यह कमियां मुख्यतया राज्यों द्वारा अनुमति देने में विलम्ब, सेविवर्ग की कमी, भवन निर्माण के लिये सामान में कमी, आदि के कारण हैं, अतः इसकी जिम्मेदारी सरकार ही के ऊपर है। सरकार इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये पर्याप्त प्रयत्न नहीं कर रही है।

अन्य कल्याण योजनाओं के लिये सरकार द्वारा पर्याप्त धन का उपबन्ध नहीं किया जाता। प्रथम योजना में इन कामों के लिये योजना के लिये आवंटित राशि का कुल १ प्रतिशत ही रखा गया, द्वितीय योजना में यह २ प्रतिशत था, तृतीय योजना में फिर केवल एक प्रतिशत ही आवंटित किया गया। सरकार को इन योजनाओं के लिये अधिक धन का उपबन्ध करना चाहिये और साथ साथ कमियों और त्रुटियों को दूर करना चाहिये। इस के अतिरिक्त आवंटित राशियों को पूर्णतः प्रयोग में लाना चाहिये।

स्वैच्छिक संगठनों को अधिक से अधिक सहायता का उपबन्ध होना चाहिये।

भारत में साक्षरता २३.७ प्रतिशत है। परन्तु जिन बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों में आदि जाति के लोगों की संख्या अधिक है उनमें साक्षरता की प्रतिशतता बहुत कम है। मध्य प्रदेश में केवल

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री वाडीवा]

१६.९ प्रतिशत ही साक्षर हैं। इसलिए इन क्षेत्रों में शिक्षा प्रसार की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इन पिछड़े वर्गों के लोगों की छात्रवृत्तियां समय पर दी जानी चाहियें, होस्टलों का प्रबंध होना चाहिए और शुल्क रहित शिक्षा दी जानी चाहिए।

पिछड़ी जातियों में प्रगति अन्य समुदायों के समान नहीं हो रही है। औसत प्रति व्यक्ति आय ३२७.३ रुपये है जब कि मध्य प्रदेश जैसे पिछड़े राज्य में यह केवल २६० रुपये है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की प्रति व्यक्ति आय केवल १७१ से २०४ रुपये तक है। इसलिये यह वांछनीय है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण की ओर सरकार द्वारा अधिक ध्यान दिया जाय।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** (गोंडिया): अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का प्रतिवेदन एक मात्र ऐसा विषय है जिसके बारे में सभा के सभी पक्षों के माननीय सदस्यों के विचारों में एकमत पाया जाता है।

सभा के सम्मुख आयुक्त की ६६३ सिफारिशें हैं। मैं माननीय उपमंत्री से अनुरोध करूंगा कि वाद विवाद का उत्तर देते समय हमें बतायें कि इन ६६३ सिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है। जो प्रक्रिया प्राक्कलन समिति अथवा लोक लेखा समिति की सिफारिशों के लिये अपनाई जाती है वही प्रक्रिया इन प्रतिवेदनों के लिये भी अपना कर सरकार को बताना चाहिए कि कौन सी सिफारिशे स्वीकार की गयी हैं और कौन सी नहीं स्वीकार की गयीं, और जो स्वीकार नहीं की गयीं उन के कारण क्या हैं, आदि आदि।

श्री श्रीकान्त ने अपने पिछले प्रतिवेदन में कहा था कि उन के कार्यालय को दिन-प्रति-दिन कम महत्व दिया जाता है। यदि इन प्रतिवेदनों में की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित न किया जाय तो यह प्रतिवेदन लाना अथवा इन पर चर्चा करना ही व्यर्थ है।

यह देखा गया है कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति संबंधी इन प्रतिवेदनों को कोई महत्व नहीं दिया जाता। ढेवर आयोग के प्रतिवेदन पर ७ सितम्बर, १९६२ को चर्चा आरम्भ हुई थी। क्योंकि यह दिन सत्र का अन्तिम दिन था इसलिये प्रतिवेदन पर चर्चा स्थगित कर दी गयी उस के पश्चात् इस प्रतिवेदन पर पुनः चर्चा २७-८-६३ को आरम्भ हुई। इस बीच में इस प्रतिवेदन पर चर्चा के लिये समय ही नहीं मिल सका। इस का अर्थ यह हुआ कि ढेवर आयोग का प्रतिवेदन इतना महत्वहीन है कि इस पर चर्चा करने के लिये समय ही आवंटित न हो सका। यह अत्यन्त शोचनीय बात है। जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो हम सरकार से क्या आशा रख सकते हैं। अब इस काक पर श्री श्रीकान्त के स्थान पर श्री चन्दा कार्य कर रहे हैं जो कुशल और योग्य व्यक्ति हैं। तो जब इन प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिये समय ही आवंटित नहीं किया जा सकता बेहतर है यदि हम श्री चन्दा को किसी अन्य अच्छे काम के लिये नियुक्त करें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन प्रतिवेदनों की महत्ता को देखते हुए इन पर अधिक गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय।

अग्रेनयन को उच्चतम न्यायालय द्वारा असांवैधानिक घोषित किया गया था। उस का निर्देश श्री बनर्जी ने किया। मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वह इस मामले पर विचार करें और यदि सम्भव हो तो कुछ कार्यवाही करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर)** : इन प्रतिवेदनों पर सदन ने अपना ग्यारह घंटे से भी ऊपर समय लगाया है। काफी संख्या में सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं। माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की आर्थिक प्रगति के बारे में चिन्ता व्यक्ति की है। देरी होने के बारे में मेरा निवेदन है कि यह कहना ठीक नहीं है कि सरकारआ युक्त के प्रतिवेदनों के बारे में चर्चा करने में अन्यमनस्क रही है। हमने इस बारे में काफी अच्छा तथा स्लाघा योग्य कार्य किया है। यह ग्यारहवीं रिपोर्ट १६ अगस्त, १९६३ को सभा पटल पर रखी गयी थी। आज उसे चर्चा के लिए प्रस्तुत किया है। कुछ और महत्वपूर्ण मामले थे जिस पर इससे पूर्व विचार कर लेना बड़ा जरूरी था। अब इस प्रतिवेदन के लिए १० घंटे रखे गये थे परन्तु ११ घंटों से भी अधिक हमने इस पर चर्चा की है। यह कहना कि इस मामले की सरकार ने उपेक्षा की है, एक दम गलत बात है।

ढेवर आयोग पर चर्चा के समय मैंने कहा था कि हम योजनायें बना रहे हैं, जिन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित किया जायेगा। माननीय सदस्यों ने जो कुछ बातें कही हैं मैं उन को लूंगी। श्री कजरोलकर ने कहा कि क्षेत्रीय संगठन को मजबूत किया जाय। मेरा निवेदन है कि जहां तक आयुक्त के क्षेत्रीय संगठन का सम्बंध है, हम प्रत्येक राज्य में एक अफसर नियुक्त करने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, अपितु हम कुछ राज्यों में जो बहुत बड़े हैं और जहां पर समस्यायें अधिक हैं और एक व्यक्ति के लिए सम्भालना कठिन होगा, वहां हम दो अधिकारी नियुक्त करने की बात भी सोच रहे हैं। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के इस बारे में संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं।

आर्थिक प्रगति की बात बहुत से माननीय सदस्यों ने की है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हमें यह पता भी है कि देश की ४२ प्रतिशत जन संख्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की है। इन लोगों का स्तर ऊंचा किया ही जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि मध्य योजना समीक्षा के दौरान, कार्यकारी-दल विभिन्न राज्यों में भूमि आवर्टन सम्बन्धी नीति का विशेष रूप से अध्ययन करने का विचार रखते हैं। उन का उद्देश्य यह है कि यह पता किया जाय कि राज्य सरकारों के भूमि के वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमों से अनुसूचित जातियों एवं आदिम जातियों को कहां तक लाभ हो रहा है। मैं ने अपने दौरों में यह भी देखा है कि लोग भूमि का समुचित उपयोग नहीं कर पा रहे। क्योंकि उन्हें सिंचाई सुविधायें प्राप्त नहीं। ये भूमिहीन लोगों को भूमि देने का लाभ ही क्या हैं, यदि उन्हें उपयोग करने की सुविधायें न दी जांय। अतः हम इस दिशा में भी कुछ व्यवस्था करने की सोच रहे हैं।

कहा गया है कि जो ४३ बहुउद्देश्यीय विकास खंड चल रहे हैं उन से कोई लाभ नहीं हो रहा है। यह बात नहीं है। वे तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमने तो ३३० और खंड आरम्भ करने की सिफारिश की है। हमने तो योजना आयोग से इस उद्देश्य के लिये धन भी दिलवाया है। हम चाहते हैं कि हर ६६$^{२}/_{३}$ प्रतिशत अनुसूचित जनसंख्या में खंड का केन्द्र हो। बल्कि हम तो ५० प्रतिशत आबादीं वाले में भी यह व्यवस्था करना चाहते हैं। चौथी योजना में यह विकास खंडों की संख्या ५०० के लगभग हो जायेगी। इस के अतिरिक्त मेरा यह भी निवेदन है कि जहां तक आदिम जाति विकास खंडों का सम्बन्ध है सरकार, सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा दिये जा रहे १२ लाखों के अतिरिक्त १० लाख रुपये दे रही है और यह राशि सहकारिता, समाज सेवाओं, संचार आदि के क्षेत्र में अधिक प्रगति करने के लिये दी गयी हैं।

यदि २० प्रतिशत ही खर्च हुआ है तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रगति कुछ कम है। बहुत सा कम तो आदिम जाति विकास खंडों पर ही हुआ है उसके उपरान्त मट्रिक पास करने वालों को छात्रवृत्तियां देने पर खर्च हुआ है। इन के लिये १०, १०, २०, २५ और २५ प्रतिशत के क्रम बनाये जाने हैं। छात्रवृत्तियां देने के लिये शिक्षा मंत्रालय ने २२५ लाख दिया है। तीसरी योजना के पांचों

†मूल अंग्रजी में

[श्रीमती चन्द्र शेखर]

वर्षों में व्यय एक जैसा नहीं होगा। १९६१–६२ में ९२ लाख का व्यय था। १९६२–६३ में यह बढ़ कर १५६ लाख हो गया। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि १९६३–६४ में यह बढ़ कर २ करोड़ हो जाय। इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि जहां तक आवास कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, हम ने अभी सहायता के तरीकों का विस्तृत रूप से अध्ययन नहीं किया। इस अध्ययन के परिणामस्वरूप शायद योजना में कुछ परिवर्तन हो जाय। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि क्या केन्द्रीय सहायता की वर्तमान अधिकतम सीमा में वृद्धि कर दी जाय। जो सीमा ७५० रुपये प्रति घर की है उसे बढ़ा कर १००० रुपये प्रति घर कर दी जाय। परन्तु यह सब मध्य योजना अवलोकन कार्यक्रम के बाद ही सम्भव हो सकेगा।

कुछ माननीय सदस्यों ने अनुसूचित जातिओं के विद्यार्थियों के लिए अलग छात्रावास बनाने की बात की है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि सरकार इसके पक्ष में नहीं है कि केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए पृथक छात्रावास बने। यह व्यवस्था कर दी गई है कि कुछ स्थान इन जातियों के लिए सुरक्षित कर दिये जायें ताकि ये हरिजन विद्यार्थी अन्य सामान्य वर्गों के लोगों से मिल जुल सकें। विदेशों में इन जाति के लोगों की छात्रवृत्तियां बढ़ाई जायें, यह मांग ठीक है, परन्तु इस काम को शिक्षा मंत्रालय करता है। हम इसके लिए सिफारिश करेंगे। सरकार ने छात्रवृत्तियां देने में विलम्ब के कारणों की जांच करने के लिए कार्यवाही की है। कुछ राज्य सरकारों ने वर्तमान उपायों की जांच की है और जहां कहीं आवश्यक हुआ, इस प्रणाली में परिवर्तन भी किया जायेगा। आय सम्बन्धी प्रमाण पत्र पेश करने के बारे में विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाई को कम कर दिया गया है। आश्रम स्कूल खोलने की ओर भी ध्यान दिया जायेगा। हम इस बात का आगे से बहुत ध्यान रखेंगे कि छात्रवृत्तियां समय पर मिल जायें। राज्य सरकार इस मामले में देरी न करे।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि संरक्षण का काम सन्तोषजनक ढंग से नहीं चल रहा। कहा गया कि १-१-६२ तक चतुर्थ श्रेणी में अनुसूचित जाति के लोग १२.५ प्रतिशत से भी कम थे। अनुसूचित आदिम जाति के लोग भी ५ प्रतिशत कम थे। यह बात किसी हद तक ठीक है, मैं स्वयं चाहती हूं कि यह संख्या बढ़े परन्तु इस बारे में स्थिति समझने का प्रयत्न नहीं किया गया है। वह यह कि जिन आंकड़ों के आधार पर बातचीत की जा रही है व ह भारत सरकार के कर्मचारियों की कुल संख्या है, और ये सारे कर्मचारी संरक्षण आदेश जारी होने के बहुत पहले से नौकरियों पर नियुक्त हो चुके थे। संरक्षण तो १९५० में लागू की गयी थी। इस बात को १९४७ से ही आरम्भ किया गया था और उस समय स्थिति भी स्पष्ट नहीं थी। संरक्षण जब आरम्भ किया गया था तब अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों का अनुपात बहुत थोड़ा था और इस अनुपात को नयी नियुक्तियां करके ही बढ़ाया जा सकता है। नयी नियुक्तियों में इन जातियों का अंश अधिक रखा गया। स्पष्ट है कि इस तरह करने में कुछ समय तो लगना ही था। समय की कमी को भी पूरा करने का प्रश्न भी है। इसके अतिरिक्त इस समस्या का सब से अधिक महत्वपूर्ण अंग यह है कि तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही कम लोग उपलब्ध हो रहे हैं। जो उपलब्ध होते हैं उनमें अपेक्षित योग्यतायें नहीं होतीं। अतः इस १९५६ में लागू होने वाले आदेश के प्रति हम पूर्ण रूप से न्याय नहीं कर सके हैं। परन्तु अब क्षेत्रीय सेवाओं और तकनीकी शिक्षा में भी संरक्षण का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आशा की जा सकती है कि भविष्य में हम कुछ अच्छा ही कर सकेंगे।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में रक्षित पदों को भरने के बारे में काफी प्रगति की गई है। इस मामले में हमने ठीक ढंग से काम किया है। माननीय सदस्यों ने भी इस

बारे में कुछ नहीं कहा, हालांकि चाहिए था कि जहां वे आलोचना करते हैं वहां उन्हें इसके लिए सरकार को मुबारकबाद भी देना चाहिए था। वे मौन रहे तो इसे कार्य की स्वीकृति ही समझी जानी चाहिए।

१९६१ में भारतीय प्रशासन सेवा में कुल ८७ व्यक्ति लिये गये थे। कुल संरक्षित स्थानों की संख्या थी। ९ अनुसूचित जातियों के और ५ अनुसूचित आदिम जातियों के लोग लिये गये। १९६२ में कुल संख्या ९९ है। इनमें कुल संरक्षित स्थान २२ थे। इनमें से २२ अनुसूचित जातियों और ४ अनुसूचित आदिम जातियों को दिये गये। १९६३ में ८७ में से ११ और ४ स्थान क्रमशः सुरक्षित थे और ११ और ४ पर ही क्रमशः सम्बद्ध जातियों के लोग नियुक्त किये गये।

इसी तरह पुलिस सेवा है। १९६१ में कुल स्थान ६४ थे और १४ और ५ क्रमशः सुरक्षित थे। परन्तु वास्तविक नियुक्तियां क्रमशः ७ और एक स्थान पर हुई। १९६२ में, कुल ७३ में से १७ और ६ क्रमशः सुरक्षित थे, नियुक्तियां १० और ५ पर हुई। १९६३ में कुल स्थान ६८ थे और १६ और ४ क्रमशः सुरक्षित थे। इन सुरक्षित स्थानों पर नियुक्तियां १५ और ४ पर हो गयी। यह सब इसलिये हुआ है कि इलाहाबाद में परीक्षा से पहले तैयारी करान के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हम ने इस उद्देश्य के लिए एक अन्य केन्द्र खोल दिया गया है। इसी तरह प्रथम और द्वितीय श्रेणी के लिए भी स्थान सुरक्षित हो सकेंगे। इसी प्रकार ऋणिता और बेगार के प्रश्न पर राज्य मंत्रियों से विचार किया है और वह इस बात से सहमत है कि बेगार और ऋण से दबे हुए उन लोगों की सहायता के लिए आवश्यक विशेष विधान बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जाय। ढेबर आयोग की सिफारिशों में भी एक यह प्रमुख सिफारिश थी।

अस्पृश्यता निवारण की समस्या बहुत ही नाजुक है। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद १७ के अन्तर्गत इसे समाप्त कर दिया गया है। और भी १९५५ का अधिनियम है, परन्तु फिर भी अभी देहातों में तो बहुत और शहरों में कुछ कम यह चल ही रहा है। इस बात को राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन मेंभी विचार के लिए रखा गया था। हम चाहते हैं कि इस दिशा में यदि कानून में कोई दोष है तो उसे दूर कर के अस्पृश्यता निवारण के लिए तुरन्त कोई कार्यवाही करनी चाहिए। बहुत सी स्वयं सेवक संस्थायें भी इस दिशा में काम कर रही हैं। हम भी उन्हें सहायता दे रहे हैं। ये संस्थायें अस्पश्यता निवारण के बारे में प्रचार का कार्य काफी अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि हम मलकानी समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं कर रहेहैं। इस बारे में मेरा निवेदन है कि मलकानी समिति की सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित किया गया है और भारत सरकार ने योजना को लागू कर दिया है। और राज्य सरकारों को इसके लिए सभी प्रकार के उदार अनुदान देने की घोषणा की है। स्थानीय निकायों को भी इसके लिए सहायता देने की बात कही गयी है। अनुसूचित जाति लोगों को घरों के लिए प्लाट देने की बात भी हमने की है, जो कि भूमिहीन किसान हैं और सफाई के कार्मों में लगे हुए हैं। ग़रीब लोगों की सहायता के लिए हमने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को भी कुछ योजना बनाने के लिए कहा है। सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय के अन्तर्गत भी इस दिशा में बहुत कुछ किया जा रहा है।

लड़कियों के होस्टल के लिए १० लाख रुपये की तीसरी योजना के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी थी। लड़कियों के होस्टलों के लए ७ करोड़ की व्यवस्था है। राज्यों में खुलने वाले ऐसे होस्टलों को केन्द्रीय सरकार ७५ प्रतिशत सहायता देगी। मेरी श्री सुबोध हंसदा से प्रार्थना है कि उन्हें राज्य सरकार पर जोर देकर अपने यहां एक लड़कियों का होस्टल स्थापित करवाना चाहिए।

[श्रीमती चन्द्र शेखर]

अन्त में मेरा कहना है कि हम जो भी संभव है इस दिशा में पिछड़ी जातियों के जीवन स्तर को उठाते के लिए कर रहे हैं । यह काम तो उनकी आर्थिक हालत को सुधार कर, उनमें शिक्षा का प्रचार करके ही संभव है । उन्हें आम अन्य वर्गों में भी घुल मिल जाना चाहिए । इन शब्दों से मैं माननीय सदस्यों के सुझावों के लिए उनका धन्यवाद करती हूं और आशा करती हूं कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए जो योजनायें , उनको कार्यान्वित करने के लिए वे पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे ।

श्री राम सेवक यादव : संविधान के ३४० अनुच्छेद की उपधारा (३) के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति जो आयोग पिछड़ी जातियों की स्थिति जानने के लिये नियुक्त करेंगे और वह आयोग जो अपना प्रतिवेदन देगा, उस प्रतिवेदन को लाजिमी तौर पर सरकार को सदन के पटल पर रखना पड़ेगा। मैं मंत्रिणी महोदया से जानना चाहता हूं कि क्या वह सदन के पटल पर रखा गया और यदि नहीं रखा गया तो क्या अब रखा जायेगा और क्या इस सदन में उस पर चर्चा होगी ?

श्री ओंकारलाल बेरवा : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहूंगा कि शाहाबाद की कालोनी में जो तकरीबन एक करोड़ रुपये का निर्माण-कार्य हुआ है, उसमें पचास लाख रुपये का घोटाला हुआ है, क्या उसके बारे में कोई एन्क्वायरी करने का सरकार का विचार है या कोई एन्क्वायरी की गई है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** कृपया अंग्रेजी में पूछिये, वह हिन्दी नहीं जानतीं ।

श्री ओंकार लाल बेरवा : मैं इंगलिश नहीं जानता । आप इंगलिश में ट्रांसलेशन कर दें ?

†**श्रीमती चन्द्रशेखर :** हमते संविधान के ३४० अनुच्छेद के बारे में कार्यवाही की है । आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त की गयी थी और इसके अन्तर्गत जो भी व्यवस्था है उसका हमने पालन किया है । उच्चतम न्यायालय के निर्णय की प्रतिलिपि हमने हाल ही में मंगवाई है । उसका अध्ययन करके हमें जो कुछ करना उचित होगा वह हम अपने लोगों के एक भाग के हितों की रक्षा की दृष्टि से जरूर करेंगे ।

†**श्री ओंकारलाल बेरवा :** मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि यह सभा वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के दसवें और ग्यारहवें प्रतिवेदन पर, जो क्रमशः १५ जून, १९६२ और १६ अगस्त, १९६३ को सभा पटल पर रखी गयी थी, विचार करती है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात लोक-सभा ५ सितम्बर १९६३/१४ भाद्र, १८८५ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, ४ सितम्बर, १९६३

१३ भाद्र, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	२१२७—५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४७६	विश्वविद्यालय पाठ्य-पुस्तकें	२१२७—२९
४७७	विज्ञान के स्नातक तथा डिप्लोमाधारी	२१२९–३०
४७८	लेह में बौद्ध विश्वविद्यालय	२१३०—३२
४७९	स्नेहक संयंत्र	२१३३–३४
४८०	बाल-कल्याण	२१३४—३६
४८१	विज्ञान शिक्षा का स्तर	२१३७—३९
४८२	रामकृष्ण मिशन, बैलूर में विश्वविद्यालय	२१४०–४१
४८३	दिल्ली में वानस्पतिक उद्यान	२१४१–४२
४८४	अखिल भारतीय सेवा परीक्षायें	२१४३–४६
४८६	हिन्दी की प्रगति	२१४६—४८
४८७	गोआ में खनन उद्योग	२१४९–५०
४८९	लाइबेरिया में शिक्षा प्रतिनिधिमंडल	२१५०–५१
४९१	सरकारी असैनिक कर्मचारी	२१५१—५३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	२१५३—९६
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४८५	सरकारी रहस्यों तथा गोपनीय अभिलेखों का प्रकट हो जाना	२१५३
४८८	मुख्य न्यायाधिपति सम्मेलन	२१५३–५४
४९०	आसाम में चाय बागानों के लिये प्राकृतिक गैस	२१५४
४९२	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	२१५४–५५
४९३	सहकारी संस्थायें	२१५५–५८

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४६४	महाराष्ट्र में लोह अयस्क के निक्षेप	२१५६
४६५	भारत और संयुक्त अरब गनराज्य के बीच वैज्ञानिक समझौता	२१५६
४६६	फेडरल विश्वविद्यालयों की स्थापना	२१५७
४६७	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की पुनरीक्षित सूचियां	२१५७
४६८	राष्ट्रीय एटलस	२१५७–५८
४६९	मैंगनीज़ तथा लौह अयस्क	२१५८
५००	कोयले की खानें	२१५८–५९
५०१	विश्वविद्यालयों के लिये आदर्श विधान	२१५९
५०२	बाल साहित्य की रचना	२१५९
५०३	इम्फाल में तेल गैस	२१५९–६०
५०४	विज्ञान अध्यापकों के लिए अवकाश पाठ्यक्रम	२१६०
५०५	पैट्रोलियम के मूल्य	२१६०
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४२२	"भूकम्प से मुक्ति" अध्ययन	२१६१
१४२३	ताल्चर कोयला खानें	२१६१
१४२४	अनुवाद की समस्याओं सम्बंधी शिविर	२१६१–६२
१४२५	पुस्तकालय सलाहकार समिति	२१६२
१४२६	शिक्षकों का प्रशिक्षण	२१६३
१४२७	पुलिस आवास योजना	२१६३
१४२८	उड़ीसा में राष्ट्रीय बाल संग्रहालय तथा बाल-भवन	२१६३–६४
१४२९	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त	२१६४
१४३०	उड़ीसा के सरकारी अधिकारी	२१६४
१४३१	उड़ीसा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति के लिये होस्टल	२१६४
१४३२	दिल्ली में बसों की चोरी	२१६५
१४३३	सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले	२१६५
१४३४	जहाजों द्वारा कोयले का परिवहन	२१६५

विषय पृष्ठ

अतारांकित
प्रश्न संख्या

१४३५	दिल्ली में बलात्कार के मामले	२१६५–६६
१४३६	उच्च न्यायालय के न्यायाधीश	२१६६
१४३७	कालेजों के पुस्तकाध्यक्ष	२१६६
१४३८	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों का कल्याण	२१६६–६७
१४३९	विदेशी छात्रवृतियां	२१६७
१४४०	सिरवेन्द्रराजन पटिनम में मीनार	२१६७
१४४१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये महाराष्ट्र राज्य में छात्रवृत्तियां	२१६७–६८
१४४२	दिल्ली पुलिस	२१६८
१४४३	हुगली के किनारे तेल-क्षेत्र	२१६८
१४४४	ईसाई धर्म प्रचारक	२१६८
१४४५	दिल्ली में स्कूल के बालकों के लिये दुपहर का भोजन	२१६९
१४४६	नेफा के लिये देशी लिपि	२१६९
१४४७	अध्यापकों के लिए तिहरा लाभ योजना	२१६९
१४४८	भूटान में खनन सर्वेक्षण	२१६९–७०
१४४९	नये अनुसन्धान कूप	२१७०
१४५०	नव साक्षरों के लिये आदर्श पुस्तकें	२१७०
१४५१	नर्मदा तट पर प्राचीन अवशेष	२१७१
१४५२	सेवानिवृति की आयु	२१७१
१४५३	कोयला उत्पादकता	२१७१–७२
१४५४	इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लम्बित मामले	२१७२
१४५५	समाज शिक्षा साहित्य	२१७२–७३
१४५६	भारत सेवक समाज	२१७३
१४५७	अपाहिजों की शिक्षा	२१७३–७५
१४५८	चट्टान खोदने वाले यन्त्र	२१७५–७६
१४५९	अमरीकी शिक्षा प्रणाली का प्रदर्शन	२१७६
१४६०	काश्मीर में विदेशी विद्यार्थियों का शिविर	२१७६
१४६१	कोयला उद्योग का प्रतिकर	२१७६–७७
१४६२	शिक्षा विभाग, दिल्ली	२१७७–७८

	विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
१४६३	दिल्ली शिक्षा विभाग की पाठ्यक्रम पुस्तक निर्धारण	२१७८
१४६४	दिल्ली के स्कूलों के लिये पाठ्य-पुस्तकें	२१७८
१४६५	नागा बिद्रोही	२१७८–७९
१४६६	परीक्षा में असफलतायें	२१७९
१४६७	जिला विवरणिकायें	२१७९
१४६८	"रजोली बांदा" परियोजना	२१८०
१४६९	नौह में खुदाई	२१८०
१४७०	"यूनिस्को" से सामान	२१८०
१४७१	'काल गर्ल्स' सम्बंधी कूट योजना	२१८१
१४७२	अपाहिज बच्चे	२१८१
१४७३	प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम	२१८१
१४७४	रूस को उपकुलपतियों का प्रतिनिधि मंडल	२१८२
१४७५	स्कूलों में कार्य के दिन	२१८२
१४७६	"बैल्यूज आफ लाइफ इन दी मार्डन वर्ल्ड"	२१८२–८३
१४७७	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	२१८३
१४७८	आयल इंडिया लिमिटेड	२१८३
१४७९	तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अनुसन्धान और प्रशिक्षण विभाग	२१८४
१४८०	म्यूनिसिपल बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर को सहायक अनुदानें	२१८४–८५
१४८१	अन्दमान में ऋणों की वसूली	२१८५
१४८२	शिक्षा और व्यावसायिक मार्ग दर्शन विभाग	२१८५
१४८३	राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकता	२१८५–८६
१४८४	नाटयशालाओं को सहायता	२१८६–८७
१४८५	राष्ट्रीय अभिलेखागार के लिये अभिलेख	२१८७–८८
१४८६	केन्द्रीय प्राथमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड	२१८८
१४८७	भारतीय विश्वविद्यालयों के लिये रूसी शिक्षक	२१८८–८९
१४८८	मंत्रियों का वेतन	२१८९
१४८९	टीटागढ़ का महिला शिविर	२१८९
१४९०	विदर्भ में आदिम ज़ातियों के लोग	२१८९–९०
१४९१	मैसूर राज्य में तेल की खोज	२१९०

विषय **पृष्ठ**

१४९२	गोहाटी तेल शोधक कारखाना . . .	२१९०–९१
१४९३	सहायक शिक्षा सलाहकार	२१९१
१४९४	केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय में पुस्तकाध्यक्ष .	२१९१–९२
१४९५	शिक्षा अधिकारी	२१९२
१४९६	केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों में हिन्दी	२१९२
१४९७	प्रपत्रों का हिन्दी अनुवाद	२१९३
१४९८	दिल्ली में यातायात का जमाव	२१९३–९४
१४९९	जम्मू तथा काश्मीर से आये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० पदाधिकारी	२१९४
१५००	मद्रास में कोयला और लिग्नाइट	२१९४–९५
१५०१	आसाम के कालिजों को अनुदान . . .	२१९५
१५०२	करईकुडी के निकट कोयले के निक्षप . . .	२१९५
१५०३	दिल्ली प्रशासन में वेतन क्रम . . .	२१९५–९६
१५०४	दिल्ली में कारों और मोटर साइकिलों की चोरी .	२१९६

सभा पटल पर रखा गया पत्र २१९८

विदेशियों का पंजीयन अधिनियम, १९३९ की धारा ६ के परन्तुक के अन्तर्गत, दिनांक ७ अगस्त, १९६३ की छूट की घोषणा संख्या ६, २१, ६२-(चार) एफ० १ की एक प्रति ।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ।

पच्चीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया । २१९८

मंत्री द्वारा वक्तव्य । २१९८

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) ने मिनिकोप द्वीप में निर्वाचन कर हटाने के बारे में एक वक्तव्य दिया

सदस्य द्वारा वक्तव्य : २१९८–९९

डा० सारादीश राय ने न्यायापालिका को कार्यपालिका से अलग करने के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ९०७ के १७ अप्रैल, १९६३ को दिये गये उत्तर के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

पृष्ठ

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस) ने इस के उत्तर में एक वक्तव्य दिया । २१९९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने के समय का बढ़ाया जाना । २१९९–२२००

ईसाई विवाह तथा वैवाहिक वादे विधेयक सम्बंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करने के लिए नियत समय को अगले सत्र के अन्तिम दिन तक और बढ़ा दिया गया ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव । २२००—४२

२ सितम्बर, १९६३ को गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त हुई ।

गुरुवार, ५ सितम्बर, १९६३/१४ भाद्र, १८८५ (शक) के लिए कार्यावलि ।

३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त हुये वर्ष के लिये भारत के जीवन बीमा निगम के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा

(१) खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि और (२) खाद्य नीति के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा

GMGIPND—LSIII—1205(Ai) LSD—11-10-63—160